राजस्थान विधान सभा

५१ वीं बैठक, शुक्रवार, दिनांक–६ अगस्त, सन् १९५४ ई०

विधान सभा की बैठक सभा–भवन, जयपुर, में प्रातः ८ बजे कर ५ मिनट पर प्रारम्भ हुई

(श्री लालसिंह शक्तावत, उपाध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रश्न संख्या १३०८

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न, श्री हरिकृष्ण व्यास।

(प्रश्नकर्ता अनुपस्थित-कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

नेक्स्ट; प्रश्न संख्या १३०९, श्री चाँदमल मेहता।

प्रश्न संख्या १३०९

लादू जाट भवाद्रा की डकैती के सम्बन्ध में विशेष अधिकारी द्वारा जाच

श्री चाँदमल मेहता—क्या गृहमन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगेः—

(क) क्या यह सही है कि लादू जाट भवाद्रा की डकैती के सम्बन्ध में किसी विशेष अफसर द्वारा जांच कराई गई थी ?

(ख) क्या यह सही है कि उक्त जाँच से लादू जाट की काश्त का अनाज बनेसिंह, गोपालसिंह, सज्जनसिंह द्वारा जबरन उठाकर ले जाना साबित है ?

(ग) सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में आगे क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मन्त्री)—(क) हां।

(ख) अभी तक और जांच हो रही है।

(ग) पूरे मामले की फिर से छानबीन की जा रही है जिससे कि दोषी पुलिस अफसरों, यदि कोई हों, के विरुद्ध कार्यवाही की जा सके।

श्री चाँदमल मेहता—इस सम्बन्ध में कितनी मर्तबा जांच कराई गई है?

श्री जयनारायण व्यास—तीसरी मर्तबा कराई जा रही है।

श्री चाँदमल मेहता—पहली जांच कौनसी तारीख को कराई गई?

श्री जयनारायण व्यास—मैं ठीक तारीख तो नहीं कह सकता; इसका नोटिस चाहिये मुझको।

श्री चाँदमल मेहता—तीन मर्तबा जाँच कराने का क्या कारण है?

श्री जयनारायण व्यास—इसका कारण यह है कि इस जाँच में वह व्यक्ति जागीरदार का नौकर बताया गया था। दूसरी जाँच में टिनेन्ट बताया गया लेकिन एस. पी. (पुलिस) ने कहा कि टिनेन्ट नहीं है, नौकर है। इसके बाद तीसरी बार यह जांच कराई जा रही है रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट के अफसरों द्वारा सैटलमेन्ट के रेकार्ड और रेवेन्यू के रेकार्डों के आधार पर।

श्री चाँदमल मेहता—क्या यह सही है कि जांच कराने से पहले ही उक्त किसान के खिलाफ झूंठी रिपोर्ट पर ही सरकार द्वारा मुकद्दमा चलाया गया है?

श्री जयनारायण व्यास—जांच और मुकद्दमे का कोई आपस में ताल्लुक नहीं है। मुकद्दमे चलते रहते हैं, झूंठे होते हैं तो फेल होते हैं, व सही होते हैं तो कामयाब होते हैं।

श्री चाँदमल मेहता—मैं पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार द्वारा ऐसी झूंठी रिपोर्ट पर कोई मुकद्दमा उसके खिलाफ चालान किया गया है?

श्री जयनारायण व्यास—हो सकता है। अगर कोई गलती की है तो मुकद्दमा भी दर्ज किया जा सकता है। अगर गलती नहीं की गई है तो मुकद्दमा रद्द हो जावेगा।

श्री चाँदमल मेहता—क्या यह सही है कि इसके सम्बन्ध में आई. जी. पी. ने खास तौर से ऑर्डर दिया है?

Page No.3

श्री जयनारायण व्यास—मैं पहले कह चुका हूं कि यह बात गलत है।

श्री चाँदमल मेहता—तो फिर कौन अधिकारी वह था जिन्होंने इस किसान के खिलाफ मुकद्दमा चलाने की आज्ञा दी है ?

श्री जयनारायण व्यास—जो उपयुक्त अधिकारी है वही आज्ञा देता है अगर कोई कुसूर होता है किसी का तो।

श्री चाँदमल मेहता—तो क्या आप उसका नाम बताने की कृपा करेंगे ?

श्री जयनारायण व्यास—इसके लिये आप अलग प्रश्न करें कि किस अधिकारी ने किस बेसिस पर किस-किस व्यक्ति के खिलाफ कब-कब मुकद्दमें चलाये हैं। इसका बराबर हम जवाब देंगे।

श्री चाँदमल मेहता—क्या यह सही है कि भवाड़ा के समस्त काश्तकारों ने रजिस्टर्ड लेटर द्वारा एक दरख्वास्त सरकार के पास भेजी थी कि पुलिस उनके साथ अनुचित कार्यवाही कर रही है इसकी रोक-थाम की जावे और उचित जाँच की जावे ?

श्री जयनारायण व्यास—हमेशा फरीकेन का यही मामला होता है। एक पार्टी का दूसरी के खिलाफ और दूसरी का पहली के खिलाफ यही इल्जाम होता है कि वह अनुचित कार्यवाही कर रही है। तो इसीलिये इसकी जांच कराई जाती है और अगर एक बार से नहीं काम चलता है तो तीन बार कराई जाती है।

श्री चांदमल मेहता—पर क्या यह सही है कि उस दरख्वास्त पर कोई जांच अथवा अन्य कार्यवाही नहीं की गई ?

श्री जयनारायण व्यास—जब तीन बार जांच कराई जा रही है तो यह साफ जाहिर करती है कि कार्यवाही की गई, यह कार्यवाही का द्योतक है।

श्री चाँदमल मेहता—क्या यह सही नहीं है कि यह जाँच कटौती के प्रस्ताव के आने के बाद की गई, उनकी दरख्वास्त पर कोई कार्यवाही नहीं की गई ?

श्री जयनारायण व्यास—मैं नहीं कह सकता कि उस पर जांच हुई या नहीं। झूंठी रिपोर्ट कर दें तब भी जांच होती है, ताजीरात हिन्द की दफा इसके लिए बताई जाती है।

श्री चाँदमल मेहता—पर जांच होने से पहले ही यह कैसे इत्मिनान हो गया कि यह झूंठी रिपोर्ट की गई है ?

श्री जयनारायण व्यास—यह भी शिकायत है तभी तो जांच हो रही है।

श्री उपाध्यक्ष—श्री महादेव प्रसाद: नहीं, श्री जुझारसिंह। प्रश्न संख्या १११०.

Page No.4

प्रश्न संख्या १३१०

जिला झालावाड़ के कृषकों को लोकल फोरेस्टर के दुर्व्यवहार से कष्ट

श्री जुझारसिंह—Will the Minister-in-charge, Forests, be pleased to state: Has there been an unhampered harassment of cultivators in the District of Jhalawar as a result of the carelessness and non-sympathetic attitude of the local forester in issuing permits for the fuel and farm wood there ?

If so, has the forest administration been able to stop this menace ? If not, why not ?

श्री अमृतलाल यादव (वन मन्त्री)— प्रश्न यह पूछा गया है कि—

"Has there been an unhampered harassment of cultivators in the District of Jhalawar as a result of the......"

कु ०श्री जसवन्तसिंह—On a point of order, Sir, is the Honb'le Minister reading the question or giving reply ? माननीय मंत्री महोदय सवाल ही पढ़ रहे हैं।

श्री अमृतलाल यादव—इसका रिप्लाई देने के लिये तथा और क्लेरिफाई करने के लिये इसका पढ़ना जरूरी है, इसलिए पढ़कर मैने सुनाया है। इसका जबाब यह है कि इस प्रश्न में कोई स्पेसिफिक इन्स्टान्स इस शिकायत के बारे में नहीं दी गई है कि फलां आदमी को यह कठिनाई है इसलिये इसके लिए मेरा जवाब यह है कि इस विषय में सरकार के सामने कोई शिकायत नहीं आई। अतः इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जाय, इसके बारे में सरकार कुछ यत नहीं कर पाती है। ऐसा कोई खास मामला अगर माननीय सदस्य बताएं तो उसका प्रबन्ध किया जायगा।

श्री जुझारसिंह—उस इलाके के आदमियों को अक्सर लकड़ी की परमिट मिलने में बहुत दिक्कतें होती हैं; इसलिए एक आदमी की तरफ से नहीं सारे इलाके की तरफ से शिकायत की गई है।

श्री अमृतलाल यादव—इसका सरकार की तरफ से उचित ध्यान रक्खा जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी को कोई दिक्कत न हो।

श्री कंवर लाल जेलिया—क्या सरकार की जानकारी में है कि कोटा डिविजन का जब उन्होंने अभी दौरा किया तो इस सम्बन्ध में कई किसानों ने असन्तोष प्रकट किया था ?

श्री अमृतलाल यादव—जब मंत्री लोग दौरा करते हैं तो किसानों और जनता की तरफ से उनके सामने उनके अभाव-अभियोग आते हैं और उनकी उचित व्यवस्था की जाती है। ऐसा ही मेरे दौरे के वक्त में किया गया है।

एक माननीय सदस्य—क्या वह अभाव-अभियोग जो दौरे में सरकार के मंत्रियों के सामने आते हैं उनको ठीक करने का कोई उपाय किया गया है ?

Page No.5

श्री अमृतलाल यादव—जी हां।

श्री कंवरलाल जेलिया—क्या सही है कि माननीय मंत्री महोदय के पास डी. एस. ओ., डिस्ट्रिक्ट झालावाड़ के खिलाफ शिकायतें आई हैं ?

श्री अमृतलाल यादव—मैंने कहा है कि जिस प्रकार की शिकायतें आती हैं उसी प्रकार से उनको रफा करने की व्यवस्था की जाती है।

श्री रामदयाल उपाध्याय—उनके खिलाफ क्या व्यवस्था की गई है ?

श्री अमृतलाल यादव—उसका इस प्रश्न से कोई संबन्ध नहीं है, लेकिन डी. एस. ओ. के खिलाफ जो कोई भी शिकायत हुई तो उसके खिलाफ एन्क्वायरी हो रही है। यह माननीय सदस्य भी जानते हैं।

श्री मोहनलाल भटनागर—क्या सरकार जानती है कि राजस्थान में सभी जगह के किसानों को इस तरह के कष्ट हैं ?

श्री अमृतलाल यादव—जी नहीं।

श्री कंवरलाल जेलिया—यदि माननीय मंत्री महोदय यह मानते हैं कि सरकार की ओर से व्यवस्था संतोषजनक है तो वे स्पष्टीकरण करेंगे कि ग्राम पंचायतों के द्वारा इस प्रकार की सुविधाएँ दी गई हैं, उनको सुचित किया गया है; नोटिस अभी तक आया नहीं है। किसानों को यह मालूम नहीं है कि जंगलात के विषय में क्या सुविधाएँ दी गई है ?

श्री उपाध्यक्ष—नेक्स्ट, श्री महादेव प्रसाद।

प्रश्न संख्या १३११

ग्राम मोहनपुर (जिला झुन्झुनू) में ५. १२. ५३ को गोमाराम के यहां हुई चोरी का माल दिलाने सम्बन्धी

श्री महादेव प्रसाद—क्या गृह मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(क) क्या यह सही है कि ग्राम मोहनपुर (भामर वाली जिला, झुंझुनू) में दिनांक ५-१२-५३ को गोमाराम पुत्र हाथीराम के यहां चोरी हुई थी ?

(ख) क्या यह भी सही है कि चोरी करने वाले चोरों में से एक चोर पकड़ा जाने पर थाना चिड़ावा में ले जाया गया ?

(ग) उस चोरी के माल को वापिस दिलाने में अब तक पुलिस ने क्या किया ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)— (क) हां।

(ख) नहीं।

(ग) अपराधी और चुराई हुई सम्पत्ति का पता लगाने के लिये स्थानीय पुलिस द्वारा उत्साहपूर्ण प्रयत्न किये गये, किन्तु सफलता नहीं मिली। इसलिये इस मामले में पता नहीं लगने की अन्तिम रिपोर्ट तारीख २४-१२-५३ को पेश की गई।

श्री महादेव प्रसाद—जो चोर पकडे गये थे वे किस कारण छोड़ दिये गये?

श्री जयनारायण व्यास—मैंने 'नहीं' उत्तर दिया था (ख) का।

श्री उपाध्यक्ष—श्री महादेव प्रसाद।

प्रश्न संख्या १३१२

नन्दलाल झुन्झुनू वाला के यहां दिनांक २७-७-५१ को चोरी

श्री महादेव प्रसाद—क्या गृह मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(क) क्या यह सही है कि नन्दलाल झुन्झुनू वाला, साकिन मलसीसर, जिला झुन्झुनू के यहाँ दिनांक २७-७-५१ को करीब ८०-९० हजार रुपयों के माल की चोरी हुई थी?

(ख) क्या यह भी सही है कि जिला नारनोल (पेप्सू) की पुलिस ने दिनांक ५-९-५१ को सवाई खाँ क्यामखानी, साकिन मलसीसर व उदयसिंह राजपूत, साकिन ठीमोली को सतनाली में गिरफ्तार किया और उनसे उक्त चोरी का कुल माल भी बरामद किया गया तथा इसी आधार पर पेप्सू कोर्ट ने मुलाजिमों को एक-एक साल की सजा दी?

(ग) क्या यह भी सही है कि पेप्सू की पुलिस के केस के आधार पर मलसीसर थाने की पुलिस ने सवाई खां कायमखानी के भाई लादू खाँ के घर की तलाशी ली और उक्त चोरी में से उसके घर से कुछ माल बरामद किया?

(घ) क्या यह भी सही है कि नन्दलाल झुन्झुनू वाले के बार बार एस. पी. झुन्झुनू को रिपोर्ट करने पर भी अभी तक चोरी का कोई पता नहीं लगाया गया?

श्री जयनारायण व्यास—(क) हाँ, नहीं। I am sorry.

(क) नहीं। तीन विभिन्न अवसरों पर मलसीसर में श्री नन्दलाल झुन्झुनुवाला के घर सैंध द्वारा ५०,०००) रु० की चोरियाँ की गई।

(ख) हाँ।

(ग) हाँ।

[श्री जयनारायण व्यास]

(घ) स्थानीय पुलिस तथा गुप्तचर विभाग के सोत्साह प्रयत्नों के उपरान्त भी, कुछ और सुराग अब तक लग नहीं सका। झुन्झुनू के डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस की सीधी देखरेख में मामले में अभी तक जाँच की जा रही है।

श्री महादेव प्रसाद—जाँच कब तक पूरी हो जायगी ?

श्री जयनारायण व्यास—यह सुराग मिलने पर आधारित है। खास तौर से पुरानी चोरियाँ हैं १९५१ की, उनके लिए टाइमटेबल बांधना बड़ा मुश्किल है।

श्री महादेव प्रसाद—इतनी बड़ी चोरी का पता नहीं लगाया जा सका तो फिर छोटी चोरियों का क्या ?

श्री जयनारायण व्यास—जिनके यहाँ चोरी हुई वह माल को नहीं पहचान सके तो जरा कठिन हो जाता है।

श्री उपाध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या १३११

किशनगढ़ के यज्ञनारायण औषधालय से अनुभवी डॉक्टरों का स्थानान्तर

श्री चाँदमल मेहता—क्या स्वास्थ्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(क) किशनगढ़ के यज्ञनारायण हॉस्पिटल में कितने डाक्टर हैं ?

(ख) किस २ डाक्टर का कितने-कितने साल का डॉक्टरी का अनुभव है ?

(ग) क्या यह सही है कि पुराने अनुभवी सभी डॉक्टरों का तबादला एक साथ कर दिया गया है ?

(घ) यदि हां, तो क्यों ?

(ङ) क्या यह भी सही है कि सर्जरी के काम का कोई डॉक्टर इस अस्पताल में नहीं है ?

(च) मई-जून के माह में इस अस्पताल में कितने ऑपरेशन किये गये ?

Page No.8

श्री कुम्भाराम आर्य (स्वास्थ्य मन्त्री)—(क) तीन।

(ख) डा० आर. एन बोहरा, डी० एम. एच. ओ......

श्री जवानसिंह्—सुनाई नहीं दे रहा है।

श्री कुम्भाराम आर्य—नाम व पद	डॉक्टरी अनुभव की अवधि	
डा० आर. एन. बोहरा, डी. एम. एच. ओ.।	१८ साल,	एम. बी. बी. एस.
डा० बी. पी. जैन, सी. ए. एस. १	साढ़े चार साल	,,
डा० के. सी. मोटानी, सी. ए. एस. २	२ साल	,,

(ग) एक साथ नहीं किया गया।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ङ) नहीं, सर्जरी के काम के लिए डॉक्टर आर. एन. बोहरा अनुभवी हैं।

(च) माह मई में २१६ और जून में १३४ ऑपरेशन हुए।

श्री चाँदमल मेहता—क्या यह सही है कि डा० पुरोहित, डा० बोहरा, और डा० रघुवीर इन तीनों का ट्रान्सफर महीने-डेढ़ महीने के अन्दर-अन्दर कर दिया गया है जब कि इस हॉस्पिटल में तीन डॉक्टर थे ?

(पुनः)

डा० पुरोहित, डा० हर्ष और डा० रघुवीर, यह तीनों डाक्टर इस हास्पिटल में थे तो इन तीनों का एक महीने और डेढ़ महीने के अन्दर इस हास्पिटल से ट्रान्सफर कर दिया गया है ?

श्री कुम्भाराम आर्य— वह एक साथ नहीं किया गया है।

श्री चाँदमल मेहता—तो एक साथ नहीं किया गया है लेकिन महीने-डेढ़ महीने के अन्दर अन्दर कर दिया गया है।

श्री कुम्भाराम आर्य—उनकी पोस्ट्स पर दूसरे डाक्टर आ गये हैं।

श्री चाँदमल मेहता—नहीं, लेकिन क्या माननीय मन्त्री महोदय के पास इस किस्म की शिकायत पेश हुई कि अनुभवी डाक्टरों के जाने की वजह से किशनगढ़ के हॉस्पिटल की दुर्दशा हो गई है ?

Page No.9

श्री कुम्भाराम आर्य—जो डाक्टर आये हैं वे कम अनुभवी नहीं हैं।

श्री चाँदमल मेहता—क्या मन्त्री महोदय जो नये डाक्टर आये हैं उनका कितने सालों का अनुभव है उनके आधार पर इसकी तुलना करके बता सकते हैं कि उनका कम अनुभव नहीं है?

श्री जवानसिंह—क्या यह सही है कि डा॰ बोहरा किशनगढ़ में पोस्ट होते हुए भी सिरोही में बैठे हुए हैं?

श्री चाँदमल मेहता—माननीय मन्त्री महोदय क्या मेरे प्रश्न का जवाब देना पसन्द नहीं करेंगे?

श्री कुम्भाराम आर्य—नहीं, जरूर करूंगा।

श्री चाँदमल मेहता—तो जवाब दीजिये कि उनका क्या अनुभव है? पिछले ३ डाक्टर जो थे उनका अनुभव कितने वर्षों का था और इन डाक्टरों को अनुभव कितने वर्षों का है? उससे कुछ ज्यादा है या कम?

श्री कुम्भाराम आर्य—यह अलग प्रश्न है।

श्री चाँदमल मेहता—क्या मन्त्री महोदय के पास इस किस्म की शिकायत पेश हुई है कि महीने-डेढ़ महीने के अन्दर इन तीन अनुभवी डाक्टरों का तबादला करने के कारण इस हॉस्पिटल की हालत खराब होगई है?

श्री कुम्भाराम आर्य—ऐसी कोई शिकायत मेरे पास नहीं आई है।

श्री चाँदमल मेहता—क्या इस सम्बन्ध में रजिस्टर्ड लेटर से प्रार्थना-पत्र भेजा गया है; उसकी पोस्ट ऑफिस की रसीद उनके पास पहुँची है, वह भी गलत है?

श्री कुम्भाराम आर्य—मैं गलत नहीं कह रहा हूं। अगर माननीय सदस्य मुझसे जिक्र करते तो अच्छा रहता।

श्री चाँदमल मेहता—क्या यह सही है कि डॉ॰ पुरोहित के वहां से रवाना होते ही इनडोर पेशेन्ट्स थे उनमें से ७-८ को निकाल दिया गया है।

श्री कुम्भाराम आर्य—ऐसी कोई शिकायत नहीं है।

श्री चाँदमल मेहता—क्या यह सही है कि इनडोर पेशेन्ट्स की तादाद कम करने की कोशिश की जा रही है? उन्होंने यहां तक कोशिश की है कि हॉस्पिटल के कमरे कम कर दिये जायं। वहाँ वार्ड में डी. एम. एच. ओ. का दफ्तर कायम किया जा रहा है।

श्री कुम्भाराम आर्य—ऐसा नहीं है।

श्री चाँदमल मेहता—क्या इस बात की मन्त्री महोदय जाँच कराने के लिए तैयार हैं ?

श्री कुम्भाराम आर्य—जाँच की हुई है।

श्री चाँदमल मेहता—यह जाँच किस अफसर ने की और कब की ?

श्री कुम्भाराम आर्य—अफसर का नाम चाहा जायेगा तो दिया जावेगा।

श्री चाँदमल मेहता—मै नाम चाह रहा हूं ?

श्री कुम्भाराम आर्य—नोटिस चाहिए।

श्री चाँदमल मेहता—जाँच कब की गई ?

श्री कुम्भाराम आर्य—यह भी नोटिस में आ जायगा।

श्री जवानसिंह—Will the Hon'ble Minister be pleased to reply part (kh) ? Qualifications of not the Hon'ble Minister, but of the Doctors ?

(हँसी)

श्री उपाध्यक्ष—Next.

श्री जवानसिंह—What about my reply, Sir ?

Should I take it to be the inability of the Hon'ble Minister ?

श्री वेदपाल त्यागी—Hon'ble Chair will explain the question to the Hon'ble Minister.

श्री उपाध्यक्ष—(ख) के बारे में पूछ रहे हैं।

(चिकित्सा सचिव द्वारा मन्त्री महोदय को फाइल देने पर)

श्री जवानसिंह—Why not the Secretary be called for interpretation ?

श्री कुम्भाराम आर्य—(१) डा० आर. एन. मेहरा, एम. बी. बी. एस.

(२) डा० जैन, एम. बी. बी. एस.

(३) डा० मोटानी एल. एम. पी.

Page No.11

श्री जवानसिंह—What about this degree ? Is it post-graduate degree ?

श्री जयनारायण व्यास—The Hon'ble Member should know what M. B. B. S. S. ?

He would rather learn it from the medical professionists.

श्री उपाध्यक्ष—श्री चाँदमल मेहता।

प्रश्न संख्या १३१४

किशनगढ़ नगर के, राजस्थान निर्माण के पूर्व चालू तथा अब बन्द, औद्योगिक कारखाने

श्री चाँदमल मेहता--क्या उद्योग मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) किशनगढ़ नगर में ऐसे कौन-कौन से औद्योगिक कारखाने हैं जो राजस्थान के निर्माण के पूर्व चालू थे और इस वक्त बन्द पड़े हैं ?

(ख) उनके बन्द होने के क्या कारण हैं ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मन्त्री)—किशनगढ़ नगर में निम्नलिखित औद्योगिक कारखाने जो राजस्थान के निर्माण के पूर्व चालु थे इस वक्त बन्द पड़े हैं :—

१. राजस्थान इण्डस्ट्रियल कोरपोरेशन मदनगंज, किशनगढ़ जिसमें एक साथ जिनिंग फैक्ट्री, आइस फैक्ट्री, आयरन रोलिंग मिल्स, प्रेस आदि कायम थे जिनमें से कुछ चालू भी नहीं किये गये।

२ सुमेर-ऑइल मिल्स किशनगढ़।

३. स्टोन पोलिशिंग फैक्ट्री, किशनगढ़। आर्थिक स्थिति का निर्बल होना तथा व्यापार में एकदम कमी आ जाना, योग्य यंत्र-कला-विशेषज्ञों व कार्यकर्ताओं को न रखना और किशनगढ़ का कस्टम फ्री होना; जिसके कारण किशनगढ़ के कच्चे माल पर भी राजस्थान में आने और वहाँ से कच्चा माल ले जाने पर कस्टम लगता है।

श्री चाँदमल मेहता—उद्योगों के बन्द हो जाने के ये कारण हैं, तो क्या उनके निवारण करने के सम्बन्ध में सरकार दिलचस्पी रखती है ?

श्री जयनारायण व्यास—सरकार की दिलचस्पी है लेकिन अर्थ के अभाव के कारण अगर कोई कारखाने बन्द हो जावें तो उन सारे कारखानों को जो बिना सरकार के सहयोग के चालू किये गये हैं उनको आर्थिक सहायता देना सरकार के लिए तब तक सम्भव नहीं है जब तक कि उसकी पूरी जाँच वह नहीं कर ले, और वैसा करना आर्थिक दृष्टि से हानिकारक नहीं है।

Page No.12

श्री चांदमल मेहता—इस सम्बन्ध में किस कारखाने की जाँच कर ली गई है ?

श्री जयनारायण व्यास—सब कारखानों की; चीफ मिनिस्टर ने जो कि उद्योग मिनिस्टर भी है खुद जा कर देखा है। उनके मालिकों को बुलाया और उनसे बात-चीत की है और डाइरेक्टर ऑफ इन्डस्ट्रीज़ और कामर्स उस बारे में और बात-चीत करके उनको चालू कराने की कोशिश कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ११९५

खनिज विभाग में सिक्योरिटीज़ के रूप में १ अप्रेल, सन् १९५४ तक जमा रुपये

श्री चांदमल मेहता—क्या खनिज मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) खनिज विभाग में सिक्यूरिटीज़ के रूप में १ अप्रेल, सन् ५४ तक कितने रुपये जमा थे ?

(ख) उक्त सिक्यूरिटीज़ किस हिसाब से जमा की जाती है ?

(ग) किशनगढ़ सब डिविजन के कितने रुपये सिक्यूरिटी, के जमा हैं और किस-किस के ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मन्त्री)—यह सूचना काफी लम्बी-चौड़ी होने की वजह से अब तक प्राप्त नहीं हो सकी है। बाद में प्राप्त हुई सूचना निम्न प्रकार है :

(क) खनिज विभाग में सीक्यूरीटीज़ के रूप में १ अप्रेल, सन् १९५४ तक ५,१५,८९० रुपये ११ आने जमा थे।

(ख) मेजर मिनरल्स के लिये सीक्यूरीटीज़ मिनरल कन्सेशन रूल्स, १९४९ के अनुसार जमा करवाई जाती है। माइनर मिनरल्स के लिये अभी कोई नियम नहीं हैं। खानों की हैसियत व ठेका वगैरह के अनुसार सिक्यूरिटीज़ नियत की जाकर जमा करा ली जाती है। जिनके ठेके स्वीकृत होते हैं उनकी रकम रख ली जाती है और बाकी लोगों की रकम उसी समय लौटा दी जाती है। आम तौर पर ठेके की रकम की चौथाई रकम सिक्यूरीटीज़ के रूप में जमा करवाई जाती है।

(ग) किशनगढ़ सब डिविजन के नीचे लिखे व्यक्तियों के सिक्यूरीटीज़ के रुपये जमा हैं :

(१) मेजर मिनरल्स :

१. श्री छोटूराम हीरालाल लिमिटेड ७२००)

Page No.13

[श्री जयनारायण व्यास]

२. हिन्द मिनरल्स कम्पनी गोदियाना ४०१)

३. गारनेट माइका माइन्स लि० ३०००)

४. दि राजपुताना माइनिंग सिन्डीकेट

मदनगंज की जमानतें १५००)

(२) माइनर मिनरल्स :

१. श्री छोटुलाल वल्द कजाराम

सिलावट ४००)

१. श्री सुरजमल सरूपचन्द किशनगढ़ ५०१)

९०१)

कुल १३,००१)

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या १३१६

श्री अध्यक्ष—तनसिंह ।

(प्रश्नकर्त्ता अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या १३१७

वन विभाग के रेन्ज अधिकारियों का एकीकरण

श्री जवानसिंह—क्या वन मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या राजस्थान के वन विभाग के रेन्ज ऑफिसरों (Range Officers) का एकीकरण हो गया है ?

(ख) अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री अमृतलाल यादव (वन मन्त्री)—(क) जी हाँ ।

श्री वेदपाल त्यागी—उपाध्यक्ष महोदय, ये कौनसे प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं ?

श्री जवानसिंह—Mr. Dy. Speaker, is the Hon'ble Minister sleeping ?

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न संख्या १३१७ का उत्तर दीजिये ।

श्री अमृतलाल यादव—(क) जी नहीं।

(ख) वन विभाग राजस्थान की पुनः संगठन (री ओर्गेनाइजेशन स्कीम) के अन्तर्गत रेन्ज ऑफिसरान के फिक्सेशन के नियम पुनः बन रहे हैं। रेन्ज ऑफिसरान का फिक्सेशन उन नियमों के स्वीकृत होने पर किया जावेगा।

श्री जवानसिंह—ये नियम कब स्वीकार हो जावेंगे और किस की स्वीकृति के लिये पड़े हैं?

श्री अमृतलाल यादव—पिछले दिनों ज्यादा तादाद में स्टॉफ के सरप्लस हो जाने के कारण फिक्सेशन नियमों को फिर से रिवाइज़ किया जा रहा है। इन नियमों के रिवाइज़ हो जाने के बाद में रेन्जरों का फिक्सेशन किया जायगा।

श्री वेदपाल त्यागी—ये नियम कब से बनाने प्रारम्भ किये गये हैं?

श्री अमृतलाल यादव—कब से की तो कोई तारीख मेरे पास नहीं है। लेकिन मैंने अर्ज किया था कि पिछले समय में नियम बन गये थे। लेकिन ज्यादा स्टाफ को निकालने की बात थी इसलिए उनको रिवाइज करना जरूरी हो गया था।

श्री कंवरलाल जेलिया—क्या यह सही है कि एकीकरण नहीं होने की वजह से रेन्ज स्टाफ में असन्तोष बना हुआ है?

श्री अमृतलाल यादव—जी नहीं।

श्री जवानसिंह—क्या यह सही है कि पिछले फिक्सेशन रूल्स के मुताबिक जंगलात के डिपार्टमेंट के कर्मचारियों का फिक्सेशन भी हुआ है?

श्री अमृतलाल यादव—जी हाँ।

श्री उपाध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या १३१८

महाराजा किशनगढ़ मिल्स लिमिटेड को कस्टम ड्यूटी से मुक्ति

श्री चाँदमल मेहता—क्या उद्योग मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या महाराजा किशनगढ़ मिल्स लिमिटेड को कस्टम ड्यूटी से मुक्त रखा गया है?

(ख) यदि हाँ, तो मिल के कितने रुपये कस्टम ड्यूटी की ओट में अमानत में जमा रखे गये हैं?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मन्त्री)—(क) जी हाँ।

[श्री जयनारायण व्यास]

राजस्थान सरकार की आज्ञा नं० १७ । कस । एस.आर.डी. ४६ ता० ४-११-५० की शर्तें नं० ४ के अनुसार महाराजा किशनगढ़ मिल्स को ईंधन, तेल, दूसरे कच्चे सामान पर किवा और किसी सामान पर कस्टम की आयात ड्यूटी देना लाजमी था लेकिन मिल्स के मैनेजमेंट ने ऐसी वस्तुओं के आयात पर ड्यूटी नहीं दी जिस पर ताकीद करके स्थानीय अधिकारियों ने तारीख ५-१०-४६ से १२-१-५२ तक की कुल ड्यूटी पेटे ४६८६०) रु० वसूल करके अमानत रखे और राज आज्ञा नं० एफ. ६ (११) एस. आर ५० तारीख १६-८-५२ के अन्तर्गत उनकी प्रार्थना अस्वीकृत होने पर वसूल की हुई। रकम आमदनी के सीगे जमा की गई और शेष १६५०)रु० ३ आना जो इसी अवधि के बाकी निकलते थे वे भी वसूल करके आमद में जमा कराये गए। इस वक्त कोई रकम कस्टम ड्यूटी पेटे अमानत जमा नहीं है क्योंकि मिल को कस्टम ड्यूटी की माफी है।

प्रश्न संख्या १४१८

वर्तमान वर्ष में हथियारों के लाइसेन्स रिन्यू कराने के लिये आवेदन पत्र

श्री चाँदमल मेहता—क्या गृह मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:-

(१) चालू वर्ष में हथियारों के लाइसेन्स Renew कराने के लिये आवेदन-पत्र दाखिल करने की अन्तिम तिथि कौनसी थी ?

(ख) उक्त तारीख तक जयपुर जिले के कितने प्रार्थना-पत्र सम्बन्धित अधिकारी के पास पेश किये गये ?

(३) कितने प्रार्थनापत्र लाइसेन्स Renew करने के फैसल किये जा चुके हैं ?

(४) कितने मामले अभी तक पेन्डिग हैं ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मन्त्री) (१)—लाइसेन्स रिन्यू करने के आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने की कोई तिथि निश्चित नहीं की गई। चालू लाइसेन्स की मियाद समय होने से महीना भर पहिले रिन्यू करने के आवेदन-पत्र जिलाधीश के पास प्रस्तुत कर देने चाहिये।

(२)
(३) } प्रश्न नहीं उठता
(४)

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—बीकानेर स्टेट में जो पहले रजिस्ट्रेशन नहीं होता था तो उनके लाइसेन्स कब तक बन जायेंगे ?

Page No.16

श्री जयनारायण व्यास—आपका प्रश्न अच्छी तरह से सुनाई नहीं दिया ।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—फोरमर बीकानेर स्टेट में रजिस्ट्रेशन के लिये जिन लोगों ने एप्लीकेसन्स दे रखी हैं उनके लाइसेन्स कब बनेंगे ? वहाँ पहले रजिस्ट्रेशन सिस्टम नहीं था ।

श्री जयनारायण व्यास—मैंने पहले किसी के प्रश्न के उत्तर में इसका जवाब दे दिया है । शायद सन्धुजी के प्रश्न का उत्तर ही दिया था । फिर भी बतादूं जहाँ पहले लाइसेन्स सिस्टम नहीं था वहाँ भी नये सिस्टम के माफिक लाइसेन्स लेना पड़ेगा । क्योंकि एप्लीकेशन्स बहुत बढ़ गई है और उसके लिये स्टाफ भी बढ़ाया गया है और अब और भी जल्दी की जायगी कि जल्दी से जल्दी लाइसेन्स मिलें ।

श्री चाँदमल मेहता—कितने प्रार्थना-पत्र बाकी हैं जिनका लाइसेन्स अभी तक रिन्यू नहीं किया गया ?

श्री जयनारायण व्यास—यदि इस बारे में अलग प्रश्न पूछा जाय तो मैं बता सकूंगा कि किशनगढ़ और गंगानगर में कितने प्रार्थना-पत्र बाकी हैं ।

श्री चाँदमल मेहता—प्रश्न के भाग (२) में यह बात पूछी गई है ।

श्री जयनारायण व्यास—यह संख्या उपलब्ध नहीं है ।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—जिन लोगों ने एप्लीकेशन्स समय पर देदी थीं क्या वे इसके हकदार नहीं हैं कि उनको समय पर लाइसेन्स मिले ?

श्री जयनारायण व्यास—खाली एप्लीकेशन देना ही काफी नहीं है । एप्लीकेशन की जाँच की जाती है कि एप्लीकेन्ट को लाइसेन्स देना उचित है या नहीं ? जिनके पास हथियार रहने देना वाजिब समझा जाता है उनको लाइसेन्स देने की कार्यवाही की जाती है और जिनको देना वाजिब नहीं समझा जाता उनको नहीं दिया जाता ।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—लेकिन जिनकी जाँच हो चुकी है उनके बारे में क्या हो रहा है ?

श्री जयनारायण व्यास—नियमानुसार कार्यवाही की जायगी ।

श्री वेदपाल त्यागी—क्या आपको विदित है कि जयपुर में जिनके पास पुराने लाइसेन्स थे और जिनको रिन्यू कराने के लिये दरख्वास्त दिये हुए डेढ साल हो गया है उनको अब तक रिन्यू क्यों नहीं किया गया है ?

श्री जयनारायण व्यास—पहले पुराने कायदे के अनुसार रजिस्टर्ड थे उनका नये कायदे के अनुसार रजिस्टर करने का भारत सरकार ने कहा है । इसके अलावा एक बात और भी थी,

Page No.17

[श्री जयनारायण व्यास]

वह यह कि राजस्थान सरकार लाइसेन्स के संबंध में भारत सरकार से पत्र-व्यवहार कर रही है; जैसे मज़ल लोडिंग के बारे में हम यह कोशिश कर रहे हैं कि उनको लाइसेन्स नहीं दिये जाते तो अच्छा रहता क्योंकि मज़ल लोडिंग बन्दूकें बहुत बढ़ गई हैं। भीलों के पास भी मज़ल लोडिंग मिलती हैं। ये इतनी तादाद में हैं कि उनके लाइसेन्स बनाने में भी दिक्कत पड़ती है। लेकिन भारत सरकार ने अभी कोई फैसला नहीं किया है। मामला उलझा हुआ है, इसलिये मुमकिन है देरी हो।

श्री सन्तोषसिंह कछवाहा—क्या माननीय मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिन लोगों के पास हथियार हैं वे रजिस्टर्ड हैं और रिन्यूअल के लिये ले लिये गये वे अभी तक दफ्तरों में पड़े हुए हैं, इसका क्या कारण है ?

श्री जयनारायण व्यास—इसका जवाब दिया गया है कि केवल रजिस्ट्रेशन होना ही काफी नहीं है। नये कानून व कायदों के माफिक सब बातों की पूर्ति होना भी आवश्यक है।

श्री सन्तोषसिंह कछवाहा—नहीं, यह नहीं। मतलब मेरे कहने का यह है कि जिनके लाइसेन्स हैं और वे दफ्तरों में पड़े हुए हैं तो इसमें उन लाइसेन्स वालों की गलती है या दफ्तरों में पड़े हुए हैं; इसमें अफसरों की गलती है ?

श्री जयनारायण व्यास—किसी की गलती नहीं है। नई परिस्थितियों में नये कानून बनाते हैं और नये कानून और परिस्थितियों के माफिक लाइसेन्स होल्डर्स को एडजस्ट करना होगा। इसमें किसी की गलती नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या १३२०

सवाई माधोपुर नगर में प्रसूताओं की गत वर्ष मृत्यु

श्री श्रीदास गोयल—क्या स्वास्थ्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) सवाई माधोपुर नगर में कितनी प्रसूताओं की गत वर्ष मृत्यु हुई ?

(ख) राजस्थान में ऐसे कौन-कौन से जिला केन्द्र हैं जहाँ प्रसूतिगृह नहीं हैं ?

(ग) सरकार जहाँ (जिला केन्द्रों) पर जच्चाखाने नहीं हैं कब तक (उन्हें) कायम कर देगी ?

श्री कुम्भाराम आर्य (स्वास्थ्य मन्त्री)--(क) नगरपालिका की सूचना के अनुसार ४० प्रसूताओं की मृत्यु हुई।

(ख) चूरू, चित्तौडगढ़, बांसवाड़ा, सवाई माधोपुर, डूंगरपुर, सीकर, जैसलमेर।

(ग) जहाँ आवश्यकता होगी यथासंभव व्यवस्था कर दी जायगी।

श्री श्रीदास गोयल—क्या यह सही है कि गंगानगर में ५० हजार की आबादी है फिर भी वहाँ एक जच्चाघर ही है?

(विराम)

श्री गुरुदयालसिंह सधु—गंगानगर का नाम नहीं आया है तो क्या यह समझना चाहिये कि गंगानगर में जच्चाखाना है?

श्री कुम्भाराम आर्य—हाँ, इतना तो आपको समझ ही लेना चाहिए। (हँसी)

श्री श्रीदास गोयल— क्या माननीय मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जिन जिला केन्द्रों में अभी तक जच्चा गृह नहीं बनाये गये वहाँ अकाल मृत्युएं हो रही है, तो वहाँ आपका यह 'यथा-शीघ्र' शब्द कब क्रियान्वित होगा?

श्री कुम्भाराम आर्य—आप फिर से कहिये।

श्री श्रीदास गोयल—जो अभी आपने कहा कि अतिशीघ्र उन जिला केन्द्रों में जच्चाखाने खोले जायेंगे जहाँ कि नहीं हैं और यह भी बताया है कि बहुत-सी अकाल मृत्युएं हो रही हैं तो इन अकाल मृत्युओं को रोकने के लिए यह 'अतिशीघ्र' शब्द कब क्रियान्वित किया जायगा।

श्री कुम्भाराम आर्य—मैंने 'अतिशीघ्र' नहीं कहा।

श्री श्रीदास गोयल—'यथा संभव' के साथ 'अतिशीघ्र' सही।

श्री कुम्भाराम आर्य—'यथा संभव' का अर्थ 'अतिशीघ्र' नहीं होता।

श्री सन्तोषसिंह कछवाहा—क्या माननीय मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बिलाड़ा, पीपाड़ और भोपालगढ़ में प्रसूतिगृह कब खोले जायेंगे?

श्री कुम्भाराम आर्य—यह इस प्रश्न से सम्बन्ध नहीं रखता।

श्री कँवरलाल जेलिया—क्या यह सही है कि जहाँ प्रसूतिगृह मौजूद हैं वहाँ पर भी व्यवस्था ठीक नहीं होने से अकाल मृत्युएं हुई हैं?

श्री कुम्भाराम आर्य—सही नहीं है ।

श्री कँवरलाल जेलिया—क्या सरकार के पास इस सम्बन्ध में किसी एम. एल. ए. के द्वारा यह बात ध्यान में लाई गई थी ?

श्री कुम्भाराम आर्य—यह श्रीमानजी अब अभी प्रकट कर दें तो अच्छा हो ।

श्री कँवरलाल जेलिया—क्या आपके ध्यान में किसी एम. एल. ए. के द्वारा यह बात लाई गई थी कि कोटा के अस्पताल में इस प्रकार की कमी है ?

श्री कुम्भाराम आर्य—आप ही प्रकट कर दें तो क्या आपत्ति है ।

श्री श्रीदास गोयल—यह 'यथा-संभव' की कठिनाई है वह क्या है जिससे कि जच्चागृह नहीं खोले जाते ?

श्री कुम्भाराम आर्य—नहीं, खोले जायेंगे ।

श्री सन्तोषसिंह कछवाहा—प्रश्न (ख) के अनुसार बिलाड़ा, पीपाड़ और भोपालगढ़ में प्रसूति गृह खोलने का प्रश्न पूछा जा सकता है ।

श्री कुम्भाराम आर्य—आप कृपा करके इस प्रश्न को पढ़ियेगा ।

श्री श्रीदास गोयल—आने वाली दीपमालिका तक क्या मैं विश्वास करूं कि जिला केन्द्रों में जहाँ कि जच्चाखाने नहीं हैं वहाँ जच्चाखाने खोल दिये जायेंगे ?

श्री कुम्भाराम आर्य—मैं सदस्य महोदय को सन्तोष दिलाने के लिए इस सम्बन्ध में ज्यादा से ज्यादा कोशिश करूंगा ।

श्री वेदपाल त्यागी—इस उत्तर का मतलब क्या है ?

श्री कुम्भाराम आर्य—काहे का ?

श्री वेदपाल त्यागी—आपने उत्तर दिया उसका क्या अर्थ है ?

श्री कुम्भाराम आर्य—समझने वाले समझ गये ।

श्री जवानसिंह—यह सन्तोष सिर्फ प्रश्नकर्ता के लिए ही है या सदन के लिये ? प्रश्न सदन की जानकारी के लिए पूछा गया है ।

श्री उपाध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या १३२१

पुराने जयपुर राज्य में निजामत का हैडक्वार्टर फुलेरा होने से जेल बनने के चालू किये काय पर व्यय

श्रीमती कमला कुमारी—क्या गृह मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क पुरानी जयपुर स्टेट के समय में जब निजामत का हैडक्वार्टर फुलेरा था उस वक्त वहाँ जेल बनवाने का जो कार्य चालू किया गया था उस पर सरकार का कितना खर्चा लगा ?

(ख) निजामत सांभर चले जाने से जेल बनाने का कार्य जो बन्द हो गया उसके फलस्वरूप कितना सामान बच गया है ? क्या सरकार इस सामान का निश्चित् उपयोग करने का इरादा रखती है ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मन्त्री)—(क) ८५,५७१) रु० ।

(ख) जो सामान बच गया उसका विवरण इस प्रकार है :

(१)	इमारती पत्थर	५,५६७ क्युबिक फीट
(२)	पत्थर की पट्टियाँ आदि	१५१ स्क्वायर फीट
(३)	कंकर ...	२,०३० क्यु० फीट
(४)	कोयला (चूना पकाने का)	६,२१३ ,,

इस सामान का उपयोग न होकर उसको नीलाम कर दिया जावेगा ।

श्रीमती कमला कुमारी—यह कब तक नीलाम किया जायगा ?

श्री जयनारायण व्यास—यह नीलाम, जहाँ तक मेरा खयाल है, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट करेगा और वह जल्दी ही नीलाम करेगा ।

श्रीमती कमला कुमारी—जिस उद्देश्य के लिए यह मंगवाया गया था उस उद्देश्य को पूरा क्यों नहीं किया गया ?

श्री जयनारायण व्यास—इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए यह स्थान पहले वाले स्थान से ज्यादा उपयुक्त समझा गया है ।

Page No.21

श्रीमती कमला कुमारी—फुलेरा बहुत बड़ा स्थान है, उसको क्यों नहीं उपयुक्त समझा गया ?

श्री जयनारायण व्यास—इसलिए कि सांभर इससे भी बड़ा है।

एक माननीय सदस्य—कहीं साँभर में गल कर यह भी नमक नहीं हो जाय ?

(हँसी)

श्रीमती कमला कुमारी—बड़ा होने का सवाल नहीं, फुलेरा केन्द्र स्थान है, वह रेल वगैरह का केन्द्र स्थान है।

श्री जयनारायण व्यास—साँभर भी एक अच्छा केन्द्र स्थान है, वहाँ भी रेल सड़क आदि सब हैं।

श्रीमती कमला कुमारी—तो क्या जिस वक्त सामान खरीदा गया था उस वक्त इन दोनों स्थानों में इतना फरक नहीं था ?

श्री जयनारायण व्यास—पहले भी फरक था। पर कभी-कभी ऐसा होता है कि विशेषज्ञ कभी एक चीज को पसन्द करते हैं तो कभी दूसरी चीज को और बाद में जब दोनों तरफ की बातों की जांच करते हैं तो गलती को सुधार लिया जाता है।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—क्या यह सामान विशेषज्ञों की सलाह से मँगाया गया था ?

श्री जयनारायण व्यास—विशेषज्ञों की सलाह से मंगाया गया था। परन्तु बाद में उनसे अच्छे विशेषज्ञ मिल गये तो फिर इसकी बजाय उस स्थान को विशेष उपयुक्त समझा गया।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—तो जो स्थान के गलत चुनाव से सरकार को नुकसान हुआ है वह इस तरह की राय देने वाले विशेषज्ञों से भराया जायगा ?

श्री जयनारायण व्यास—नहीं, ऐसा नहीं किया जायगा क्योंकि नियमित तौर से ऐसी गलती नहीं की गई है, मामूली तौर से हो जाती है।

श्रीमती कमला कुमारी—क्या मुख्य मन्त्री महोदय को पता है कि साँभर में नया जिला बनने से रहने के लिए मकान वगैरह की सुविधाएं जितनी फुलेरा में है उतनी वहाँ नहीं हैं ?

श्री जयनारायण व्यास—मैं समझता हूँ कि साँभर में सभी तरह से फुलेरा से ज्यादा सुविधाएं पाई गई हैं।

श्री सन्तोषसिंह कछवाहा—क्या सांभर में जेल बनाने का निश्चय करते समय कैदियों के स्वास्थ्य वगैरह का भी ध्यान किया गया है कि सांभर का जलवायु स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है ?

श्री जयनारायण व्यास—वहां का स्वास्थ्य अच्छा है, नमक से बीमारी के कीटाणु मर जायेंगे ।

(हंसी)

श्रीमती कमला कुमारी—क्या इस बात का ध्यान रखा गया है कि वहाँ पर्याप्त मात्रा में पानी और रहने के लिए मकान नहीं होने से वहाँ के लोगों को दिक्कत होती है ?

श्री जयनारायण व्यास—हो सकता है कि लोगों को दिक्कत हो, पर वहाँ के लोग सांभर छोड़कर गये तो नहीं; फिर भी मैं यह कह सकता हूँ कि कैदियों को कोई दिक्कत नहीं होगी ।

श्री उपाध्यक्ष—नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या १३२२

सिरोही शहर के कोयले की खपत के लिए कायम रखे हुये जंगल के नीलाम होने सम्बन्धी

श्री जवानसिंह—प्रश्न संख्या १३२२; जिसके लिए कि मन्त्री महोदय बतावेंगे हो रहे हैं ?

क्या वन विभाग मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सिरोही शहर के कोयले की खपत के लिए कायम रखा हुआ जंगल अब नीलाम किया जाने वाला है ?

(ख) क्या सिरोही शहर की खपत के लिए मुकर्रर रेट पर लकड़ी और कोयले की जो व्यवस्था अब तक थी वह बन्द कर दी गई है और अब न तो कोयला ही प्राप्त होता है और न लकड़ी ही ?

(ग) क्या सरकार को इस सम्बन्ध में पहिले ही आगाह किया जा चुका था ?

(घ) क्या सरकार जब तक शहर की जरूरत के लिए कोयले और लकड़ी का इन्तजाम न हो जाय तब तक पहिले की व्यवस्था कायम रखे जाने का सोच रही है ?

Page No.23

[श्री अमृतलाल यादव]

(क) जी हां।

(ख) सिरोही सरकार ने एक ठेकेदार को जंगलों का ठेका हमेशा के लिये(for unlimited period) दे रखा था, वह नोटिस देकर बंद कर दिया गया है। लकड़ी और कोयला न मिलने की कोई शिकायत नहीं है।

(ग) हां ऐसी चिट्ठी आई थी परन्तु लकड़ी कोयले की सपलाई का दूसरा इन्तजाम किया गया है।

(घ) पहले की तरह अब सिरोही की सप्लाई के लिये एक कूप अलग रख दिया है और उसमें से लकड़ी आने तक भीलों द्वारा रोयल्टी पर तैयार किया हुआ कोयला और लकड़ी जनता को सप्लाई किया जाता रहेगा।

श्री जवानसिंह—इस वक्त क्या प्रबन्ध है ?

श्री अमृतलाल यादव—इस समय यही प्रबन्ध है कि भीलों के द्वारा लकड़ी और कोयले आते हैं।

श्री जवानसिंह—क्या माननीय मन्त्री महोदय बतायेंगे कि इस बरसात की ऋतु में भीलों और दूसरे लोगों के द्वारा शहर में लाकर कोयले सप्लाई किये जाते हैं ?

श्री अमृतलाल यादव—जी हां, सप्लाई किये जाते हैं।

श्री जवान सिंह—इस विषय में क्या जानकारी हासिल करने के बाद ठीक उत्तर दिया गया है।

श्री अमृतलाल यादव—भील कोयले और लकड़ी इकट्ठी करके झोंपड़ों में रखते हैं और इस तरह जमा की हुई लकड़ी और कोयले को शहर में चौमासे में मंहगे भाव से बेचते हैं।

श्री जवानसिंह—प्रश्न मंहगे और सस्ते का नहीं है। प्रश्न यह है कि क्या सरकार इस बात के लिये उचित प्रबन्ध करेगी कि शहर में ऐसा गोदाम रखे जहां भील कोयले और लकड़ी दे जांय और जनता को सुविधा रहे।

श्री अमृतलाल यादव—सरकार ने इस बात की जिम्मेदारी ली है और प्रबन्ध किया है कि शहर की जनता को कोयले और लकड़ी की सप्लाई की व्यवस्था करे और जनता को इसके लिये किसी प्रकार की तकलीफ न हो। भील आते हैं और लकड़ी और कोयला जनता को दे जाते हैं, गोदाम रखने की भीलों के लिये जरूरत नहीं। परन्तु, फिर भी अगर गोदाम रखना जरूरी महसूस होगा तो इस पर विचार किया जायगा।

श्री उपाध्यक्ष—नेक्स्ट।

Page No.24

प्रश्न संख्या १३२३

जयपुर उद्योग लिमिटेड (सीमेन्ट फैक्ट्री) सवाई माधोपुर में राजस्थान की खानों से प्राप्त पत्थर

श्री श्रीदास गोयल—क्या मुख्य मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) जयपुर उद्योग लिमिटेड (सीमेन्ट फैक्ट्री) सवाई माधोपुर ने काम आरम्भ होने से अब तक कितने घनफुट पत्थर राजस्थान की खानों से प्राप्त किया ?

(ख) किस शर्त पर यह पत्थर दिया जाना तय किया गया ?

(ग) सरकार द्वारा कितनी रकम किस हिसाब से वसूल की गई ?

(घ) यदि नहीं व तो क्यों नहीं ?

(ङ) सरकार अब रुपया वसूल करने की क्या व्यवस्था कर रही है ।

(च) सरकार का कौन अधिकारी कब से इन पत्थर की खानों पर यह जांच करने के लिये कि कितना पत्थर जा रहा है मुकर्रर है ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)—चूँकी एग्रीमेन्ट के मुताबिक कम्पनी से कोई रोयल्टी वसूल नहीं की जाती इसलिये पत्थरों को रोयल्टी का हिसाब नहीं रखा गया ।

(ख) फ्री ओफ रोयल्टी ।

(ग) यह सवाल ही पैदा नहीं होता ।

(घ) यह सवाल पैदा नहीं होता ।

(ङ) यह सवाल भी पैदा नहीं होता ।

(च) यह सवाल भी पैदा नहीं होता । मगर खानों की संभाल व निगरानी के लिये एक माइन्स गार्ड सवाई माधोपुर में रहता है ।

श्री श्रीदास गोयल— क्या यह सही है कि साबिक में इस सम्बन्ध में एक प्रश्न पूछा जाने पर सरकार की ओर से उत्तर मिला था कि एक लाख या इस कदर घन फुट पत्थर तो 'फ्री ऑफ रॉयल्टी' दिया जायगा और बाद में रॉयल्टी वसूल की जायगी ?

श्री जयनारायण व्यास— मैं इस बारे में उस प्रश्न और उत्तर को देख कर ही जवाब दे सकता हूँ ।

Page No.25

श्री श्रीदास गोयल— क्या यह सही है कि उन्होंने जितना पत्थर फ्री ऑफ चार्ज मिलना चाहिये उससे ज्यादा क्युबिक फीट काम में लिया है और यदि ज्यादा क्युबिक फीट पत्थर का उपयोग किया है तो क्या सरकार कुछ कदम उठावेगी ?

श्री जयनारायण व्यास—मेरा खयाल है कि इस बारे में जाँच करके स्टेटमेंट के तौर पर मंगा कर देखूंगा और अगर उसमें कोई गलती हुई तो करेक्ट करना पड़ेगा।

श्री उपाध्यक्ष— नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या १३२४

निजामत के फुलेरा से सांभर चले जाने से जनता को कष्ट

श्रीमती कमलाकुमारी— क्या मुख्य मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या निजामत के सांभर चले जाने से जनता और खास तौर से किसानों को अत्यधिक परेशानी हो रही है ?

(ख) क्या सरकार निकट भविष्य में निजामत के प्रधान कार्यालय को फुलेरा में पुनः स्थानान्तरित करने का इरादा रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(ग) यदि निजामत नहीं तो क्या एक एक्स्ट्रा मजिस्ट्रेट का ऑफिस फुलेरा में स्थापित करने की व्यवस्था की जा सकेगी ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री) — जी नहीं, इसकी अभी आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

(ख) जी नहीं, ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ?

श्री उपाध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या १३२५

जच्चाखाने सहित गंगापुर सिविल औषधालय में आठ बिस्तर होने पर भी 'सी' क्लास सेकिन्ड में ही

श्री रिद्धी चन्द— क्या स्वास्थ्य मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) गंगापुर सिविल हॉस्पिटल में जच्चाखाने को मिलाकर आठ बिस्तर होते हुए भी उसे 'सी' क्लास फर्स्ट के स्थान पर सी क्लास सेकिन्ड में क्यों रखा गया है ?

(ख) अब सरकार कब तक गंगापुर अस्पताल को 'सी' क्लास फर्स्ट में डिक्लेयर कर देगी ?

श्री कुम्भाराम आर्य (स्वास्थ्य मन्त्री)—(क) गंगापुर शफाखाने में पलंगों की स्वीकृत संख्या ४ है। मेटर्निटी सेन्टर के पलंग अस्पताल में नहीं गिने जाते इसलिये यह प्रथम श्रेणी की डिस्पेन्सरी नहीं हो सकती।

(ख) अभी ऐसा कोई विचार नहीं है।

श्री जवानसिंह —Will the Hon'ble Minister explain what he means by 'C' Class I and 'C' Class II.

श्री कुम्भाराम आर्य — मैं श्रीमान् की भाषा नहीं समझता।

श्री जवानसिंह — क्या, माननीय उपाध्यक्ष, माननीय मंत्री को इसका अर्थ समझावेंगे? हमारी सरकार के समक्ष में यह प्रश्न नहीं आया है।

श्री चाँदमल मेहता— जब एक मर्तबा यह निर्णय हो चुका है कि हिन्दी भाषा में सभा की कार्यवाही होगी तो फिर अंग्रेजी क्यों काम में ली जाती है?

श्री जवानसिंह — ये नये मंत्री कहां से हो गये?

श्री उपाध्यक्ष — आप अपना प्रश्न दोहराइये।

श्री जवानसिंह—Will the Hon'ble Minister explain what he means by C Class First and C Class Second.

श्री उपाध्यक्ष— आप हिन्दी में प्रश्न दोहराइये।

श्री कुम्भाराम आर्य— आप व्यर्थ ही कष्ट कर रहे है।

श्री जवान सिंह— सी क्लास फर्स्ट और सी क्लास सेकिण्ड से आपका अर्थ क्या है? The Chief Minister will come to his help

(हँसी)

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—आप (मुख्य मन्त्री को सम्बोधित करते हुए) मास्टर साहब तो हैं ही।

श्री उपाध्यक्ष—नेक्स्ट।

श्री जवान सिंह—मेरे प्रश्न का उत्तर पहले मिल जाता तो मैं दूसरा प्रश्न करता।

(चुप्पी)

मेरे प्रश्न का अभी तक उतर नहीं मिला है।

श्री उपाध्यक्ष—भाषा समझ में नहीं आई है।

(अनौपचारिक चर्चाएं)

Page No.27

श्री जवान सिह्— मेरा प्रश्न यह है कि सी क्लास फर्स्ट और सी क्लास सेकिन्ड का अर्थ माननीय मन्त्री महोदय क्या लेते हैं ?

श्री कुम्भाराम आर्य— ऐसी कोई चीज प्रश्न में नहीं है।

श्री जवानसिह्— मुझे ऐसा मालूम होता है कि माननीय मन्त्री जो प्रश्न में लिखा है उसको भी पढ़ने का कष्ट नहीं करते हैं। प्रश्न १३२५ (क) में सी क्लास फर्स्ट और सी कलास सेकिन्ड लिखा हुआ है। क्या माननीय मन्त्री हॉस्पिटिल के मन्त्री होते हुए भी आँख की तरफ से बेखबर हैं, यह मेरा दूसरा प्रश्न है।

श्री कुम्भाराम आर्य — यह प्रश्नकर्ता की भूल पर प्रश्न खड़ा हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष— नेक्सट।

प्रश्न संख्या १३२६

वर्षा ऋतु में गुजरात से सिरोही में हजारों की संख्या में ढोर चराई के लाना

श्री जवानसिह्—क्या वन विभाग मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(क) क्या सरकार को विदित है कि हर साल हजारों गाये तथा भेड़ बकरियाँ गुजरात से सिरोही जिले में वर्षा के मौसम में चराने के लिये लाई जाती हैं और तीन महीने तक ठहरा कर घास खत्म कर दी जाती है ?

(ख) क्या इस साल भी गायों तथा भेड़ बकरियों के गुजरात से राजस्थान में आने की इजाजत है और अगर हां तो किन शर्तों पर ?

(ग) क्या सरकार राजस्थान के पशुओं के लिये चारे का पूरा बन्दोबस्त रखने के लिये प्रतिबन्ध लगाने का विचार कर रही है ?

(घ) क्या गुजरात की सरकार ने राजस्थान के पशुओं के प्रवेश पर प्रतिबन्ध लगा रखा है ?

श्री अमृतलाल यादव (वन मन्त्री)—(क) बम्बई प्रान्त की मवेशी चरने को आती है लेकिन इससे घास खत्म हो जाने की कोई शिकायत नहीं आई।

(ख) हां। इस शर्त पर कि राजस्थान की मवेशी भी इसी तरह बम्बई प्रान्त में जा सकती है।

(ग) जी नहीं। बम्बई व राजस्थान के बीच हुए समझौते के अनुसार दोनों तरफ की मवेशी आ-जा सकेगी।

Page No.28

[श्री अमृतलाल यादव]

(घ) जी नहीं।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—On a point of order......

श्री चन्दनमल वैद—There can be no point of order in vacuum

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—Have you (Shri Vaid) occupied the chair of the Dy. Speaker

श्री वेदपाल त्यागी—I think you(Sri vaid) are giving a ruling.

(हँसी)

सदन से अनुपस्थित रहने की अनुमति

उपाध्यक्ष—सभा की कार्यवाही प्रारम्भ होने से पूर्व मैं सदस्यों को सूचित करता हूँ कि श्री प्रतापसिंह, डि० नं० ११७, ने विधान सभा की बैठकों से ३१ जुलाई से १० अगस्त, सन् १९५४ तक, अनुपस्थित रहने की आज्ञा के लिये प्रार्थना की है।

क्या सदन की यह अनुमति है कि उन्हें अनुपस्थित रहने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

एक माननीय सदस्य—क्या ३१ जुलाई से या ३ अगस्त से अनुपस्थित रहने की आज्ञा चाही गई है ?

श्री उपाध्यक्ष—३१ जुलाई से १० अगस्त तक और उसके आगे भी फर्दर एक्सटेन्शन।

श्री अध्यक्ष द्वारा अध्यक्ष-पद ग्रहण न करने पर वाद-विवाद

श्री उपाध्यक्ष—श्री वेदपाल त्यागी द्वारा......

कुँ० श्री जसवन्तसिंह— Sir, I have raised a point of order—आपकी आज्ञा से मैं यह जानना चाहूँगा कि हमारे जो रूल्स ऑफ प्रोसिजर और कॉन्डक्ट ऑफ बिज़नेस है उसके रूल १० की पाबन्दी आज तक क्यों नहीं की गई ? रूल्स ऑफ प्रोसिजर एण्ड कन्डक्ट ऑफ बिजनेस यह कहता है कि ....

"If, at the commencement of a sitting, the Speaker is unavoidably absent, the Secretary shall inform the Assembly of the fact, before the Deputy Speaker, or if he is also absent, a Chairman, takes the chair."

Page No.29

Infection

तो मैं यह जानना चाहूँगा कि क्या कोई खास रियायत स्पीकर साहब के साथ की गई है या हमारे ऑपोजिशन के साथ यह ज्यादती की जाने की बात थी, या क्या यह सदन को भुलावे में रखने की बात थी ? कृपा करके इसका स्पष्टीकरण कर दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—जब कि आपके सामने यह अनाउन्स किया गया कि उपाध्यक्ष आ रहे हैं तो इसके अन्दर यह मान लिया गया कि अध्यक्ष नहीं आ रहे हैं।

(हंसी एवं राज्य पक्ष द्वारा करतल ध्वनि)

कुं० श्री जसवन्तसिंह—Sir, should we take this as your ruling that in future this will be so ?

श्री उपाध्यक्ष— यस, कोई मेटीरियल बात इसमें नहीं है; कोई खास महत्व की बात इसमें नहीं है।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—क्या रूल का उल्लघन करना आप मानते हैं या नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष—यही मानकर यह बात रह गई है।

(हंसी तथा विपक्ष द्वारा करतल ध्वनि)

श्री हरिकृष्ण व्यास का विशेषाधिकार प्रस्ताव

श्री उपाध्यक्ष—अब हमारे सामने नो कान्फीडेन्स मोशन का प्रश्न है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—मैंने माननीय उपाध्यक्ष, एक प्रिविलेज मोशन का नोटिस २६-३-५३ को दिया था।

श्री उपाध्यक्ष—मेरे सामने नहीं है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—उसके विषय में मुझे अब तक कोई सूचना नहीं दी गई है कि आया वह मंजूर किया गया या नामंजूर किया गया ? कहा यह गया कि माननीय अध्यक्ष, उस पर विचार कर रहे हैं। २६-३-५३ को दिया गया वह मोशन है और उस पर विचार हो रहा है तो क्या यह समझा जाय कि पूरा सेशन पांच साल का खतम हो जायगा तब तक भी उसकी राह देखते रहें ? सूचना कब तक दी जायगी ?

श्री उपाध्यक्ष— आपको सोमवार को या जब वे इस पर विचार कर लेंगे तब आपको सूचित कर दिया जायगा।

श्री हरिकृष्ण व्यास— वह २६-३-५३ का है, २६-३-५४ का नहीं।

श्री उपाध्यक्ष— यह मैं दफ्तर से दर्याफ्त करता हूँ और चूंकि यह अभी सामने नहीं है इसलिये उत्तर नहीं दिया जा सकता।

श्री अध्यक्ष के प्रति अविश्वास के प्रस्ताव पर वाद-विवाद एवं निर्णय

श्री उपाध्यक्ष—श्री अध्यक्ष के विरुद्ध नो कान्फीडेन्स मोशन जो श्री वेदपाल त्यागी द्वारा २ अप्रेल, १९५४ को दिया गया था आज वह लिया जाने को है। उसका तरीका वही है जो कि आपके सामने लिस्ट ऑफ बिनेज़स के साथ नियम भेजकर बताया गया है। जो अविश्वास का प्रस्ताव आया है वह मैं पहले आपके सामने पढ़कर सुनाऊंगा और उसके बाद सदस्यों से निवेदन करूंगा कि जो स्वीकृति देने के पक्ष में हों वे अपने-अपने स्थान पर खड़े होंगे।

श्री वेदपाल त्यागी—माननीय उपाध्यक्ष, मुझे कुछ ऐतराज हैं जो अर्ज करना चाहता हूँ और आपकी रूलिंग चाहता हूँ। मेरा ऐतराज यह है कि मैंने २ अप्रेल को इस मोशन को मूव करने के लिए नोटिस दिया था और २१ मई को यह मोशन हमारे एजेन्डा में दाखिल कर दिया गया था। २१ तारीख को बद किस्मती से एक दूसरा प्रश्न उपस्थित हो गया जिसके कारण इस मोशन पर विचार नहीं हो सका। मैं यह निवेदन करूंगा कि पहले यह मोशन एजेन्डा पर आ गया था और उसके बाद में नियम बनाये जाते हैं तो वे उस पर लागू नहीं हो सकते, उस मोशन पर लागू नहीं हो सकते। इसके अतिरिक्त मैं यह भी निवेदन करूंगा कि आपने जो यह नियम बनाया है कि विधान सभा द्वारा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के विरुद्ध यदि अविश्वास का प्रस्ताव आये तो उसमें १-५ सदस्य स्वीकृति दें तो उस पर विचार किया जा सकता है, लेकिन वह नियम अभी तक शाया नहीं हो सका है, गजट में शाया नहीं हो सका है और चूंकि जो मेम्बर एबसेन्ट हैं उनको सूचना नहीं मिली है कि विधान सभा में ऐसा हो चुका है। इसलिए ऐसी हालत में यह अनजस्टीफाइड होगा, अनइक्वीटेबल होगा कि उन लोगों को चान्स नहीं दिया जाय जो विधान सभा से एबसेन्ट हैं कि वे अपनी स्वीकृति दे सकें या न दे सकें। अतः ऐसी हालत में मैं यह निवेदन करूंगा कि उन सूरतों में यह जो नया रूल बनाया गया है वह मेरे इस प्रस्ताव पर लागू नहीं हो सकता है; क्योंकि यह प्रस्ताव पहले प्रस्तुत कर दिया गया था, विधान सभा के एजेन्डा में आ चुका था और उस दिन उस पर विचार नहीं हो सका क्योंकि उस दिन झगड़ा पड़ गया था और विधान सभा की बैठक स्थगित कर दी गई थी।

तीसरी बात मैं यह अर्ज करूंगा कि आज सुबह ही मैंने स्थानीय पेपर्स में यह बात देखी है कि विधान सभा के ६६ मेम्बरों ने अध्यक्ष को मेमोरेन्डम दिया है कि वे उनमें विश्वास नहीं करते। मेरे प्रस्ताव पर वे लोग डिसिप्लिन की वजह से खड़े न हों, ऐसा हो सकता है और विधान सभा में ऐसा वातावरण चले। ऐसी सूरत में मैं यह भी निवेदन करूंगा कि किसी टेक्निकल ग्राउन्ड की शरण न लेकर मैंने जो प्रस्ताव रखा है उस पर विचार करने की स्वीकृति प्रदान की जाय।

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय उपाध्यक्ष, एक कानूनी एतराज मुझे भी करना है। जो प्रस्ताव विधान सभा में दो दिन पहले पास किया गया था उस नियम को किसी भी हालत में इस पर नहीं माना जा सकता है। वह तो विधान सभा की राय व्यक्त करने वाला एक प्रस्ताव था।

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

हमारे रूल्स ऑफ प्रोसिजर एन्ड कॉन्डक्ट ऑफ बिज़नेस में नियमों के रूप में नियम डालने का अधिकार मौजूदा हालत में केवल माननीय अध्यक्ष को है और वह नियम तब ही लागू किया जा सकता है जब कि वह बाकायदा जिन संविधान की धाराओं के अन्तर्गत उनको वे अधिकार हैं, उन्हीं धाराओं के अन्तर्गत दिये हुए अधिकारों का प्रयोग कर वे न सिर्फ नियम बना दें बल्कि साथ ही साथ वे नियम गजट में भी आया हो जाँय। मुझे अब तक सूचना नहीं है माननीय उपाध्यक्ष, कि इस प्रकार का कोई नियम गजट में आया हो चुका है। अतएव आज जिस समय यह प्रश्न विचारार्थ लिया जाने वाला है उस समय तक ऐसा हमारे रूल्स ऑफ प्रोसिजर एन्ड कॉन्डक्ट ऑफ बिज़नेस में कोई नियम नहीं है। जिसके द्वारा स्वीकृति सदन की माँगने की आवश्यकता पड़े। और चूंकि ऐसा नियम नहीं है। इस परिस्थिति में माननीय श्री वेदपाल त्यागी को सदन की स्वीकृति माँगने के लिए कहना अथवा मजबूर करना यह हमारे मौजूदा नियमों का उलंघन होगा। इसलिए पहले यह बताया जाय कि नियम बनाया गया है अथवा नहीं ?

नम्बर दो वह गजट में आया हुआ है या नहीं ?

और यदि इन दोनों चीजों का उत्तर 'नहीं' में हो तो ऐसी हालत में यह जो प्रोसिजर फोलो कर रहे हैं वह इल्लीगल (illegal) है। इसलिए मैं दरख्वास्त करूंगा कि वह प्रोसिजर फोलो नहीं किया जायगा और उन्हें प्रस्ताव प्रस्तुत करने दिया जायगा।

कु॰ श्री जसवन्तसिंह—मेरी भी एक वैधानिक आपत्ति है। मेरी आपत्ति यह है कि सदन द्वारा रूल्स कमेटी बनाई गई है। कमेटी का काम यह है कि अगर कोई भी रूल मौजूदा रूल्स ऑफ प्रोसिजर में लाया जायगा या अमेन्डमेंट लाया जायगा तो सिर्फ उसको रूल कमेटी ही बना सकती है और फिर वह अपनी रिकमन्डेशन के साथ स्पीकर साहब के साथ भेजे और स्पीकर साहब अपनी सेन्कशन दें। मैं भी रूल्स कमेटी का एक सदस्य हूँ और जहाँ तक मुझे मालूम है रूल्स कमेटी की मीटिंग इस रूल को पास करने के लिए आज तक नहीं बुलाई गई और अगर बुलाई गई है तो मुझे उसकी इतला नहीं मिली है। चार दिन पहले या तीन दिन पहले मैंने माननीय अध्यक्ष से बात की और यह तय हुआ कि रूल्स कमेटी बुलायेंगे और मेरा यह भी ख्याल है कि उस वक्त वहाँ इस सदन के सेक्रेटरी भी मौजूद थे। अगर रूल्स कमेटी बुलाई गई है तो मुझे नहीं बुलाया गया। यह रूल हमारे पर लाद दिया गया है। यह मेरा अधिकार है कि अगर रूल्स कमेटी की बैठक बुलाई जाती तो मुझे भी बुलाना लाजमी था इसलिए मैं इस रूल को वैधानिक नहीं मानता हूँ और यह रूल आज लागू नहीं किया जा सकता है।

श्री भैरोंसिंह (डि० नं. १६)—माननीय उपाध्यक्ष, इस सम्बन्ध में मेरी भी एक वैधानिक आपत्ति है। उपाध्यक्ष महोदय, कार्य सूची को देखने से मालूम पड़ता है कि आज इस सदन में दो अविश्वास के प्रस्तावों के सम्बन्ध में विचार किया जायगा। एक प्रस्ताव द्वारा माननीय अध्यक्ष में अविश्वास प्रगट किया गया है और दूसरे प्रस्तावों में माननीय उपाध्यक्ष के प्रति अविश्वास प्रगट किया गया है। हमारे विधान में यह स्पष्ट बात लिखी हुई है कि यदि किसी भी विधान सभा के

Page No.32

[श्री भैरोंसिंह]

अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास के प्रस्ताव पर विचार किया जाय तो उस समय न तो अध्यक्ष और न उपाध्यक्ष उस सदन की कार्यवाही को चला सकते हैं, उस दिन के कार्य को संचालन करने के लिये पेनल ऑफ चेयरमेन में से कोई भी महानुभाव इस पद की शोभा को बढ़ाते हैं। मेरी यह वैधानिक आपत्ति है और चूंकि यह विधान के प्रतिकूल है इसलिये मेरा यह सुझाना आवश्यक हो गया है। मैं समझता हूं इस पर आप गौर फरमायेंगे।

श्री उपाध्यक्ष—जो नियम रूल्स कमेटी ने पहले अपनी तरफ से तजवीज किये थे किन्तु उस वक्त स्पीकर के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव सामने था तो स्पीकर महोदय ने यह उचित समझा कि इसको हाउस के सामने रखा जावे। इस प्रकार के रूल को रूल्स कमेटी द्वारा बनाने के बजाय हाउस द्वारा बनाया जाय। हाउस को रेफर करने पर चीफ मिनिस्टर ने एक प्रस्ताव रखा जिस पर हाउस में लम्बी-चौड़ी बहस हुई। फिर वह नियम दुबारा बहस के लिये आया और हाउस ने उस पर एक नियम बनाया। तो जिस नियम को हाउस बना देता है उसके बाद उसके ऊपर की संस्था या और कोई लेजिस्लेचर बोडी नहीं है जिसकी स्वीकृति ली जाय। तो जो यह नियम बना है, वह रूल्स कमेटी ने जो रिकमेन्डेशन की है उसी से मिलता-जुलता है। चूंकि हाउस इस नियम को पास कर चुका है उसके बाद यह कोई प्रश्न नहीं उठता।

अब रही बात गजट में शाया न होने की। तो वह गजट में शाया होने के लिये भेज दिया गया। इसलिये गजट में शाया होने पर ही इसकी स्वीकृति दी जाय यह सवाल नहीं रहता। हाउस के सदस्यों ने हाउस की कार्यवाही के लिये जो नियम बना दिये हैं वे ही काफी है।

श्री हरीकृष्ण व्यास—क्या यह गजट में पब्लिश हुआ है या नहीं, इसकी इत्तला दी जाय ?

श्री उपाध्यक्ष—चूंकि यह नियम सदन द्वारा ही किया गया इसलिये इस पर राजप्रमुख या किसी की स्वीकृति का प्रश्न नहीं उठता।

अब रहा अविश्वास का प्रस्ताव। अविश्वास का जो प्रस्ताव है चूंकि उस वक्त कोई नियम नहीं था इसलिए उस से मिलते जुलते नियम के अनुसार कार्यवाही की जाती है। जो दिन रेजोल्यूशन के लिये नियत था उसी दिन इस कार्यवाही को उठाया गया रेजोल्यूशन को जिस मेम्बर ने रखा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के रिमूवल के लिए, विधान में जो नियम है, रेजोल्यूशन फोर रिमूवल है, रेजोल्यूशन रखने वालों की तरफ से यह बात उठाई जाने पर रेजोल्युशन करने वाले सदस्य को पुकारा गया और कहा गया कि वे अपने अविश्वास के प्रस्ताव को प्रस्तुत करें। लेकिन प्रस्तावक ने प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया। यह उस वक्त की कार्यवाही को देखा जायगा तो पता चलेगा कि उसको दो दफा प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिये पुकारा गया जो कि उस दिन की कार्यवाही में मौजूद है और उसी के आधार पर यह माना था कि कोई कार्यवाही नहीं की जानी चाहिये क्योंकि प्रस्तावक स्वयं अपने प्रस्ताव को प्रस्तुत नहीं करना चाहते। अगर कोई प्रस्तावक अपने प्रस्ताव को प्रस्तुत नहीं करता है तो रूल्स ओफ बिजनेस में (शायद मेरे ख्याल से) वह रूल

[श्री उपाध्यक्ष]

८५ है जिसकी तहत उसे withdranw माना जाय। इसी विचार withdrawn से मान लिया गया। चूंकि श्री वेदपाल त्यागी इस प्रस्ताव को प्रस्तुत नहीं करना चाहते थे, बाद में लीडर ऑफ अपोजीशन और दूसरे सदस्यों ने बार बार स्पीकर साहब से बात चीत की और कहा कि हमारे ख्याल से वह प्रस्ताव प्रस्तुत ही नहीं हुआ। चूंकि हम रूल बनाने की बहस में रह गये थे इसलिये हमें यह पता नहीं चला कि मूवर को कब पुकारा गया। इस पर विरोधी दल को एक रियायत दी जाय इस विचार से दुबारा लाने के लिये माननीय अध्यक्ष ने स्वीकृति दी। मेरी भी यही सिफारिश थी, उसे स्पीकर साहब ने कन्सेन्ट किया और इसको दुबारा लाने की आज्ञा दी गई। तो इस दृष्टि से यह एक तरह से वापिस ले लिया गया समझा जाना चाहिये।

अब रूल हमारे सामने है उसके मातहत यह कार्यवाही होगी।

श्री वेदपाल त्यागी—माननीय उपाध्यक्ष, मैंने जो आपत्ति उठाई थी उसका उत्तर नहीं मिल रहा है। मेरी आपत्ति यह थी कि यह मेरा प्रस्ताव पहले पेश हो चुका है, माननीय अध्यक्ष द्वारा इसकी एडमिसिबिलीटी(admissibility) को मन्जुर किया गया और इसको एन्जडो पर रख दिया गया। ऐसी हालत में कोई रूल अगर बना भी हो, गजट में उसके शाया न होने के कारण भी अगर उसकी वेलिडिटी मान लेते हैं तो भी उसको रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं दिया जा सकता। मेरा प्रस्ताव एक दफा एजेन्डा पर आ चुका है इसलिये यह रूल मेरे प्रस्ताव पर किसी भी प्रकार लागू नहीं हो सकता।

श्री उपाध्यक्ष—इसका उत्तर कि आया ये रूल के पहले दरवेश थे या इस प्रस्ताव के आने के बाद; इस बहस में हमें अब न पड़ना चाहिये, जब कि हमने आपके कहने के मुवाफिक इस प्रस्ताव को दुबारा लेना स्वीकार कर लिया। तो वह उसी रूल के मुवाफिक लिया जावेगा जो कि स्वीकार हो चुका है। वह रूल इसलिये बनाया गया कि इसके लिये कोई स्वतंत्र रूल नहीं था। अब यह आपत्ति उठायी जाय कि यह रूल तो बाद में बना और प्रस्ताव पहले आ चुका था, तो पहले और पीछे का जो प्रश्न है उस पर काफी बहस हो चुकी है जोर, शोर से और टेन्शन के साथ हो चुकी है। मैं विरोधी दल के सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि उन पुरानी बातों को फिर से न लावें क्योंकि यह सदन के लिये अच्छी बात नहीं होगी और मैं तो एक प्रकार से यह भी मानता हूँ कि जो कुछ आप लोगों को बातें कहनी थीं जो कुछ आपके मन में था रूल बनने पर जो तीन दिन तक बहस चली उसके दरमियान आप वे सब बातें कह चुके हैं जो आप अविश्वास के प्रस्ताव पर कहना चाहते थे, इस तरह से आपकी मन्शा तो पूरी हो गई।

कु० श्री जसवतसिंह—दबी जुबान से कहा गया।

श्री हरिकृष्ण व्यास—दरअसल वे बातें पूरी नहीं हुई।

श्री उपाध्यक्ष—हो सकता है कि बड़ी बड़ी बातें रह गई हों, किन्तु विधान के अन्दर अब वह विधान है कि एक सदन के सदस्य को जिसे आप सब मिल कर ऊंचे ओहदे पर बिठाते हैं तो आपको उसके प्रति पूर्ण सम्मान रखना चाहिये। अगर उनका बर्ताव आप उपयुक्त नहीं समझते हैं तो उनको

[श्री उपाध्यक्ष]

आप ओनरेबली पृथक कर सकते हैं और मेरा तो यह ख्याल है कि ऐसी हालत में वे स्वयं भी पृथक होने की ख्वाहिश कर सकते हैं। इस ओहदे पर जो कोई भी रहता है उसका सम्मान रखना चाहिये, यह सदन की व्यवस्था की दृष्टि से आवश्यक है और कार्यवाही को सुचारु रूप से चलाने के लिये और सभ्यता के नाते जिस ऊंचे ओहदे पर आपने बिठाया है उसके अनुकूल शोभा देने वाली बात होनी चाहिये। कोई नाराजगी अगर किसी के मन में है तो उसको बहुत बढ़ा-चढ़ा कर कहना और हर विषय में छेड़-छाड़ करना उपयुक्त नहीं लगता। जो बातें आप कहना चाहते हैं, जो कुछ आर्ग्युमेन्ट आप देते हैं वह वैसे ही लोगों के सामने आजाते हैं और अगर यह अनुचित व्यवहार है तो समय पर उसका असर होता है और वह चीज अपने समय पर ठीक हो जाती है।

इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि इस बहस को न करके और जैसा कि लिस्ट ऑफ बिजनेस में यह बात रक्खी गई है उसको लिया जावे।

एक वैधानिक प्रश्न श्री भैरोंसिंहजी ने उठाया। उसके बारे में मेरा यह कहना है कि उन्होंने पूरे ध्यान से विधान को नहीं पढ़ा। उसमें यह बात है कि स्पीकर भी स्वीकृति देने के वक्त तक प्रेसाइड कर सकता है, उनके विरुद्ध नो कान्फीडेन्स के मोशन पर। लेकिन हाउस की स्वीकृति हो जावे और इसके बाद वह सब्सटेन्टिव मोशन जिस रोज बहस के लिए लिया जाय उस रोज स्पीकर या डिप्टी स्पीकर अपने खिलाफ अविश्वास के प्रस्ताव पर विचार किये जाने तक प्रेसाइड नहीं कर सकते। पर, उस रोज भी, विधान में यह लिखा है, कि वह सदन में बैठ कर उसकी बैठक में भाग ले सकता है एक सदस्य की हैसियत से और वोटिंग अगर हो तो उसके अन्दर वोट दे सकता है अपने फेवर में। सिर्फ उस वक्त वोट नहीं दे सकता कि जब दोनों तरफ बराबर वोट आ जावें।

तो मन्शा विधान की यह है कि आसानी से स्पीकर के विरुद्ध कार्यवाही न हो।

फिर रिमूवल के बारे में भी एक विशेषता रक्खी है कि स्पीकर के रिमूवल के लिये या डिप्टी स्पीकर के रिमूवल के लिये, दोनों को एक ही लाइन में लिया गया है, They are officers of the Assembly तो इनके लिये यह रक्खा गया है कि जो टोटल Strength हाउस की हो उसका बहुमत होना चाहिये यानि ८१ सदस्य हों तब उनके रिमूवल का प्रस्ताव पास हो सकता है। जब कि मिनिस्टरों के विरुद्ध, जो सदस्य सदन में हाजिर हों उस दिन, उसका बहुमत काफी माना गया है।

तो मेरे विशेष कहने का प्रयोजन यह है कि यह विशेष रियायत जब उन्हें दी गई है तो यह आप लोगों के सोचने की बात है कि जिसको आप एक स्पीकर बनाकर ऊंची कुर्सी पर बिठाते हैं तो वह भी तो एक सदस्य है और फिर उसको बिठाकर जब तक वह रहता है, तब तक उसको सम्मान और आदर आपको बराबर देना चाहिये और अगर आपको कोई शिकायत हो तो उसको भी प्रगट करने के रास्ते हैं। उसको आपने प्रगट कर दिया। पर यह कोई जरूरी नहीं कि इस सदन का जो स्टेटस है, पोजीशन है, उसके विरुद्ध कोई तरह की बात उसमें हो। तो इतनी बात मैंने आपसे निवेदन कर

[श्री उपाध्यक्ष]

दी है जो इसके आरम्भ की है और मैं समझता हूँ कि आप इस पर, मेरे इस निवेदन पर, ध्यान देंगे और इसमें कोई झगड़ा नहीं उठावेंगे।

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय उपाध्यक्षजी, मैं इस प्रश्न के सिलसिले में कोई अर्ज नहीं करना चाहता ; मैं तो सिर्फ एक कानूनी मुद्दा है उस पर आपकी रूलिंग अथवा इस पर निर्णयात्मक रूलिंग हो जावे, यह चाहता हूँ।

यहां ऐसा समझा जा रहा है कि हाउस में एक रूल बना दिया गया कि अविश्वास के प्रस्ताव में वह लागू हो। पर मैं समझता हूँ कि हाउस ने ऐसा कोई रूल नहीं बनाया। हाउस ने तो रूल बनाया जावे ऐसी राय दी है। रूल बनाने के बीच में और रूल बनाया जावे ऐसी राय व्यक्त करने के बीच में कानूनी काफी बड़ा अन्तर है। ऐसी परिस्थिति में यह मानना पड़ेगा कि हाउस ने कोई रूल नहीं बनाया। I contest this statement अब रूल बनाया है माननीय अध्यक्ष ने और वह उन्होंने सदन के अन्दर जो अधिकार दिये गये हैं उनको प्रयोग करके बनाया है। तारीख ५ अगस्त को उनका नोटिफिकेशन है। इसमें यह लिखा है कि चीफ सुपरिन्टेन्डेन्ट, गवर्नमेन्ट प्रेस, जयपुर को हमने ये कागजात भेज दिये हैं कि वह इन्हें जल्दी से जल्दी छाया कर दे। पर प्रश्न यह है कि बगैर पब्लिश हुए भी रूल रूल गिना जा सकता है क्या ?

I submit, Sir, that there is no rule in existence unless it is published in the Gazette. I submit, sir, that it is not enough for the Assembly Secretariat to circulate the rule among the Hon'ble Members of the House. It is not a question of information alone. It is a question of legal validity, and unless a rule framed under Article 5 of the Constitution is published in the Gazette, I submit that it has no legal existence, and therefore, we cannot take the rule into account. This is a matter which we shall have to decide very judiciously. It may even go in reference to certain higher bodies which determine the status of laws and their application. We would like to know whether there is a rule or not ? We say that there is no rule.

I want a definite ruling on this point. I submit that there is no rule in xistence.

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—माननीय उपाध्यक्षजी, मैं एक क्लेरिफिकेशन जानना चाहूँगा कि जो कानून हम यहां पास करते हैं वह जब तक गजट में छाया नहीं किया जाता उसके पहले ही क्या उसका लीगल फोर्स हो जाता है ? अगर हो जाता है तो आपकी यह दलील कि इसका भी लीगल फोर्स हो जाता है, क्या ठीक है ? पर अगर जैसी कि मेरी धारणा है कि कोई भी कानून जो हम यहां पास करते हैं, जब तक प्रकाशित नहीं हो जाता है तब तक लीगल फोर्स उसमें नहीं रहता हैं, इस पर जरा आप गौर फरमाने की कृपा करें।

श्री उपाध्यक्ष—मेरा इस सिलसिले में यह कहना है कि यह एक्ट या सेक्शन ऑफ एक्ट नहीं है। कहने का यह अर्थ है कि यह रूल्स ऑफ प्रोसीजर हैं और प्रोसीजर की जब दिक्कतें पेश

Page No.36

[श्री उपाध्यक्ष]

आती हैं तो प्रोसीजर को बनाने के लिये आपने देखा होगा कि, "as the Speaker may direct.'

कई जगह रूल्स ऑफ बिजनेस में भी लिखा गया है कि जिस प्रोसीजर की आवश्यकता है स्पीकर समय समय पर सिलेक्ट कमेटी के सिलसिले से और भी मौकों पर इस बात को ध्यान में रख-कर, बना सकता है।

तो पहले तो हमें इन दो बातों के बीच में भेद करना पड़ेगा । एक तो एक्ट और सेक्शन ऑफ एक्ट में और दूसरा रूल्स और रूल्स ऑफ प्रोसीजर में। तो इस वक्त जो हमारे सामने बात है वह रूल्स की है कि कौनसी कार्यवाही किस तरह से की जावे। इस रूल को बनाने के लिये जिस तरह की सिफारिश रूल कमेटी ने की थी और चीफ मिनिस्टर ने जो प्रस्ताव सदन में रक्खा वह उसी के आधार पर उसी के माफिक था और चूंकि स्पीकर उसे स्वीकार कर सकता था और चूंकि स्पीकर ने उसे स्वीकार कर लिया; अतः स्वीकार होने के बाद कोई प्रश्न नहीं उठता। ये पहले भी रूल्स स्पीकर के स्वीकार किये हुए हैं । तो उस हद तक वह चीज आप मान चुके हैं।

अब रहा इसके लिये तो चूंकि यह स्पीकर से कन्सर्न रखता था इसलिये उन्होंने और ज्यादा इसकी मजबूती के लिए इस बात को सदन के सामने रक्खा और सदन ने भी रूल्स कमेटी की रिकमन्डेशन का ही समर्थन कर दिया और रेजोल्यूशन पास कर दिया और स्पीकर ने इसको अपनी स्वीकृति दे दी। तो प्रोसीजर का कम्प्लीशन मुकम्मिल करने की जितनी कार्यवाही होती थी उससे भी ज्यादा मजबूती की कार्यवाही की गई और गजट में शाया होने के लिये भेज दिया गया।

तो मेरा निवेदन यह है कि इसके अन्दर जो यह बात जरूरी थी वह की गई और यह प्रोसीजर का मामला था । यह पहली बात मैंने निवेदन की। दूसरी बात यह है कि यह प्रोसीजर ऐसा है जो सारे सदन का और रूल्स कमेटी का बनाया हुआ है। इसको समर्थन सारे सदन का प्राप्त हो चुका है और फाइनली स्पीकर ने भी स्वीकार लिया, जैसी कि फोर्मेलिटी होती है।

तो इन सब बातों के होने के बाद में यह मानता हूँ कि यह अन्दरूनी हमारी कार्यवाही के लिये मुकम्मिल प्रोसीजर बन गया है और प्रोसीजर जब हम बनाते हैं तो वह इम्मीजिएटली इफेक्ट में आ जाता है। तो एक्ट की तरह इसको लेना ठीक नहीं है। एक्ट की तरह इसका अगर प्रकाशन न भी हुआ हो तो इस प्रोसीजर के लिये प्रकाशन का होना अनिवार्य बात नहीं है।

इसको लेने के पहले आपस में चर्चा भी कर ली गई थी कि यह मुकम्मिल है कि नहीं और आज लेने के बजाय फिर यह सवाल उठाना कि चार दिन के बाद में इसे सदन में लिया जावे तो यह बात होने वाली नहीं क्योंकि यह तो अप्रेल से अब तक पड़ा रहा है।

लेकिन यह मानकर कि अब इसमें कोई लीगल फ्लॉ (flaw) नहीं है इस बात को लिया जाय और जो कुछ इस बात पर पहले चर्चा हो गई तो मैं यही मानता हूँ कि यह रूल बनाने का जो अधिकार था उसके मुताबिक बनाये गए थे।...

Page No.37

श्री अवनिकुमार मुकर्जी—What about absentee members ?

श्री उपाध्यक्ष—और इसमें कोई खामी नहीं है।

श्री अवनिकुमार मुकर्जी—What about the absentee members ? How can it be formed ?

श्री वेदपाल त्यागी—माननीय उपाध्यक्ष, एक बात जिसकी तरह श्री एच. के. व्यास ने तवज्जह दिलाई है कि रूल नोटीफाई नहीं हुआ है और रूल नोटीफाई जब तक न हो जाय तब तक वह वेलिड रूल नहीं कहे जा सकते हैं। हो सकता है, यह मैं मानता हूँ, कि जैसा कि आपने फरमाया कि यह ठीक है कि हाउस ने रूल्स कमेटी की रिकमन्डेशन को मन्जूर कर लिया था। लेकिन जब तक गजट में आया नहीं कर दिया जाय तब तक वह वेलिड रूल नहीं होगा। उसका पब्लिकेशन होना जरूरी है। इसके विषय में आपका रूलिंग चाहता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष—आपको जनरल क्लाजेज़ एक्ट के अन्दर जो बात है वह पढ़ दूँ।

श्री अवनिकुमार मुकर्जी—That is not applied to this Rule. If we apply the General Clauses Act to this rule, then under the other General Clauses it is necessary that it should be published.

श्री उपाध्यक्ष—You can draw an instance. This is for comparison:

"Unless the contrary is expressed, a Central Act or Regulation shall be construed as coming into operation immediately on the expiration of the day preceding its commencement."

क्लॉज़ ५ में यह भी है :

"If any Act made by the Governor-General under section 44 of the Government of India Act is not expressed to come into operation on a particular day, it shall come into operation on a day on which it is enacted by the Governor-General."

वह इसमें पब्लिकेशन कम्पल्सरी आया करने का नहीं रक्खा है।

श्री वेदपाल त्यागी—That cannot apply to these rules.

श्री उपाध्यक्ष—एक्ट के बारे में, जो कि मोर इम्पॉर्टेन्ट और सब्स्टन्शियल बातें हैं वहाँ के लिए भी, जब कि उसकी कन्सेन्ट होकर रूल बन जाता है विथ इमीजियेट एफेक्ट, तो यह प्रोसीजरल कार्यवाही जो है, जो रूल्स हैं उसकी कन्सेन्ट स्पीकर दे सकते हैं और वह हो गई। इस लाइन पर यह चीज बनी है।

श्री वेदपाल त्यागी—माननीय उपाध्यक्ष, मैं यह निवेदन करूँगा कि जनरल क्लाजेज एक्ट हमारे रूल्स पर लागू नहीं हो सकता। दूसरी जो एनोलोजी (analogy) दी गई है उसके लिए मैं निवेदन करना चाहूँगा कि वह एनोलोजी भी इस पर लागू नहीं होती क्योंकि जिस एक्ट में यह

Page No.38

[श्री वेदपाल त्यागी]

लिखा है कि वह कब से लागू होता है, जब से कि वह इनेक्ट हो जाता है; तो वह फौरन लागू हो जाता है। यह रूल्स के लिए वेलिड नहीं माना जायगा, जब तक कि उनकी पब्लिसिटी (publicity) नहीं हो जायगी। पब्लिश होते हैं गजट में, उसके पहले वह लागू नहीं हो सकते हैं। रूल्स के बनाने का अख्त्यार नहीं है, बल्कि वह रिकमन्डेशन है हाउस की स्पीकर को और स्पीकर ने स्वीकृति दे दी है।

लेकिन चूंकि वह गजट में आया नहीं हुआ है इसलिए उस वक्त तो वह लागू नहीं किया जा सकता है। इस विषय में मै उपाध्यक्ष महोदय का रूलिंग चाहूँगा कि बिना गजट में आया हुए क्या वह रूल लागू किया जा सकता है और उसके तहत कार्यवाही की जा सकती है?

श्री उपाध्यक्ष—मैं यह मानता हूं। मैंने अभी आपके सामने साफ तौर से उसके साथ ही यह चीज रखी कि यह लागू हो गया है और लागू माना जाना चाहिए। (हियर हियर)

अब सदन के सामने जो प्रस्ताव श्री वेदपाल त्यागी ने रखा है वह पढ़कर सुनाता हूं:

"That this House having lost its confidence in the Speaker hereby resolves that he be removed from his office."

Now I request the Members those, who are in favour that leave may be granted, should rise in their places.

(सदस्यों का अपनी-अपनी जगह पर खड़े होने पर)

श्री भैरोंसिह (वि० स० १६)—इसके सम्बन्ध में सीक्रेट बेलेट लिया जाय।

श्री हरिकृष्ण व्यास—सीक्रेट बेलेट (secret ballot) हो तो उसमें ६६ वोट हैं।

(मत-गणना के पश्चात्)

श्री उपाध्यक्ष—२४ सदस्यों ने मत दिए। अतः सदन की अनुमति नहीं है।

(राज्यपक्ष की ओर से तुमुल करतल ध्वनि)

श्री भैरूँसिह—One more, Sir. नहीं साहब २५ सदस्य हो गए हैं।

कु० श्री जसवन्तसिंह—Recount it.

कई माननीय सदस्य—२५ हैं।

श्री उपाध्यक्ष—मोहब्बतसिंहजी अभी आये हैं। खड़े होंगे तो २५ गिन लिए जाये गें।

विपक्षीदल की ओर से कई माननीय सदस्य—Recount, recount.

श्री उपाध्यक्ष—अच्छा २५ सही है।

मैं श्री हिम्मतसिंहजी से......

श्री उपाध्यक्ष के प्रति अविश्वास के प्रस्ताव पर निर्णय

(श्री हिम्मतसिंह कुटरू, सभापति, को संकेत करने पर उनके द्वारा पदासीन होना)

श्री हरिकृष्ण व्यास—This may affect the voting position adversely by one.

श्री सभापति—जैसा किस्सा अभी हो चुका है उसके मुआफिक दूसरा किस्सा हाउस के सामने होने वाला है। एक नो कॉन्फीडेन्स मोशन डिप्टी स्पीकर, श्री लालसिंह शक्तावत के खिलाफ श्री भैरोंसिंहजी ने प्रस्तुत किया है:

"That this House having lost its confidence in the Deputy Speaker hereby resolves that he be removed from his office.

सब झगड़ा तो पहले तय हो चुका है। अब प्रश्न सिर्फ यह है कि जो प्रस्ताव सदन के सामने है उसके समर्थन में अगर २५ सदस्य...

(विपक्षी दल की ओर से हीयर, हीयर)

one fifth of the House इसका सपोर्ट करेंगे तो इजाजत दे दी जायगी। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इसके समर्थन में जो हैं वे कृपया खड़े हो जांय।

एक माननीय सदस्य—आप (श्री सभापति) भी खड़े हो जांय (हंसी)

(खड़े हुए सदस्यों की गणना के पश्चात्)

श्री सभापति—२३ सदस्य इसके समर्थन में खड़े हुए हैं इसलिए मोशन के पश्चात् लोस्ट हो गया।

श्री वेदपाल त्यागी—एक माननीय सदस्य का उपाध्यक्ष में विश्वास है।

श्री सभापति—अब लेजिस्लेटिव बिजिनेस लिया जायगा और टिनेन्सी बिल पर विचार किया जायगा।

श्री चन्दनमल वैद—इसके इजाजत के सिलसिले में क्या हुआ? इजाजत दी गई या नहीं।

श्री सभापति—कह तो दिया कि प्रस्ताव गिर गया। फिर मैं कहता हूँ कि मोशन गिर गया।

श्री हरिकृष्ण व्यास—एक बार फिर से कह दें साहब। घबराहट में तसल्ली तो हो कम से कम।

Page No.40

राजस्थान कृषि-भूधारण विधेयक, १९५३. (अग्रेतर सन्डश; विचार-विमर्श

श्री सभापति (श्री हिम्मतसिंह) —अब इस बिल की क्लाज़ से कार्यवाही आरम्भ होगी इसमें पहला अमेन्डमेंट श्री एच. के. व्यास का है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय चेयरमेन, क्लॉज़ ३ में मैं निम्नलिखित अमेन्डमेंट प्रस्तुत करता हूँ: "In line 5, delete the words 'to that extent',and add the following as sub-clause (2):—

(2) Any persons or persons who after the 30th October, 1953, have attempted to get or got any agreement made or who attempts to get or gets any agreement made which purports, or would operate, to restrict a tenant from enforcing or exercising any right conferred on or secured to him by this Act shall be punishable with imrisonment which may extend upto six months or with fine not exceeding two thousand rupees or with both".

यह रूप ३ जो है उसका ताल्लुक ऐसे एग्रीमेंट से है जो या तो इस एक्ट के शुरू होने से पहले हो गया था, अथवा इसके बाद में किया जावे या जा सके और जिन एग्रीमेंटस से किसी को इसका बंधन मानने के लिये मजबूर किया जाय तो वह बंधन अधिकारों के मातहत रोका जावे। जहाँ तक धारा है वहाँ तक ठीक है, उस में किसी का मतभेद नहीं हो सकता। लेकिन प्रश्न यह है, माननीय चेयरमेन, कि इस प्रकार के एग्रीमेंट लोग कर लेते हैं और उसके बाद कोर्ट यह फैसला करदे कि यह एग्रीमेंट लागू नहीं किया जा सकता। नतीजा यह होगा कि एक्ट के द्वारा दिये गये अधिकारों को रोकनेवाले एग्रीमेंटस बंदिश डालने वाले एग्रीमेंटस न कर ले, इसके लिये कोई परिस्थिति नहीं है। जो एग्रीमेंटस हो जावें वे तो गैर कानूनी करार दे दिये जावें, लेकिन एग्रीमेंट कोई कर ले तो वह लागू न हो सके, ऐसी धारा हमें रखनी चाहिये। लेकिन इस प्रकार का गैर कानूनी बंधन डालने वाला एग्रीमेंट कोई न कर पावे इसके लिये कोई इन्सेन्टिव न रहे, कोई फाइन या सजा का भय रहे ऐसा प्रोविजन करना आवश्यक है। इसलिये एक पार्ट को तो क्लॉज़ ३ कवर कर चुका है। उसमें एक भाग और जोड़ा जाने का प्रस्ताव किया है कि उस आदमी को जो इस एक्ट के शुरू होने से पहले, जब से यह हवा आ गई कि इस तरह का एक्ट बनाने जा रहे हैं इसलिए ३० अक्टूबर सन् ५३ की मयाद रख दी है। यदि किसी मनुष्य ने ऐसा कोई एग्रीमेंट करवाया है या एग्रीमेंट करवाने का प्रयत्न किया जो काश्तकारों के हकूकों को रोकनेवाला है या रोक लगा सकने का नतीजा है तो न सिर्फ वह एग्रीमेंट गैर कानूनी होगा बल्कि ऐसा प्रयत्न करने वाले को सजा दी जायगी। टिनेन्सी एक्ट के मातहत भी क्यों नहीं ऐसा एग्रीमेंट करवाने वाले को सजा देनी चाहिये ?

अभी-अभी बंगाल में टिनेन्सी एक्ट पास हुआ है, उसकी ओर मैं आपकी मार्फत सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। इसमें साफ प्रोविजन रखा गया है कि यदि टिनेन्सी एक्ट के मातहत दिये गये अधिकारों में बाधा डालने वाला कोई एग्रीमेंट करे या करावे तो उसको सजा दी जाती है। वह इस हद तक आगे बढ़ा है और उसमें इस बात का इन्तजाम किया है कि इस प्रकार का प्रयत्न करने वाला कोग्निजेबल ओफेन्स के अन्तर्गत आता है। इस प्रकार से जब तक हम

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

आम तौर से काश्तकारों के खिलाफ होने वाली कार्यवाही के खिलाफ गंभीर रूप से विचार न करेंगे तो नतीजा होगा यह कि इस प्रकार के एग्रीमेंट लोग इसलिये करवायेंगे कि चाल चल गई तो अच्छा ही है और नहीं तो उनका बिगड़ेगा क्या ? एक तरफ तो काश्तकार हैं जिनके हकों पर बन्धन डाला जा रहा है एग्रीमेंट के द्वारा, और दूसरी तरफ वे लोग हैं जो कानूनी हकों पर रोक लगाने के लिये एग्रीमेंट करवाते है। यदि वह एग्रीमेंट चालू रह गया तो एग्रीमेंट करवाने वालों को फायदा होगा और नहीं चला तो भी करवाने वालों का क्या नुकसान होगा ? कानून के द्वारा मिले हुए हकूकों की रोक थाम के लिये एग्रीमेंट करवाया तो चल गया तो चल गया और यदि गैर कानूनी हो गया तो एग्रीमेंट करवाने वाले को कोई नुकसान नहीं। ऐसी हालत में हजारों-लाखों ऐसे केसेज़ होंगे जिनमें किसानों के हक छीनने की कार्यवाही की जावेगी। इसलिये मैं दरख्वास्त करूंगा कि ऐसा एग्रीमेंट करवाने वाले को दंड दिया जाय। इन शब्दों के साथ मैं अपना संशोधन सदन की स्वीकृति के लिये और उधर बैठने वाले मित्रों को स्वीकृति के लिए विशेष रूप से प्रस्तुत करता हूं।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—चेयरमेन महोदय, हमारे माननीय सदस्य ने जो अभी संशोधन धारा ३ के बारे में रखा है उसका मैं विरोध करने के लिये आपके सम्मुख प्रस्तुत हुआ हूँ। यह जो तरमीम आपने रखी है, कानूनी मुद्दों के खिलाफ है। वह एग्रीमेंट है और एग्रीमेंट हमेशा दुतरफा होता है, इकतरफा कभी नहीं होता। वे एग्रीमेंट्स जो किसी के दबाव के जरिये होते हैं, फ्रॉड, मिस अन्डरस्टेन्डिग के जरिये होते हैं, वे हमेशा वॉइड होते हैं और उनका कोई असर नहीं होता, कानून से उसका असर नहीं होता। इसलिये जो भाषा रखी है वह ठीक रखी है। ऐसे एग्रीमेंट्स वोइड होते हैं।

इसलिये इस दफा ३ में से जो इस तरह के एग्रीमेंट किये जाँयगे वे वोइड होंगे, पर इसे पीनल करार देना गलत चीज होगी। हम इस बात को लेकर चलते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो इस दुनियाँ में रहता है वह अपने अच्छे और बुरे की पहचान कर काम करता है और वह दूसरे व्यक्ति को इस बारे में उसके बीच में आता है तो वह दूसरा व्यक्ति किसी तरह उसके लिए दोषी या अभियुक्त करार दिया जाता है। सिविल और क्रिमिनल लाइबेलिटी में फरक है और इस तरह हमने इसे इन्टरप्रेट किया तो यह क्रिमिनल चीज हो जायगी और इसे क्रिमिनल ओफेंस बनाने की यह चीज़ सिद्धान्त के प्रतिकूल होगी और न्यायसंगत नहीं होगी।

एक माननीय सदस्य ने बहस के दौरान में कहा कि गाल टिनेन्सी एक्ट में जो कोई व्यक्ति किसी को बेदखल करता है तो उसे फौजदारी जुर्म का अभियुक्त माना जाता है और उसे फौजदारी जुर्म में सजा दी जा सकती है।

वैसे तो हमारे यहां भी पीनल कोड के जरिये हरेक क्रिमिनल टेसपासर को सजा दी जा सकती है, ४४७ और ४४८ में किसी के खिलाफ दावा करे। परन्तु रेवेन्यु बोर्ड के जुरिस्डिक्शन में यह नहीं है इसलिये इसे पीनल करार दिया जाना न्यायसंगत नहीं होगा।

इस तरह एग्रीमेंट को पीनल करार दे देना न्यायसंगत नहीं है और न ही सिद्धान्तों के

[श्री ब्रजसुन्दर शर्मा]

अनुकूल है, इसलिये इन्हीं शब्दो के साथ में, माननीय सदस्य ने जो इस तरह का, इसे पीनल करार देने का, संशोधन रखा है उसका विरोध करता हूँ।

श्री श्रीदास गोयल—माननीय चेयरमेन, 'Restrictions on certain agreements" यह क्लॉज़ ३ में है। मेरा इस सिलसिले में यह निवेदन करना है कि इस बिल को पेश करने में हमारे उसूल और सिद्धान्त बहुत ऊंचे हैं और ८० और ८५ प्रतिशत किसानों को जो राजस्थान की गरीब जनता है उसको राहत पहुँचाने के लिये जरूरी है कि उनको अधिक से अधिक सुविधाएं दें और वे सुविधाएं जरूरी हैं। और जैसा कि कई दफा कान्स्टीट्यूशनल कठिनाइयों के कारण बहुत सी बातें नहीं हो पाती हैं, जैसे अभी भ्रष्टाचार और सविसेज़ के मामले में आई। इस क्लॉज़ तीन को पढ़ने से ऐसा मालूम होता है कि हरेक एग्रीमेंट इस एक्ट के लागू होने के पहले किया और वह किसी वक्त कानून के अन्दर वाजिब था, साथ ही इस एक्ट के लागू होने के बाद में जब काश्तकार को अधिकार प्राप्त हो गये, इसके बाद में वह कोई ऐसा एग्रीमेंट करता है तो इस क्लाज़ ३ के विपरीत जाता है तो वह वोइड करार दिया जायगा।

लेकिन जैसा कि स्मरण करते हैं, अनुच्छेद १९ और कॉन्सटीट्यूशन की अनुच्छेद है जिसमें कि Right of property डेस्क्राइब किया गया है, उसमें एक व्यक्ति को यह राइट है कि वह अपनी प्रोपर्टी को दूसरे को दे सकता है और वह इस राइट को enjoy कर सकता है और इसे एक्ट के अन्दर जो नये प्रोविज़न्स हैं उनके अनुसार उस अनुच्छेद से विपरीत करते हैं तो एक कॉन्स्टिट्युशनल कठिनाई आ सकती है।

'राइट ऑफ प्रोपर्टी' का प्रश्न होगा तो मैं यह यह निवेदन करूंगा कि माननीय मन्त्री महोदय इस पर इसी वक्त से गौर फरमायें कि यह इसके साथ छोड़ना ठीक होगा कि नहीं ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—आप क्या चाहते हैं स्पष्ट नहीं है ?

श्री श्री दास गोयल—मैं बताता हूं टिनेन्सी से अधिक से अधिक राहत किसानों को मिले और इससे भी और भी तेज एक्ट एच. के. व्यास लाना पसंद करते हैं, परन्तु इसमें कॉन्स्टीट्यूशनल डिफिकल्टी नहीं आये, यह हमें सोचना है; क्लॉज़ ३ के सिलसिले में मुझे यह निवेदन करना है कि कहीं इसके बारे में कॉन्स्टीट्यूशनल डिफिकल्टी नहीं हो; इस पर माननीय मन्त्री महोदय रोशनी डालें।

श्री कपिलदेव अग्रवाल—मिस्टर चेयरमैन सर, जो वैधानिक आपत्ति माननीय श्री श्रीदासजी गोयल ने उठाई है इसके लिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि इसमें कोई वैधानिक आपत्ति नहीं आने वाली है, कॉन्स्टीट्यूशन का कोई अनुच्छेद इसके बीच में नहीं आता। इस एक्ट की धारा तीन चाहती है कि इस एक्ट के खिलाफ एग्रीमेंट हो तो वह वोइड हो और एन्फोर्स नहीं किया जा सकता। इसके ऊपर किसी के राइट्स के damages हुए हैं, क्या कॉन्सीक्वेन्सेज होंगे और लॉ उसको क्या प्रोटेक्शन देता है, बस यही इसमें है। इसमें किसी किस्म की वैधानिक

[श्री कपिलदेव अग्रवाल]

आपत्ति न उठ सकती है और न उठाई जा सकती है। मैं समझता हूँ कि यह इसमें रहना उचित है।

जहाँ तक कि पीनल क्लाज़ का सम्बन्ध है जैसा कि श्री एच. के. व्यास ने संशोधन दिया है इसमें यह कहूँगा कि अगर इसे पीनल करार दिया जाय तो चूंकि एग्रीमेंट दुतरफा होता है और अगर इसको पीनेलाइज किया जाय तो ऐसा हो सकता है कि किसान राजी-खुशी से एग्रीमेंट करता है, दूसरी पार्टी प्रोत्साहन नहीं देती, किसान खुद कहता है कि एग्रीमेंट लिखने को तैयार हूँ, दूसरी-पार्टी इन्कार करती है, इसके बाद भी किसान कहता है कि मुझे रुपयों की सख्त जरूरत है, ऐसा एग्रीमेंट करने को तैयार हूँ और दूसरी पार्टी को फोर्स करके एग्रीमेंट कर लेता है तो वहाँ सूरत में भी आप कहते हैं कि पीनेलाइज किया जाना चाहिये तो यह ठीक नहीं है। इससे तो किसानों को और इन्नोसेंट आदमियों को भी सजा मिल सकती है, ऐसी आशंका है। इसलिये मैं इस अमेंडमेंट का विरोध करता हूँ।

श्री वेदपाल त्यागी—मिस्टर चेयरमेन सर, अभी मेरे मित्रों ने विभिन्न विचार धाराएं रखीं। मेरे कम्युनिस्ट मित्र तो चाहते हैं कि जो भी किसी तरह का मुआयदा हमारे टिनेन्सी के ऊपर चाहे वह किसी रूप में क्यों न हो, चाहे एग्रीमेन्ट के रूप में या दूसरे रूप में लगाना चाहते हों, उनको सजा दी जाये। दूसरे मेरे मित्रों ने कहा है कि एग्रीमेन्ट 'स्कोप ऑफ पीनल' नहीं बनाया जा सकता, पर जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, इस कानून को पास कर रहे हैं, इसमें हमें यह यकीन कर लेना चाहिए कि इससे बहुत उथल-पुथल होगी। जो काश्तकार काश्त करते हैं उनसे दूसरे लोग डरा-धमका कर, फुसला कर, लोभ दे कर ऐग्रीमेन्ट करा लेंगे। इस सेक्शन में हालांकि इस तरह के एग्रीमेन्ट को वोइड करार किया है लेकिन इससे तो लिटिगेशन बढ़ेगा और लोगों को कचहरियों के दरवाजों पर जाना पड़ेगा और खर्चे से जेरबार होना पड़ेगा।

तो हमारे सामने यह खतरा है कि हमारे टीनेन्ट्स को ऐसी व्यवस्था करने के उपलक्ष में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अतः ऐसे एग्रीमेन्ट से आजकल के अनपढ़ किसानों को बचाने के लिए इस तरह के एग्रीमेन्ट कराना पीनल ऑफेन्स बनाना चाहिये। जैसे बंगाल में प्रिकॉशन्स लॉ है वैसा हमारे राजस्थान में भी रखा जाय तो इससे लाखों भाइयों की हम मदद करेंगे। इससे जो कॉबिल हैं, कानून को जानते हैं, उन्हें इस तरह के एग्रीमेन्ट लिखाने से रेस्ट्रिक्ट करने में कामयाबी हो सकेगी क्योंकि यह जरूरी नहीं है कि हरेक एग्रीमेन्ट अदालत में आये, गांवों वाले अंगूठा भी लगा देते हैं तो उसे मोरल कन्सीडरेशन के आधार पर पूरा करना जरूरी समझते हैं।

इसे पीनल करार दे दिया जायगा तो एग्रीमेन्ट करते वक्त लोगों को यह डर बना रहेगा कि कहीं जेलखाने की हवा न खानी पड़े।

ऐसी हालत में जब नई व्यवस्था करने जा रहे हैं, नया कानून बना रहे हैं तो उनकी सुरक्षा के लिये यह आवश्यक है कि इस तरह के एग्रीमेन्ट को पीनल करार दें ताकि उनके किसी प्रकार के हकूक पर कुठाराघात न हो सके।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मन्त्री)—माननीय चेयरमैन, जो दो अमेंडमेन्ट्स इस क्लॉज़ पर माननीय श्री एच. के. व्यास द्वारा पेश किये गये हैं, उन पर काफी सफाई हो चुकी है इसलिये मेरे विशेष कहने की आवश्यकता नहीं है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—सफाई तो उल्टी हुई है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—यह अपनी अपनी समझ की बात है। मैं समझता हूं कि यह जो क्लाज नं० ६ है उसके साथ में पीनल क्लाज़ का जोड़ना अच्छा नहीं होगा क्योंकि जो इस एक्ट के अगेन्स्ट में एग्रीमेन्ट किया जायगा वह तो इस क्लॉज़ से वोइड करार दिया जायगा।

बंगाल में इस तरह के ओफेन्स को पीनल करार दिया गया है, यह जो कहा गया इसके लिए मैं यही कहना चाहता हूं जैसा कि एक माननीय सदस्य ने कहा कि इन्डियन पीनल कोड के मातिक ट्रेस्पास पीनल ओफेन्स है और उसमें सजा हो सकती है।

और फिर भी इस मांग पर सोचें तो अभी सारा बिल बाकी है, पीनल क्लॉजेज़ को सोचें जो सम्बन्धित हैं, उस समय इस मांग पर सोच सकते है, जहां और चीजें हैं इससे सम्बन्ध रखने वाली चीजें नहीं हैं वहाँ इसको साथ जोड़ देना अच्छा नहीं होगा। इसलिए यह क्लाज़ जैसा है वैसा ही स्वीकार करना अच्छा होगा। कॉन्स्टिटयुशनली भी यही बात आती है कि अगर किसी के प्राइवेट प्रोपर्टी राइट को छीनना अन्कॉस्टिटयुशनल है तो प्राइवेट प्रापर्टी राइट की वजह से अल्ट्रा-वायर्स होने का खतरा है। ऐसी सूरत में इस के पीनल सेक्शन्स पर विचार करते समय इस पर विचार किया जा सकता है बजाय इसके कि जहां इसका समावेश नहीं होता है वहां इस पर विचार किया जावे। बस इन्हीं शब्दों के साथ में यह निवेदन करता हूँ कि, इस क्लाज़ को जैसा यह है वैसा ही पास किया जावे।

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय चेयरमैन, मैंने बड़े गौर से अपने मित्रों ने जो कहा और माननीय मन्त्री ने जो कहा, सुना। मुझे ऐसा लगता है माननीय चेयरमैन, कि ये जो जीवन के अनुभव हैं उनको इन्कार कर रहे हैं या और कोई कठिनाइयें सरकार के सामने हैं जिनको जाहिर नहीं कर रहे हैं। मेरे एक माननीय मित्र ने कहा कि एग्रीमेन्ट करने वाले दोनों होते हैं। एग्रीमेन्ट करने वाले काश्तकार होते हैं और एस्टेट होल्डर्स होते हैं या टिनेन्ट और दूसरा एस्टेट होल्डर होता है। मैं यह कहूंगा कि यह दंड तो कभी न कभी टिनेन्ट पर भी पड़ने वाला है। यह कैसे मान लिया जावे कि जब एग्रीमेन्ट नाम जैसी चीज होती है तो उसका जिम्मा एक पार्टी पर होता है? माननीय राजस्व मन्त्री ने कहा कि बंगाल में हुआ उसको वहीं रहने दें, उस पर आगे सोचेंगे फिर.........

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैंने यह नहीं कहा कि बंगाल में जो हुआ उसको वहीं रहने दें।

श्री हरिकृष्ण व्यास—राजस्थान में हमने किया है, उस पर तो कम से कम आप गौर

Page No.45

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

करलें। मुआवजा राइट्स, प्रोपर्टी राइट्स आदि का जिक्र करने वालों को मैं याद दिलाऊं कि आर. पी. टी. ओ. में हम लोगों ने यह दर्ज किया था :

"If an estate-holder is found on the plot of land of a khatedar tenant, it shall be presumed that he came there for purposes of ejectment"

ये क्यों रखा था ? उस वक्त आड़ा नहीं आया था आपका संविधान। उस वक्त दोनों हाथों से ताली बजाने की दिक्कत आपके सामने नहीं आई थी ! दोनों इन्सानों के मेल से आपने जिन्दगी का अनुभव किया और सबक सीख गये। क्या वही सबक आज नहीं सीखते इससे। इंजेक्टमेंट की बात को आप जाने दीजिये। नये काश्तकारों और एस्टेट होल्डरों के आपस में हजारों ऐसे एग्रीमेन्ट हुए हैं जिनमें काश्तकारों को लिखा दिया गया कि तुम हमारे यहां नौकर हो। ऐसा हुआ है और राजस्व मन्त्री इस बात को भलीभांति जानते हैं और ये बातें इनके ध्यान में हैं। इस प्रकार के सैकड़ों एग्रीमेंट हुए हैं। इसका क्या नतीजा होगा, जब यह प्रश्न आवेगा, एग्रीमेंट होगा तो दोनों आपस में कोर्ट में लड़ेंगे उस समय इसको वोइड करने की बात आवेगी और न्याय होगा तो दूसरी तरफ होगा क्योंकि उसके एग्रीमेंट में लिखा हुआ है। इस बीच में फसल तो काश्तकार के हाथ से निकल जावेगी। काश्तकार के लिये तो ९९ प्रतिशत कानून फसल ही है। माननीय राजस्व मन्त्री को याद है कि राजस्थान में एक केस हुआ था जिसमें इस प्रकार का एग्रीमेंट एस्टेट होल्डर ने किया था कि तुम हमारे यहां २० रुपये माहवार में नौकर हो और २० रूपये तुमको बैलों के देंगे। हकीकत यह थी कि वह १।६ बांटा के बजाय १।४ बांटा लटाना चाहता था। नतीजा यह हुआ कि जबरदस्ती काश्तकार की फसल का धान उठा कर ले गये और राजस्थान की हुकूमत के सारे इन्तजाम ने जोर लगा लिया परन्तु अन्त में नतीजा कुछ नहीं निकला। अब मुमकिन है चीफ मिनिस्टर से आई. जी. पी. को सिफारिश करा लो हो अगर कुछ हो जाए। सरासर जुल्म किया और एग्रीमेंट की ओट में कानूनन बच गये। यह राइट्स को वे रेस्टेन्ट करने वाले हैं। उसको क्या राइट है, इसलिये अगर इसको वोइड करार दे दे तो इसका क्या नतीजा होगा ? ऐसे मामले नहीं होंगे। वरना एस्टेट होल्डर का क्या गया ! हमारे यहां कहावत है "जीत गये तो आ गए और हार गए तो क्या बिगड़ा" ऐसी दशा में लगातार पांच बार में अगर एस्टेट होल्डर तीन बार भी जीत गया तो उसको तो फायदा ही हुआ। आप इस प्रकार की प्रवृत्ति को रोकेंगे कैसे ! आप इस प्रकार की प्रवृति को तभी रोक सकेंगे। जब आप इसको कानूनन ओफेन्स बनावेंगे। इस प्रकार मैं समझता हूँ कि श्री कपिलदेवजी को जो आपत्ति है वह दूर हो जावेगी। मैं इतना संशोधन इसमें मानने के लिए तैयार हूँ :

"Any person or persons except a tenant."

श्री भैरोंसिंह (वि० सं० १९)—यह लॉ में discrimination हो जाता है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—यह कोई discrimination नहीं होगा। यह एक विशेष तबके के लिये लागू किया जावेगा। जब इस प्रकार के कानून लागू किये जाते हैं तो विशेष वर्ग के लिये कुछ

Page No.46

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

रियायतें की जाती हैं। सरकार मंहगाई भत्ता देती है। १५० रुपयों से कम पाने वालों को ज्यादा दिया जाता है और ऊपर वालों को कम देगी। इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। दूसरे कानून जो भी बनते हैं उनमें भी संविधान में पिछड़े हुए वर्ग को सुविधाएं दी जाती हैं। हमने आर. पी. टी. ओ. में कानून बनाए :

"It shall be presumed that, that man has come there for ejectment"

कैसे डिस्क्रीमिनेशन होगा ? Light heartedly डिस्क्रीमिनेशन की बात कह कर मुद्दे की बात को पीछे डालने का प्रयत्न करना है और मैं यह कहूँगा कि मेरे माननीय मित्र के लिये यह ठीक नहीं होगा। 'Any person or persons except a tenant', इस प्रकार का संशोधन मैं मानने के लिये बराबर तैयार हूं। इससे मेरे माननीय मित्र श्री कपिलदेव की उलझन दूर हो जावेगी। मैं यह निवेदन करूंगा कि इसको मंजूर कर लिया जावे, नहीं तो काश्तकारों को बहुत नुकसान होगा। अगर आप इसको मंजूर नहीं करते हैं तो यह आपकी जिम्मेदारी है।

श्री सभापति— Shri Vedpal Tdlyagi.

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय मन्त्री इस एमेन्डमेंट को मन्जूर करते हैं या नहीं, यह उनकी राय जान ली जाय ?

एक माननीय सदस्य— नहीं करते।

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय चेअरमेन, आप मन्त्री जी से पूछ तो लें।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैं खुद खड़ा होकर मन्जूर कर लेता, अगर करना होता।

श्री सभापति— लिस्ट नं० ५, सीरियल नं० ६० पर जो अमेंडमेंट है first amendment "to that extent"; क्या यह सदन को स्वीकार है?

(अस्वीकृत)

अमेंडमेंट गिर गया।

(विराम)

श्री हरिकृष्ण व्यास का क्लॉज ३ पर जो अमेंडमेंट sub-clause (2) जोड़ने का है क्या यह सदन को स्वीकार है ?

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

[श्री सभापति]

(विराम)

अब क्लॉज़ ३ पर मत लिये जाते हैं, क्या यह सदन को स्वीकार है ?

(स्वीकृत)

क्लोज़ ३ बिल का पार्ट स्वीकार किया गया।

(विराम)

क्लाज ४

श्री हरिकृष्ण व्यास— माननीय चेअरमेन, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि क्लाज़ ४ के एक-एक सब क्लाज़ अलग अलग लिये जावें।

श्री सभापति—मैं भी यही पूछने वाला था कि हाउस की क्या सम्मति है ? जैसी सम्मति होगी वैसा प्रोसिजर एडोप्ट किया जाय। अतः आपकी (श्री सुखाड़िया की) क्या मंशा है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मन्त्री)— सबक्लॉज़वाइज़।

श्री सभापति—सब क्लाज़ (४), सिरियल नं० ६६। इस पर श्री बृजसुन्दरजी का अमेंडमेंट है।

श्री चाँदमल मेहता—सब क्लाज़ ३ पर मेरा अमेंडमेंट है।

श्री सभापति—ओर्डर ठीक नहीं था, इसलिए मैं इसको दुबारा ठीक तरह से करके लेता हूँ। क्लाज़ ४ के सब क्लाज़ [२] पर श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता का अमेंडमेंट है।

श्री बृज सुन्दर शर्मा—यह कौनसे नम्बर का अमेंडमेंट है ?

श्री सभापति—यह सीरियल नं० २३०, लिस्ट नं० १३ में है।

श्री भैरोंसिंह— मेरा २०४ है।

श्री सभापति—आपका अमेंडमेंट बाद में लिया जायगा।

पहले श्री बद्रीप्रसाद मूव करेंगे, उसके पश्चात आपका अमेंडमेंट लिया जायगा।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—माननीय चयरमेन, मैंने सब क्लाज़ (२)पर जो अमेंडमेंट पेश किया है वह इस तरह से है :

Substitute 'June' in place of 'July' and 'thirty frist day of May' in place of 'thirtieth dav of June "

मैंने जो यह अमेन्डमेंट पेश किया है वह इस ख्याल से पेश किया है कि आमतौर पर एग्रीकल्चर इयर जून महिने से शुरू होता है और ३१ मई को समाप्त हो जाता है। यह प्रेक्टिकल बात

[श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता]

है कि काश्तकारों के लिये जून का महीना उपयुक्त रहता है। जमीन पट्टे में दी जाती है वह इसी महीने में दी जा सकती है, उसके बाद वे उसमें खाद डालते हैं, उसको ठीक करते हैं, वर्षा के पहले जमीन को जोत कर भी तैयार कर लेते हैं। इसलिए जून के महिने में अमूमन काश्तकारों को काम करना होता है। यदि यह काम जुलाई से करते हैं और जैसा कि इसमें जुलाई रखा गया है तो उस महीने से करते हैं तो उनको काफी कठिनाई उठानी पड़ेगी। वैसे एग्रीकल्चर महीना जून से शुरु होता है और मई महीने में समाप्त हो जाता है। अगर इसको इस अमेंडमेन्ट के बिना ऐसा ही रखा गया तो जुलाई में जब कि वर्षा शुरु हो जाती है और काश्तकारों को वर्षा के पहले काफी कार्य करना पड़ता है, जमीन में खाद डालना, उसको तैयार करना आदि कई काम करने पड़ते हैं, उनको करने में समय लग जायगा और उनके लिए एक समस्या बन जायगी। यहां तो जुलाई में खेती भी हो जाती है और यदि यह साल जुलाई से शुरु होगा तो काफी दिक्कतें आवेंगी।

चूंकि हमारे यहां जून से ही साल शुरू होता है इसलिए इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है और इसके सिवाय भी काश्तकारों को जुलाई की वजह से दिक्कत न हो इसलिए मैंने यह अमेंडमेंट रखा है। मैं आशा करता हूँ कि मेरा अमेंडमेंट स्वीकार किया जायगा।

श्री सभापति—श्री भैरोंसिंह।

श्री भैरोंसिंह (वि० सं० १६)—Mr. Chairman Sir, I beg to move the following amendment to sub-clause (2) of Clause 4 :

" (a) The words 'agricultural year' be substituted by the word 'Krishi varsh' and :

(2) Substitute the word 'June' for 'July' and 'May' for 'June'."

श्री ब्रजसुन्दर शर्मा—कौनसी लिस्ट है?

श्री सभापति—लिस्ट न० १२, सीरियल न० २०४।

श्री भैरोंसिंह (वि० सं० १६)—माननीय चेअरमेन, मेरा पहला संशोधन है कि जो शब्द इस कानून में 'एग्रीकल्चरल इयर' के नाम से है उसको हिन्दी के शब्द 'कृषि वर्ष' में तब्दील किया जाय। माननीय चेयरमेन, राजस्थान की विधान सभा ने राजस्थान का जितना भी कार्य है उसको जल्दी से जल्दी हिन्दी में किसी प्रकार अमल दरामद हो उसके लिए एक कानून बनाया और उस कानून का जब राजस्थान के सरकारी कामों में जल्दी से जल्दी हिन्दी को अमल में लाया जाय उसके लिए भी गजट में नोटिफिकेशन जारी किया। लेकिन उस समय राजस्थान की विधान सभा में यह कानून प्रस्तुत किया जा चुका था, इसके लिए गजट में नोटिफिकेशन निकल गया था कि यह एक्सेप्शन रखा गया है कि जो कानून राजस्थान की विधान सभा में पेश किये जा चुके हैं या इस सेशन में पारित किये जावेंगे उन कानूनों के अलावा आगे जितने भी कानूनों का सम्बन्ध राजस्थान विधान सभा से होगा वे सब हिन्दी भाषा में ही प्रस्तुत किये जावेंगे। आज राजस्थान सरकार की ही नहीं भारत सरकार की भी यह नीति है कि हमारे देश में मातृ भाषा का जल्दी से जल्दी प्रचार किया जाय और मैं राजस्थान

[श्री भैरों सिंह (१६)]

सरकार को इस बात के लिए बधाई भी दूंगा कि राजस्थान सरकार अन्य दूसरी सरकारों की एवज में ज्यादा प्रगतिशील मालूम होती है। हम यहां यह जो कानून बना रहे हैं उसका असर होगा काश्तकारों पर और हम यह भी मानते हैं कि काश्तकारों के अन्दर आर्थिक संकट होने से अशिक्षा का अधिक प्रभाव है। लोग यह नहीं समझते कि हमारे लिए किस प्रकार से सुविधाजनक और आर्थिक दृष्टि से, राजस्थान विधान सभा में जो कानून बन चुके हैं, ठीक होंगे और उनका हमारे ऊपर अमल दरामद होगा? इस सेशन में जो कानून बने वे अंग्रेजी में ही बने, इस प्रकार का रास्ता निकाल ही लिया गया। लेकिन मेरा निवेदन है कि रास्ता निकालने के बावजूद भी कोशिश यह करनी चाहिये कि जो टेक्निकल शब्द हों और जिसका सम्बन्ध एग्रीकल्चरिस्ट से हो, जो अनक्वालिफाइड या अनपढ़ हैं तो उनके समझने के लिए ऐसे शब्दों की भाषा, जिसको लोग अच्छी तरह से याद कर सकते हैं, हिन्दी में ही रखें तो लोग उससे फायदा उठा सकते हैं। अगर 'एग्रीकल्चर ईयर' को 'कृषि वर्ष' में तब्दील कर दिया जाय तो कोई अनपढ़ा आदमी भी इसको याद कर सकता है कि 'एग्रीकल्चर इयर' का यह मतलब है और वह अमुक तारीख से शुरू होगा।

एग्रीकलचर ईयर किस लिये रखते हैं, इसलिए की लोग रेन्ट इस अमुक तारीख से दें। कृषि सम्बन्धी जितने भी कानून बने हैं उन कानूनों के अन्दर एग्रीकल्चर ईयर का क्या महत्व है इसके महत्व को ठीक प्रकार समझ सकें। हम यह निश्चित करते हैं कि लगान मई और जून से जमा करा देना चाहिये। इस लगान के जमा कराने की जो तिथि है उस तिथि का सम्बन्ध इस 'कृषि वर्ष' से होता है। मेरा निवेदन यह है कि टर्म ऐसी रखी जाय कि कृषि वर्ष फलां तारीख से प्रारम्भ होगा। इसलिये मेरा निवेदन है कि 'एग्रीकलचर ईयर' की जगह 'कृषि वर्ष', यह टर्म रखा जाय। इस कानून के अन्दर कई शब्द ऐसे हैं जो हिन्दी के हैं और उनका ज्यादा प्रचलन होने की वजह से, जैसे खुदकाश्त, गैर खातेदार, खातेदार, शायर, आदि शब्दों का प्रयोग इस बिल में किया गया है जो शब्द हिन्दी के हैं, किन्तु अंग्रेजी के जमाने से चले आ रहे हैं। जैसे जागीरदार, इस्तमरारदार आदि भी ऐसे ही शब्द हैं जिनको अंग्रेजी के शब्द नहीं कहा जा सकता। इन शब्दों का अब हम इस कानून में प्रयोग करते हैं जो कि हिन्दी के हैं, जो उस वक्त के सिस्टम से चले आ रहे हैं। इसीलिये मेरा निवेदन है कि इसी भाषा के अनुसार हम जितने भी अंग्रेजी के टेक्निकल टर्म्स का प्रयोग कर रहे हैं उनकी जगह हिन्दी के टेक्निकल टर्म्स को अपनायें। इसलिये भी यह आवश्यक है कि 'एग्रीकल्चर ईयर' के स्थान पर हम 'कृषि वर्ष' शब्द का प्रयोग करें। यह हमारा कदम मातृभाषा के प्रचार में सहयोग प्रदान करेगा। हमारी सरकार जो एक हिन्दी प्रेमी सरकार है, कई मन्त्री भी ऐसे हैं जो अंग्रेजी नहीं जानते, उनके लिये भी यह ठीक होगा। 'एग्रीकलचर ईयर' का हिन्दी रूपान्तर 'कृषि वर्ष' है, इस संशोधन को स्वीकार करें।

दूसरा संशोधन है जुलाई की जगह, जून और जून की जगह मई, इनका एडजस्टमेंट किया जाय। हमने आज तक जितने भी कृषि सम्बन्धी कानून बनाये उन सब कानूनों का अमल हमने जुलाई के अन्दर माना है। अब इस कानून का अमल दरामद किस तारीख से होगा? सरकार जो कानून बनायगी वह किस तारीख से लागू होगा, इसका असर किस तारीख से होगा, काश्तकारों के लिये कौनसा फंडामेंटल बेसिस माना है, कृषि सम्बन्धी तमाम कानून जैसे फ्रेग्मेंटेशन ऑफ लेन्ड, यूटिलाइजेशन ऑफ लेन्ड सम्बन्धी जमीन को सबलेट आदि

[श्री भैरों सिंह]

करते हैं तो वे किस तारीख से और किस महीने से शुरू किये जाँय ? यह प्रश्न हमारे सामने रहता है। राजस्थान के अन्दर 'कृषि वर्ष' किस तारीख से प्रारम्भ होता है ? जुलाई के प्रारम्भ में जून के खत्म होने पर यह 'कृषि वर्ष' शुरू माना गया है। यहाँ जो कृषि वर्ष के प्रारम्भ के लिए जिस महीने को चुना गया है वह दूसरे प्रान्तों की नकल की गई है। जहाँ तक नकल करने का प्रश्न है बड़े सुन्दर ढंग से नकल की गई। हमें अब यह देखना है कि इस नकल का प्रभाव राजस्थान के काश्तकारों पर क्या पड़ेगा ? इस नकल को छोड़ कर हमें राजस्थान की वास्तविक परिस्थिति की ओर नजर दौड़ानी पड़ेगी। राजस्थान की इस सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट है। यहाँ वर्षा जुलाई के प्रथम दिनों में प्रारम्भ होती है। राजस्थान की जलवायु अन्य प्रान्तों से भिन्न है, राजस्थान के किसानों के कृषि के साधन अन्य प्रान्तों से भिन्न हैं, राजस्थान की मिट्टी अन्य प्रान्तों से भिन्न है; तो ऐसी हालत में इस कृषि वर्ष के आरम्भ के समय में दूसरे प्रान्तों की नकल करना कहाँ तक ठीक होगा, यह सोचने की बात है। यू. पी., सी. पी. और मद्रास की नकल हम यहाँ नहीं कर सकते जहाँ कि वर्षा का प्रारम्भ काफी पहले हो जाता है, जहाँ कि जलवायु हमारे यहाँ से भिन्न है, जहाँ कि मिट्टी भी हमारे से मिलती जुलती नहीं, जहाँ खेती के साधन भी हमारे यहाँ से ज्यादा अच्छे हैं। ऐसी स्थिति में हम 'एग्रीकलचर ईयर' किस तारीख से प्रारम्भ हो इसमें उन प्रान्तों की नकल नहीं कर सकते। इन परिस्थितियों में हमें यह सोचना होगा कि राजस्थान का 'कृषि वर्ष' किस तारीख से प्रारम्भ किया जाय ?

इसके लिये हमें सोचना पड़ेगा कि राजस्थान में वर्षा कब होती है, रबी की फसल कब बोयी जाती है, कब कटती है, उसके पकने में कितना समय लगता है, पकने के बाद मार्केट में जाने में कितना समय लगता है, इसके बाद बेचारा काश्तकार लगान जमा करा सकता है इस लगान जमा कराने में कितना समय लगेगा ? रबी की फसल बोने के लिए हमें कितने दिन पहले जमीन ठीक करनी पड़ती है, कब उसमें बीज डाला जाता है, कब वर्षा होने से ज्यादा पैदावार बढ़ती है ? इन सब बातों को ध्यान में रखकर हमें कृषि वर्ष का प्रारम्भ मानना चाहिये। इस सब पर यदि हम शान्तिपूर्वक सोचेंगे तो हमें यह स्पष्ट मालूम होगा कि हम यहाँ 'कृषि वर्ष' का प्रारम्भ जुलाई में मानते हैं। अभी उसे एक महीना समाप्त हुआ है और बरसात को शुरू हुए करीब दो महीने हो गये हैं, हमारे यहाँ चैत्र के महीने में रबी फसल तैयार होती है और बैशाख में कट कर धान को लाते हैं और जेठ के महीने में दूसरी काश्त के लिये जमीन को तैयार करते हैं, उसमें खाद डालते हैं और ज्येष्ठ के महीने में काश्त करना शुरू कर देते हैं। तो इन सब बातों को देखते हुए 'एग्रीकल्चर ईयर' के प्रारम्भ होने से पहले अगर कोई आदमी चाहे कि वह अपने जमीन को सब लेट या मोर्टगेज करने का अधिकार रखता है तो उसे 'एग्रीकलचर' के प्रारम्भ में ही ये सब कुछ कर डालना चाहिए ताकि जमीन का उपयोग हो सके। ऐसी बातों पर हमारे 'एग्रीकलचयर ईयर' का प्रारम्भ कब से होता है यह असर डालता है। अब हमें यह देखना है कि हम 'कृषि वर्ष' के प्रारम्भ की तारीख निश्चित करें. उस तारीख से पहले पहल सरकार भी किसी विशेष काश्त के लिए आज्ञा दे सकती है, उसके बाद हमारे सामने यह स्पष्ट चित्रण रहे कि सरकार जो कुछ कार्यवाही करना चाहती है वह कर चुकी है, उसका अन्तिम निर्णय होगया है। कृषि के प्रारम्भ होने के पूर्व समय को 'कृषि वर्ष' का प्रारम्भ माना जाय।

[श्री भैरों सिंह]

राजस्थान में वर्षा सब जगह एक साथ होती नहीं है। राजस्थान में एक दफा वर्षा होने के बाद दूसरी दफा कब प्रारम्भ होगी यह नहीं कहा जा सकता। जोधपुर, बीकानेर, जयपुर रियासत के कुछ रेगीस्तानी हिस्से हैं जहाँ पर मई में बरसात होती है और वहाँ बाजरे की फसल होती है। यदि इस महीने में बाजरा न बोया जाय तो फिर किसी महीने में अच्छी फसल नहीं होती है, तो इसलिये हमारा 'कृषि वर्ष' का प्रारम्भ १ जुलाई से होना चाहिये। लेन्ड यूटिलाईजेशन बिल पर जब स्पेसिफिक क्रॉप के उगाने का सवाल आया तब मैंने यही निवेदन किया था कि 'एग्रीकलचर ईयर' के प्रारम्भ होने से एक माह पूर्व काश्तकार को नोटिस मिल जाना चाहिये कि फलां काश्त उसको करनी पड़ेगी और जब तक किसी भी स्पेसिफिक क्रॉप के लिये सरकार अपना अन्तिम निर्णय नहीं दे देती तब तक काश्तकार दुविधा में रहता है कि उसको क्या खेती करनी है? ये सब आज्ञायें कृषि वर्ष के प्रारम्भ होने के एक माह पूर्व मिल जानी चाहिये ताकि किसान को समय मिल जाय और वह उस क्रॉप के लिए जमीन को तैयार कर सके। मेरे निवेदन करने का यह मतलब है कि हमें अपने यहाँ की परिस्थितियाँ, जलवायु और साधनों का ध्यान रखते हुए ही 'कृषि वर्ष' के प्रारम्भ का समय निर्धारित करना चाहिये। हमें दूसरे प्रान्तों की नकल नहीं करनी चाहिये। अगर तथ्य के आधार पर माना जाता है तो मेरा कहना है कि जुलाई की जगह जून या मई किया जाय। यही वास्तविक वर्षा के प्रारम्भ का समय है। आयन्दा अमल दरामद में और जो भी कानून बन रहे हैं 'एग्रीकलचर ईयर' की की जगह 'कृषि वर्ष' यह शब्द बहुत उपयुक्त रहेगा, काश्तकारों को भी समझाने में सुविधा होगी। इसलिये माननीय मन्त्रीजी से मेरा निवेदन है कि मेरे इन संशोधनों को स्वीकार करें।

श्री श्यामलाल गोयल—माननीय चेयरमेन, श्री बद्रीप्रसादजी ने संशोधन प्रस्तुत किये हैं वे बहुत साधारण और व्यवहारिक हैं। किसी भी एग्रीकलचर ईयर के प्रारम्भ होने के बाद अगर कृषक वर्ग अपने खेती के काम में जुट जाय तो वह अपने आपको ठीक एडजस्ट कर सकता है। एग्रीकलचर ईयर के सम्बन्ध में जैसा कि श्री बद्रीप्रसादजी ने फरमाया कि जून के महीने में किसान लोग खेती के काम में लग जाते हैं। अगर 'एग्रीकलचर ईयर' १ जून से प्रारम्भ होता है तो इजेक्टमेंट के मामले, कब्जे वगैरह के मामले, ट्रेस पासर, आदि में सहूलियत रहती है। जैसा कि मुझे याद पड़ता है हमारे जयपुर टिनेन्सी एक्ट में १ जून कम से कम 'कमेन्सिग ऑफ एग्रीकल्चर ईयर' (commencing of Agricultural year) माना है। यह बहुत साधारण बात है। एक जुलाई की जगह १ जून कर दिया जाय और तीस जून को ३१ मई। तो यह तमाम असन्तोष दूर हो जायगा और किसानों के लिये वास्तविक 'एग्रीकल्चर ईयर' शुरू हो जायगा।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—माननीय चेयरमेन महोदय, जो यह संशोधन प्रस्तुत किया गया है, जुलाई के स्थान पर जून से 'एग्रीकलचर ईयर' शुरू होने की बात कही गई और जो दलीलें दी गई हैं उस सम्बन्ध में इतना ही निवेदन कर देना चाहता हूँ कि जो जुलाई का महीना हमने इसके अन्दर रखा है उसको सारे भारतवर्ष में अलग-अलग प्रान्तों में जो है, उसी को यहां रखा गया है। दलील में यह कहा गया कि वर्षा के पहले खेत को तैयार करने आदि की सहूलियत रहे इसलिये यह रखा गया है। राजस्थान के इलाके को यदि एक्चुअली कन्सीडरेशन में लिया जाय और जिन इलाकों का जिक्र माननीय मित्र ने किया वहाँ वर्षा देर से

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

ज़रूर शुरू होती है जल्दी नहीं। बीकानेर में जल्दी शुरू नहीं होती है, बीकानेर में आखिरी जून और जुलाई में शुरू होती है। यू. पी. आदि दूसरे इलाकों में जहां वर्षा जल्दी शुरू होती है इसलिये १ जुलाई रखा गया है। आगे जब आप कानून की धाराओं को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि १ मई रखा गया है ताकि जमीन आदि तैयार करने के लिये पूरा समय मिल सकता है।

तो इस एग्रीकल्चर ईयर की यह बात दी गई है, इन सारी बातों को ख्याल में रखते हुए जो यहाँ रक्खा गया है वह वाजिब मालुम होता है; क्योंकि हमारे यहां कुछ इलाकों में वर्षा देर से होती है। तो इन चीजों को ख्याल में रख कर ही सिलेक्ट कमेटी में भी काफी वाद-विवाद इस पर हुआ है और वहां भी काफी विचार करने के बाद इन्हीं तारीखों के बारे में विचार किया गया था कि फर्स्ट जून रखने के बजाय फर्स्ट जुलाई रखना ज्यादा उपयुक्त होगा। इसलिये मेरा निवेदन करना यही है कि जो ओरीजिनल है उसे ही रक्खा जावे और जो अमेन्डमेन्ट्स हैं वे माननीय सदस्य वापिस ले लें।

हां, कृषि वर्ष वाली बात और कही गई है।

हिन्दी आजकल वैधानिक भाषा हो गई है। इसके ट्रान्सलेशन में अगर कृषि वर्ष होता होगा तो कृषि वर्ष कर दिया जावेगा या और कुछ होता होगा तो वह कर दिया जावेगा। यहां हमें इस शब्द से ही कोई लेना-देना नहीं है।

कुछ जगह 'खातेदार,' 'सहायक खातेदार' आदि शब्द प्रयोग किये गये हैं। यह रात-दिन काम में आने वाली शब्दावली है, इसलिए वे समझ लेंगे पर उनके लिए कृषि वर्ष भी मैं समझता हूँ उतना ही मुश्किल होने वाला है जितना कि एग्रीकल्चर ईयर; तो इसके लिये ऐसे टेक्निकल टर्म्स मुश्किल हो सकती हैं पर ट्रान्सलेशन के मौके पर ध्यान रख कर यह करना है, हो ही जावेगा। इसलिये आशा करता हूँ कि वे इसे ही उपयुक्त समझ कर अपने अमेन्डमेन्ट्स वापिस ले लेंगे। यह बात कह कर अपना कथन समाप्त करता हूँ।

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता—एग्रीकल्चर ईयर के अगर जुलाई से शुरू होने की ही बात रही तो अलवर में बहुत से काश्तकारों के पास जिनके पास क्रॉप्स नहीं हैं और हर साल पट्टे पर जमीन लेते हैं तो वे कब तो वह जमीन लेंगे पटटे पर, कब उसको ठीक करेंगे, जोतेंगे, कब खाद डालेंगे और कब बोएँगे ? इसमें उनको बड़ी कठिनाई होगी। एक महीने की कम से कम उनको ढील हो जावेगी। इसलिए अगर जून से शुरू कर दें तो फिर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। इसलिए मेरा ख्याल ऐसा ही था कि अगर यह जून से शुरू होता है तो अधिक अच्छा रहता। लेकिन चूँकि मन्त्री महोदय यह फरमा रहे हैं कि इसमें जो प्रोविजन है उनके मुताबिक दिक्कत नहीं आने वाली है तो ऐसी स्थिति में मैं अपना अमेन्डमेन्ट वापिस लेता हूँ।

श्री सभापति —श्री बद्री प्रसाद गुप्ता ने क्लाज न० ४, सब क्लाज (२), लिस्ट न० ११ में जो संशोधन मुव किया है उसको विद्ड्रा करने की वे इजाजत चाहते हैं, क्या सदन की अनुमति है कि उन्हें यह वापिस लेने की अनुमति दी जावे ?

(स्वीकृत)

आपको इजाजत दी गई।

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता—मैं अपना अमेन्डमेन्ट वापिस लेता हूँ।

श्री भैरूँसिंह (वि० सं० १६)—माननीय चेयरमेन महोदय, मैंने जो अपना संशोधन प्रस्तुत किया था उसके सम्बन्ध में कोई ऐसा माकूल उत्तर नहीं मिला जो मुझे किसी भी प्रकार का सन्तोष दिला सके। यह कहा गया कि जिस तरह से और प्रान्तों से राजस्थान प्रान्त की जलवायु और भूमि में भिन्नता है उसी प्रकार से राजस्थान में जो भी अलग-अलग हिस्से हैं उनमें भी आपस में भिन्नता है और इन सारी भिन्नताओं को दृष्टि में रखते हुए यह आवश्यक है कि जुलाई के प्रथम दिन से कृषि वर्ष को प्रारम्भ माना जावे। माननीय चेयरमेन साहब, इन सारी भिन्नताओं का एक वास्तविक दृष्टिकोण हमारे सामने है। इस दृष्टिकोण को सामने रखकर अगर हम देखें तो 'कृषि वर्ष' का तात्पर्य यह है कि वास्तव में राजस्थान में जिन दिनों में खेती प्रारम्भ की जाती हो उन दिनों में यहाँ के कृषिकारों को उससे कुछ लाभ हो और यह मानने के बाद उससे इस 'कृषिवर्ष' का सम्बन्ध अगर नहीं रखते हैं तो 'कृषि वर्ष' को मुकर्रर करने का सवाल ही बेकार हो जाता है।

इसके लिए हमें सोचना पड़ेगा कि वास्तव में राजस्थान में किस दिन से या किन दिनों में खेती प्रारम्भ होती है और उसके लिए मैं यह विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि जुलाई के प्रथम दिनों से नहीं बल्कि हमारे यहाँ खेती जून के प्रथम दिनों से प्रारम्भ हो जाती है और यदि बरसात के कारण से, जैसा कि मेरे एक माननीय साथी ने कहा कि यू. पी. से यहाँ बरसात देर से शुरू होती है, इसमें देर भी हो जावे तो कई जगहों पर बरसात का इन्तजार भी नहीं करते हैं, खेत को जोत-जुताकर तैयार करना प्रारम्भ कर देते हैं और जब वह जुत-जुताकर तैयार हो जाता है तो इसके बाद बरसात की प्रतीक्षा की जाती है कि अब बरसात बरसे और इधर से बीज डालें। पर, इसमें भी कम से कम एक महीना लग जाता है और खास तोर से चाही जमीन को तो तैयार करने में महीना भर लग ही जाता है। बारानी जमीन को भी वह तैयार करते हैं। आज जमीनों पर लोगों का ज्यादा ध्यान है और लोग इस कोशिश में हैं कि बारानी से ज्यादा से ज्यादा पैदावार हो। तो इन बातों को देखते हुए मेरा मत अब भी यही है कि कृषि करने का वास्तविक समय तो जून के पहले दिन ही है। पर अगर इसको आप एडजस्ट भी करना चाहें तो यह भी तभी होगा जब आप इसे मान लें, पर बहुत मुमकिन है कि नकल के आधार पर बनाये गये इस कानून में आप किसी प्रकार का संशोधन स्वीकार करने की हिम्मत न करते हों। पर, यह हमें साफ स्वीकार करना चाहिये कि वास्तविक स्थिति से इसका किसी भी प्रकार से मेल नहीं है।

मैं फिर कहता हूँ कि इसको आप स्वीकार कर लें, तो ज्यादा अच्छा है। जितने भी काश्तकारों के हिमायती इस सदन में बैठे हैं उनसे भी मेरी अपील है कि 'कृषि वर्ष' का प्रारम्भ करने का मेरा जो संशोधन है उसको स्वीकार करके काश्तकारों को राहत पहुँचाने का जो दृष्टिकोण है उसको प्रश्रय दें।

श्री सभापति—श्री भैरोंसिंह का क्लॉज़ नं० ४, सब क्लॉज़ (२) के ऊपर संशोधन लिस्ट नं० १२ सीरियल नम्बर ४ के अनुसार है; क्या यह सदन को स्वीकार है?

[श्री सभापति]

(अस्वीकृत)

अमेन्डमेंट गिर गया।

(विराम)

अब क्लॉज़ नं० ४ की सब क्लॉज़ (२) के पास करने के बाबत अनुमति ली जाती है। क्या सदन को यह स्वीकार है ?

(स्वीकृत)

सब क्लॉज़ (२) स्वीकृत हुआ।

(विराम)

अब क्लॉज़ नं० ४ के सब क्लॉज़ (३) के ऊपर श्री भैरोंसिंहजी का एमेन्डमेंट लिस्ट नं० १२, सीरियल नं० २०५ के मुताबिक है जो वह लिया जाता है।

श्री भैरूँसिंह (वि० सं० १६)—Mr. Chairman, Sir. I beg to move the following amendment to sub-clause [3] ;—

"[a] The word 'agriculture' be substituted by the word 'Kheti'

[b] Omit 'Semi colon' and put coma in its place and add the following in the end :—

"the raising of crops, grass of garden produce, dairy farming, cattle breeding and grazing."

माननीय चेयरमेन महोदय, 'एग्रीकल्चर' के सम्बन्ध में यह सारा का सारा कानून बन रहा है, जिसकी परिभाषा इस कानून में दी गई है :—

" 'Agriculture' shall include horticulture."

और इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। मेरा पहला संशोधन यह है कि "एग्रीकल्चर' शब्द के स्थान पर 'खेती' शब्द को एडजस्ट किया जाय। मैंने अभी जो सब क्लॉज़ (२) में 'एग्रीकल्चर ईयर' की जगह 'कृषि वर्ष' का संशोधन प्रस्तुत किया था उसके सम्बन्ध में माननीय मन्त्री महोदय ने यह फरमाया था कि 'कृषि वर्ष' शब्द भी शायद इतना जटिल हो कि काश्तकार उसको याद नहीं कर

[श्री भैरूँसिंह]

सकें। बहुत मुमकिन है कि इस प्रकार की जटिल समस्या यह नहीं बन जाय हालांकि इस प्रकार की मान्यता नहीं देना चाहिये, क्योंकि हमारी मातृभाषा का प्रचार हमें करना है और अंग्रेजी के स्थान पर हिन्दी भाषा को प्रचारित करने के लिए आपको उपाय निकालने चाहिए और इस प्रकार के उपाय करने में यदि इस प्रकार की जटिलताओं का सामना करना पड़े तो करना चाहिए। लेकिन यह मान भी लिया जाय कि 'एग्रीकल्चर ईयर' के स्थान पर 'कृषि वर्ष' किया जाता है तो यह शायद मुश्किल समस्या हो जाय, तो मेरा दूसरा संशोधन और जो शब्द काश्तकारों की जुबान पर रात-दिन रहता है, इस प्रकार का शब्द तो इसमें एडजस्ट कर लिया जाय। वह शब्द है 'खेती'। इसमें किसी भी काश्तकार को दिक्कत नहीं होगी। उसकी जुबान पर रात-दिन यह शब्द रहता है। अगर "खेती" शब्द को वह छोड़ देता है तो वह काश्तकार नहीं रहता है। काश्तकार और 'खेती' के जो सारे के सारे रिलेशन हैं उन रिलेशनों को यदि आगे लाना चाहते हैं तो 'खेती' शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा।

दूसरी दलील दी थी कि हिन्दी भाषा में जब इसका ट्रान्सलेशन किया जायगा उस वक्त इन शब्दों को एडजस्ट कर लिया जायगा, लेकिन हिन्दी भाषा में इसको ट्रान्सलेट करने में कई कानूनी अड़चनें हों और हिन्दी भाषा में इसको इन्टरप्रेट करने के लिए, क्योंकि कानून अंग्रेजी में बन रहा है तो इन्टरप्रिटेशन में किसी प्रकार की गलती हो जाती है तो उस चीज को दूर करने के लिए ऐसे शब्दों का टेक्निकल टर्म्स के आधार पर मन्जूर कर लेते हैं तो उसकी कुछ कानूनी मान्यता होगी। इसलिए मैं निवेदन करूँगा कि 'एग्रीकल्चर' शब्द के स्थान पर 'खेती' शब्द को एडजस्ट कर लिया जाय जो कि काश्तकारों में व्यापक है।

दूसरा मेरा संशोधन है कि 'एग्रीकल्चर' की जो डेफिनेशन दी है, वास्तव में 'एग्रीकल्चर' का डिक्शनेरी मीनिंग 'खेती' है और उसमें शामिल की गई है 'बागवानी'। 'खेती' में क्या-क्या शामिल होंगे? बागवानी भी शामील है, लेकिन राजस्थान में वास्तविक स्थिति को जब हम देखते हैं तो राजस्थान में बागवानी बहुत कम है और जो चीज कम होती है उसको खेती में शामिल किया गया है। मैं इस चीज से इन्कार नहीं करता हूँ कि बागवानी को खेती में शामिल नहीं किया जाय, लेकिन जो कि खेती के आवश्यक अंग से हैं और जिनका 'खेती' से अटूट सम्बन्ध है वह इसमें शामिल होना चाहिए। इसमें 'केटल ब्रीडिंग' का सवाल आता है। जानवरों का पालना खेती का मुख्य अंग है। जिस काश्तकार के पास जानवर नहीं होंगे उसकी उन्नति नहीं होगी। उसकी आर्थिक स्थिति खराब होगी। खेती करने के उसके पास साधन नहीं होंगे। खाद की आवश्यकता जो उसके सामने आती है वह आवश्यकता दूर नहीं होगी, जो खेतीहर आदमी होंगे उनके सामने यही समस्या होगी। जो खेतीहर है वह 'केटल ब्रीडिंग' भी करता है, जानवर भी रखता होगा, नस्ल के सुधारने के आधार पर किस प्रकार से ज्यादा पैदा लिया जाय, किस तरह से ज्यादा धन कमा सकें, इस प्रकार के साधन जुटाने पड़ेंगे। इसलिए केटिल ब्रीडिंग को इसमें शामिल करना होगा।

डेरी फार्मिंग के लिए भी उनका रखना बहुत आवश्यक है। जगह-जगह हम देखते हैं शहरों के अन्दर और कस्बों के अन्दर दूध की कितनी जबरदस्त समस्या है। यदि इस प्रकार की समस्या का इस प्रकार से हल नहीं निकालेंगे तो वह समस्या दिन पर दिन जटिल होती जायगी।

[श्री भैरूँसिंह]

राजस्थान में ही नहीं भारतवर्ष के लोगों की शारीरिक स्थिति खराब हो गई है। उस स्थिति को नहीं सम्हालेंगे तो उसमें इस प्रकार के कानून को पढ़ने वाले नहीं मिलेंगे। राजस्थान में राजा की तलाश में रात दिन लोग फिरते हैं और इस बेकारी को दूर करना है, इस चीज को खेती का प्रमुख अंग मानते हैं तो जिस प्रकार कि खेतीहर को रियायतें दी हैं उसी प्रकार की रियायतें उन लोगों को देनी पड़ेंगी। वह खेती का मुख्य अंग है। उस आवश्यक काम को खेती का मुख्य अंग के रूप में स्वीकार करना पड़ेगा। यह चीज उसी वक्त स्वीकार की जा सकती है जब कि हम देखें कि खेती और डेरी फार्मिंग एक है। डेरी फार्मिंग में कौन आदमी ज्यादा सफलता प्राप्त कर सकता है? यदि काश्तकार जो खेती करता है, जिसके पास खेत है, जिसके पास केटल ब्रीडिंग के साधन हैं, उस आदमी को थोड़ी सी रियायत दी जाय तो इस प्रकार के डेरी फार्मिंग कस्बों और शहरों को ज्यादा से ज्यादा दूध सप्लाई कर सकेंगे। उनको दूसरे लोगों को दूध प्राप्त कराने में कठिनाई नहीं होगी। यदि इसमें कोई सफलता प्राप्त कर सकता है तो वह काश्तकार ही सफलता प्राप्त कर सकता है। कई जगह सरकार ने जैसे कि बम्बई में डेरीफार्म हैं जिससे कि आधे बम्बई में दूध सप्लाई होता है उस जगह पर भी हम देखते हैं कि गवर्नमेंट घाटे में जाकर ट्रान्सपोर्ट आदि का खर्चा बर्दाश्त कर शहर में दूध सप्लाई करती है। इसलिए काश्तकारी का मुख्य अंग मानते हुए डेरी फार्मिंग को सहूलियत देकर चालू किया जाय, काश्तकारों के सहयोग से इस प्रकार का डेरी फार्मिंग किया जाय तो इससे काश्तकारों को सहूलियत होगी और दूध पीने वालों को भी सुविधा प्राप्त होगी। इसलिए मेरा निवेदन है कि 'खेती' में डेरी फार्मिंग को भी इन्क्लूड किया जाय।

तीसरा मैंने इसमें रखा है कि ग्रेजिंग और ग्रास प्रोड्यूस को इसमें (खेती में) शामिल कर लिया जाय। मैं इसमें यह देखता हूँ कि राजस्थान में चराई की समस्या बहुत अधिक है। राजस्थान में दो-तीन साल में अकाल भी आ जाता है। जिस समय अकाल आता है तो आदमियों के बनिस्पत जानवरों की दुर्दशा ज्यादा होती है। लोग अपने जानवरों को लेकर मालवा में पहुँच जाते हैं, लेकिन जब मालवा से वापिस आते हैं तो ५० जानवरों में से उनके पास ५,६ बचते हैं। यह सारी की सारी समस्या क्यों पैदा होती है? क्योंकि चराई के साधन नहीं हैं। चराई के साधनों में सरकार कोई सहयोग देना नहीं चाहती। कोई स्थायी इन्तजाम नहीं है कि जिस इन्तजाम से इस प्रकार के अकाल में सारी की सारी समस्या का निराकरण हो सके, लेकिन यह बात तभी हो सकती है जब कि इसको खेती का इम्पोर्टेन्ट सब्जेक्ट समझें। यदि चराई को आज इम्पोर्टेन्ट सब्जेक्ट समझें तो डेरी फार्मिंग, केटल ब्रीडिंग आदि इन चीजों का इसमें समाधान हो जाता है और काश्तकारों के सामने अकाल के कारण जो जबरदस्त समस्या आती है उस समस्या का निराकरण होगा और उसका उसी वक्त निराकरण हो सकता है जब कि खेती के साथ-साथ ग्रेजिंग फार्म्स चरागाहों की आवश्यकता को पहचाना जाय और इस प्रकार की चीजों को शामिल किया जाय और वह उसी वक्त शामिल हो सकता है जब कि हम इस कानून के जरिये उन लोगों को सहूलियत पहुँचायें और जो इस कानून में 'खेती' का शब्द एडजस्ट

[श्री भैरूंसिंह]

किया जाय तो इसमें डेरी फार्मिंग को शामिल किया जाय, कैटल ब्रीडिंग को शामिल किया जाय, ग्रीस प्रोड्यूस वगैरह और ऐसी अन्य चीजें है उनको उसमें शामिल किया जाय। दरअसल 'खेती' एक व्यापक चीज है, तो उसमें व्यापक शब्द 'खेती' ही काम करता है और उस व्यापक शब्द की पूर्ति उसी वक्त होगी जब कि वह शब्द ठीक से एडजस्ट होगा। इस प्रकार से एग्रीकल्चर की डेफिनिशन है उसमें संशोधन के रूप में जो मैंने कहा है उसको सम्मिलित कर लिया जाय।

श्री सभापति—दूसरा संशोधन इसी सब क्लॉज़ में श्री चाँदमल मेहता का है। वह उसको प्रस्तुत करें।

श्री चाँदमल मेहता—Mr. Chairman, Sir, I beg to move the following amendment to clause 4 (3) :—

"'Agriculture' shall include:—

(a) The raising of annual or periodical crops and garden produce;

(b) Horticulture;

(c) The planting and up-keep of orchard; and

(d) the reserving of land for fodder, grazing or thatching grass."

चेयरमेन महोदय, 'एग्रीकल्चर' की परिभाषा देते हुए इस एक्ट में सिर्फ यह दिया गया है कि :—

"Agriculture shall include horticulture."

और जैसा कि अभी एक माननीय सदस्य ने भी पहले बतलाया है कि इस डेफीनिशन को जैसा कि व्यापक पैमाने पर रखना चाहिए था उस तरीके से नहीं रखा गया। यही कहना मेरा भी है। इस डेफीनिशन में यह बतलाने की कोशिश की है कि खेती के अन्दर क्या-क्या चीजें शामिल हो सकती हैं? खेती के अन्दर खास तौर से डिफाइन करने की कोशिश की गई है कि जो एनुएली, पीरियोडिकली क्रॉप्स हैं गार्डन प्रोड्यूस हैं वह। और इसी तरह से मैंने इसमें कुछ दूसरी बातें बताने की कोशिश की है। जिसमें मैंने बताया है कि :—

"Agriculture shall include:—

(a) The raising of annual or periodical crops and garden produce, etc. etc."

Page No.58

[श्री चाँदमल मेहता]

तो जहाँ तक राजस्थान की स्थिति का सवाल है वहाँ तक राजस्थान की स्थिति इस किस्म की है कि यहाँ वारिश बहुत कम होती है। यहाँ पशुधन एक खास तौर की संपत्ति है और पशुधन सारा निर्भर है घास की उपज के ऊपर और घास के लिए जमीन जो है वह रिजर्व की जानी चाहिए। तो इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए मैंने ऐग्रीकल्चर की डेफीनिशन है उसको विस्तृत ढंग से और सारी आवश्यक चीजें जो इसके अन्दर आनी चाहिए उनका समावेश करते हुए मैंने एक नई डेफिनिशन रखी है। मैं मानता हूँ कि इस डेफिनिशन को माननीय मन्त्री महोदय स्वीकार कर लेंगे।

श्री कपिलदेव अग्रवाल—मिस्टर चेयरमेन, सर, जो एग्रीकल्चरकी परिभाषा में तरमीम करने की बात कही गई है उसका विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। इस बिल में एग्रीकल्चर शब्द जो डिफाइन किया गया है इसमें आगे चल कर एग्रीकल्चरिस्ट' को जो फायदे और राइट्स दिये गये हैं वे डेफिनिशन नं० ४ 'एग्रीकल्चरिस्ट में आते हैं। उसमें आगे माना गया है कि एग्रीकल्चरिस्ट को दिया जाने वाला फायदा, किन-किन लोगों को या व्यक्तियों को या किस समाज या तबके को जो इस परिभाषा में आते हैं, दिया जायगा। ये डेफिनिशन नं० ४ में आते हैं। यदि डेरी फार्मिंग को खेती समझा जाय तो प्रश्न उठता है कि क्या डेरी का काम करने वाले खेती करते हैं? खेती का मतलब यह है कि कोई आदमी जमीन पर काम करते हैं चाहे वे पेड़ लगावें, होर्टिकल्चर करें, हल चलाकर काश्त करें लेकिन जमीन पर कोई काम करते हैं, तो काश्त कहा जाता है। जो लोग केटल ब्रीडिंग का काम करते हैं, जंगल में जाकर भेड़ें चराते हैं तो उनको एग्रीकल्चरिस्ट नहीं कहा जा सकता। यह दूसरी बात है कि आप दूसरी तरह से उनको फायदा देना चाहें तो दे सकते हैं। क्लाज़ ४ में बातें दी गई हैं उनके अन्तर्गत, डेरी फार्मिंग, केटल ब्रीडिंग आदि बातें 'एग्रीकल्चरिस्ट' की परिभाषा में नहीं आती हैं, जिनको आप प्रोटेक्शन देना चाहते हैं उनको अलग रूप से दे सकते हैं। लेकिन 'एग्रीकल्चरिस्ट' तो उसी को माना जायगा जो जमीन पर काम करे। एग्रीकल्चरिस्ट में केटल ब्रीडिंग और डेरी फार्मिंग नहीं आ सकता।

श्री किशनलाल शाह—चेयरमेन महोदय, सब क्लॉज़ ३ में जो अमेंडमेंट आया है उसके बारे में मेरा निवेदन है कि मेरे ख्याल से सब क्लॉज़ ३ में जो एग्रीकल्चरिस्ट शब्द आया है वह आज की एक उपयोगी साइन्स है जिसमें जमीन की आवश्यकता पड़ती है। केटल ब्रीडिंगमें भी जमीन की आवश्यकता पड़ती है, डेरी फार्मिंग में भी जमीन की आवश्यकता पड़ती है। कल यह भी कहा जा सकता है कि इन्डस्ट्री, कारखाना बनाने के लिए जमीन की आवश्यकता पड़ती है इसलिए इन्डस्ट्रियलिस्ट भी 'एग्रीकल्चरिस्ट' कहलाये जाँय। क्लाज ३ में इस साइन्स को डिफाइन किया है "'Agriculture' shall include horticulture;" यह इससे साफ हो जाता है कि दूसरी चीजें एग्रीकल्चर में इन्क्लयूडेड नहीं हैं। दूसरे धन्धों को अगर हम एग्रीकल्चरिस्ट की तारीफ में लें और कोर्ट्स इसका इंटरप्रिटेशन करें तो इसमें और भी बाधा आ सकती है। इस तरह से जब हम इसे दोनों निगाहों से देखते हैं तो मौजूदा जो परिभाषा है उसमें हमारा लक्ष्य निहित है। इस क्लॉज़ का जहाँ तक सम्बन्ध है यह लेन्ड के बारे में है, टिनेन्टस के बारे में है। इसलिए इस अमेंडमेंट को इस

[श्री किशनलाल शाह]

क्लाज में लाना खतरनाक और अनुचित होगा। इसलिए मेरी राय है कि इसे अस्वीकार करना चाहिए।

श्री श्रीदास गोयल—अध्यक्ष महोदय, एग्रीकल्चर की डेफिनेशन जिसका कपिलदेवजी और दूसरे मित्रों ने विरोध किया उसमें प्लांन्टिंग ओफ ट्रीज़ (planting of trees) का अमेंडमेंट श्री चाँदमलजी ला रहे हैं। एग्रीकल्चरिस्ट की डेफिनेशन सब क्लाज (४) में है उसमें अहम शब्द है "wholly and principally by agriculture or by cattle breeding"। केटल ब्रीडिंग है वह भी 'एग्रीकल्चरिस्ट' की तारीफ में आ जाता है। एग्रीकल्चर के बारे में जो सबक्लाज (३) है वह भी महत्वपूर्ण है। फर्ज कीजिए कि एक व्यक्ति है जिसके पास ५ बीघा जमीन है, जिसमें उसकी निजी खेती होती है। उसने १०० वृक्ष आम के जगह जगह लगाये हैं। यह जरूरी नहीं है कि ये वृक्ष अपनी जमीन में ही उसने लगाए हों बल्कि वह दूसरों की जमीन में भी लगा सकता है और १०० वृक्षों की आय १० मन अनाज से अधिक है जो वह अपनी ५ बीघा जमीन में उपजा सकता था। तो वह wholly and principally खेती पर डिपेन्ड नहीं करता बल्कि आम के पेड़ों से आमद करता है। तो ऐसे व्यक्ति का भी काश्त से सम्बन्ध है। वह भी जमीन पर पेट पालता है, वह इस तारीफ में नहीं आया। होर्टिकल्चर जो शब्द है उसमें भी यह कवर नही होता। जब होर्टिकल्चर में भी नहीं आता तो एक शब्द को रखकर एग्रीकल्चर की मन्शा पूरी करना चंचल डेफिनेशन होगी। एक प्रकार की स्वस्थ डेफिनेशन......

श्री वृजसुन्दर शर्मा—ओन पोइन्ट ओफ ओर्डर, 'प्लान्टिंग ओफ ट्रीज़' का कोई अमेंडमेंट नहीं है।

श्री श्रीदास गोयल—श्री भैरोंसिहजी का अमेंडमेंट और है, planting of orchaerd बारे में।

मेरी इस परिस्थिति में यह गुजारिश है कि 'प्लान्टिंग ओफ ट्रीज़' इसमें और एड कर दिया जाता है तो क्लॉज स्वस्थ हो जाता है।

श्री वेदपाल त्यागी—Orchard is quite different from trees.

श्री सभापति—No discussions please.

श्री सोहनलाल भटनागर—यह सब क्लाज टिनेन्टस के राइटस और लिबर्टी को डील करता है। सारे बिल में जहाँ जहाँ यह शब्द आया है 'एग्रीकल्चरिस्ट' वहाँ कोई सेपरेट राइट नहीं दिए हैं सिवाय क्लॉज ४१ के अन्तर्गत जो सेल के लिए है जिसमें एग्रीकल्चरिस्ट को फर्स्ट प्रिफरेन्स दिया जायगा। 'रिमुवल ओफ ट्रीज़' का जो प्रोवीजन क्लॉज ६३ में है वहाँ, एग्रीकल्चर के लिए उनको ट्रीज़ काटने की छूट दी है। सिवाय एक-दो जगह के न कहीं इसका रेफरेन्स आता है और

[श्री सोहनलाल भटनागर]

न इसकी कोई युटिलिटी ही है। इसलिए इस डेफिनेशन में ज्यादा बहस की आवश्यकता नहीं है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—माननीय सभापतिजी, मैं समझता हूँ कि पहले मैं बता दूं कि बहुत सी चीजें किसी कानून के बनाने में आम तौर से प्रचलित व्याख्याएं हैं, उनका यहाँ समावेश करते हैं तो आगे जाकर कानूनी पेचीदगियाँ भी कम होंगी और आगे जा कर उनको स्वीकार करना होगा। यहाँ जो एग्रीकल्चर की व्याख्या ली है वह हमने खुद हो बना दी हो और दूसरी जगह नहीं हो, ऐसी बात नहीं है।

एक सदस्य ने कहा कि हमने यू. पी. की चीजें ली हैं। मैं आपको बता दूं कि हमने यू. पी. की ही नहीं बल्कि दूसरी जगहों की भी चीजें ली हैं, दूसरी जगहों में जो भी उचित बात थी उसे हमने लिया है। दूसरी बात मैं आपसे निवेदन कर दूं कि 'एग्रीकल्चर' शब्द की व्याख्या का जहाँ सवाल है यह 'एग्रीकल्चर' शब्द स्वतः ही इतना सीधा-सादा और प्रचलित है कि इसमें कोई भ्रम नहीं हो सकता। मेरी पूर्णतया मान्यता है कि जो व्याख्या एग्रीकल्चर शब्द की हमने रखी है वह इतनी साउन्ड और आम तौर से सभी जगह प्रचलित व्याख्या है कि इसीलिए इसमें और किसी तरह की अड़चन की जरूरत ही नहीं रहती। इसलिए कैटल ब्रीडिंग और डेरी फार्मिंग आदि का इसी व्याख्या में समावेश कर दें तो यह ठीक नहीं होगा और जो मूल व्याख्या है उसी को स्वीकार करना चाहिए।

ऐसी सूरत में इन अमेंडमेंटस को वापिस ले लिया जाय तो ज्यादा उपयुक्त होगा। मैं तो यह आशा भी नहीं करता था कि इस आम तौर से प्रचलित व्याख्या पर भी अमेंडमेंटस आयेंगे।

श्री चाँदमल मेहता—'Planting and upkeep of orchards' का भी जवाब दे दीजिये।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—इससे अधिकार क्या मिलेगा? कानून जो बनायें एग्रीकल्चर के लिए बनायें, वहाँ और सभी बातों का समावेश कर देना ठीक नहीं। यहाँ इस कानून में जो एग्रीकल्चर की व्याख्या है उससे कोई खास फर्क पड़ता हो ऐसी बात नहीं है।

इन सारी चीजों को जोड़ने की आवश्यकता नहीं है?

श्री भैरूंसिंह (वि० सं० १६)—माननीय चेयरमैन, मैंने जो अपने संशोधन एग्रीकल्चर की डेफीनेशन के बारे में प्रस्तुत किए थे उसके उत्तर में माननीय मन्त्री महोदय ने फरमाया कि 'एग्रीकल्चर' शब्द खुद ही इतना व्यापक है कि इसको डिफाइन करना आवश्यक नहीं है।

[श्री भैरोंसिंह (वि० स० १६)]

हमारे यहाँ भूतपूर्व रियासतों के विभिन्न टिनेन्सी एक्टस हैं, उन्हें भी देखा है और अब एक राजस्थान की टिनेन्सी का एक कन्सोलिडेटेड स्वरूप बनाने जा रहे हैं, इसको भी देखा है। यदि खास खास टेक्निकल शब्दों की डेफिनेशन्स की जरूरत नहीं होती, यदि यह सिद्धान्त मानकर चला जाता कि व्यापक शब्द की व्याख्या की आवश्यकता नहीं; तो हमने दूसरे कई शब्दों की व्याख्या देखी है, उनकी जरूरत नहीं रहती पर यह बात नहीं है, बीस-बीस शब्दों की डेफिनिशन्स इसमें दी गई हैं, उनकी आवश्यकता नहीं थी। इसके अलावा और भी कई शब्द हैं, जिनकी व्याख्या नहीं है, वह इस-लिए नहीं है कि उनका और कोई इन्टरप्रिटेशन नहीं होता।

जब यह देखें कि एग्रीकल्चर शब्द व्यापक है, और कामों में भी इसका प्रयोग किया गया है, ग्रास फार्मिंग, केटल ब्रीडिंग में भी इसका प्रयोग किया गया है, इस प्रकार की भी चीजें मिलती हैं। यदि नहीं मिलती तो 'एग्रीकल्चर' शब्द की डेफिनेशन की जरूरत नहीं थी और 'एग्रीकल्चर' शब्द का जो अर्थ डिक्शनेरी में दिया गया है उसी अर्थ में इसका प्रयोग होता तो कोई जरूरत नहीं थी कि इसकी व्याख्या यहां देते। 'एग्रीकल्चर' शब्द का अर्थ डिक्शनेरी में यह है:—

'The art or practice of cultivating the land.'

Agriculture includes horticulture but what is that agriculture ?

'एग्रीकल्चर' के अर्थ में होर्टीकल्चर भी शामिल है। ग्रास फार्मिंग और केटल ब्रीडिंग के लिए भी 'एग्रीकल्चर' शब्द का इस्तेमाल किया जाता है :

"'Agriculture' includes horticulture and raising of crops."

यदि कृषि से मतलब है, फसल को उपजाने के माने हैं तो फिर हमें इसको डेफिनिशन में देना पड़ेगा।

मन्त्री महोदय ने फरमाया कि दूसरे प्रान्तों में भी एग्रीकल्चर शब्द की यही व्याख्या की है जो हमारे यहाँ डेफिनेशन है। इसके लिए मेरा यह निवेदन है कि बम्बई का जो सन् १६४८ का टिनेन्सी एक्ट है उसमें एग्रीकल्चर की डेफिनिशन जो दी है वह इस प्रकार है:—"'Agriculture' includes horticulture, raising of crops, grass and garden produce, dairy farming, poultary, but does not include cutting of wood only."

तो दूसरे प्रान्तों की दुहाई दी जाती है कि दूसरे ढंग से डिफाइन नहीं किया है तो राजस्थान में किस तरह दूसरे ढंग से डिफाइन करते, यह ठीक नहीं। यह मैं बम्बई के आधार पर कह सकता हूँ कि एग्रीकल्चर की डेफिनेशन में यह सब चीजें शामिल हैं। बाकी के संशोधन स्वीकार नहीं किए जाँय तो कम से कम संशोधन का यह अंग तो अवश्य ही जोड़ना चाहिये कि "'Agriculture' shall include horticulture and raising of crops."

[श्री भैरोंसिंह]

रेजिंग ओफ क्रोप्स (raising of crops) को अगर शामिल नहीं करते हैं तो इसका अर्थ बिल्कुल गलत निकलेगा, इसलिए इस संशोधन को तो स्वीकार कर लें तो ज्यादा ठीक होगा।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—माननीय चेयरमेन, मैं समझता हूँ कि इस पर वोटिंग बाद में जब हाउस मीट करे तब ले लिए जावें; अब जो और बातें आगे कहीं जावें उनको भी देख लें।

श्री सभापति—क्लॉज नं० ४, सब क्लॉज (३) का वोटिंग अभी पोस्ट पोन किया जाता है। इस पर बाद में वोटिंग ले लिया जावेगा। अब हम दूसरा क्लॉज लेते हैं।

(विराम)

क्लाज नं० ४ सब क्लाज (४)। श्री चाँदमल मेहता।

श्री चाँदमल मेहता—माननीय चेयरमेन, मेरा एमेंडमेन्ट इस प्रकार है :—

"Delete the words 'or tenants' in line two of the sub-clause,"

जहाँ एग्रीकल्चरिस्ट की डेफिनेशन दी गई है वहाँ बताया गया है कि:—
"'Agriculturist' shall mean a person who by himself or by servants or tenats earns his livelihood wholly or principally by agriculture or by cattle breeding."

इसका मतलब यह होगा कि कोई अगर स्वयं या नौकर से या किसी टिनेन्ट से काश्त करवा कर अपनी जीविका (livelihood) पैदा करता हो तो वह एग्रीकल्चरिस्ट (Agriculturist) है। मगर मैं यह पूछना चाहता हूं कि टिनेन्ट से क्या मतलब है ? यह मैं नहीं समझा। अगर इसका यही मतलब हो कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को काश्त के लिये जमीन देकर अपना जीवन कमाना चाहता है तो यह उसको ऐसा करने का अधिकार नहीं क्योंकि Tenant in chief लेन्ड होल्डर की डेफिनेशन में लिया है। इसलिए मैं मानता हूँ कि माननीय मंत्री इस पर विचार करेंगे और टिनेन्ट शब्द को डिलीट (delete) कर देंगे।

श्री किशनलाल शाह—माननीय चेयरमेन, आज एग्रीकल्चरिस्ट पर सदन में बहस हुई और जो वातावरण है उससे भी स्पष्ट है कि आज समाज की गति अपने आप एग्रीकल्चरिस्ट (Agriculturist) कृषिकार की तरफ है और किसान किस रूप में प्रयत्नशील है। जो डेफिनेशन मूल सब क्लॉज़ (४) ओफ क्लॉज़ ४ में दी गई है उसमें कृषिकार वही है जो नौकरों द्वारा या काश्तकार के द्वारा या टिनेन्ट के द्वारा मुख्यतः या सम्पूर्णतः अपना जीवन चलाता हो या केटल ब्रीडिंग से

[श्री किशनलाल शाह]

अपना जीवन चलाता हो वह काश्तकार है। यह तो स्पष्ट है कि नौकर के जरिये से तो वे भी लोग काश्त करा सकते हैं; और काश्तकार हो सकते हैं जो अपंग होने से या दूसरे धन्धों में लगे होने से या नौकरी में लगे होने से स्वयं खेतों पर मौजूद नहीं रह कर खेती कराते हैं। अपंगों की बात को छोड़िये। दूसरी बात यह भी है कि जो टिनेन्ट के मार्फत, जिनके पास कोई दूसरा धन्धा नहीं है और जमीन ज्यादा है, उन्होंने सारी की सारी जमीन काश्तकारों को दे दी है और उससे जो आमदनी आती है उससे अपना गुजारा करते हैं। इसलिए उनको भी एग्रीकल्चरिस्ट माना जावे ऐसी भावना है तो इससे तो यह स्पष्ट है कि जो लोग लैन्ड होल्डर्स (land holders) हैं वे यह कह सकते हैं कि हम ही कृषिकार हैं और दूसरे लोग जो उनकी जमीन को बोते हैं वे हमारे नौकर और मजदूर की तरह हैं। इसमें ऐसी सम्भावना आ जाती है। अगर इसको माना जावे तो आज भी हमारे समाज में जागीरदारों का तबका मौजूद है और अगर आप यह चाहते हैं कि ऐसा तबका रहे और रहना चाहिये जिनको हम एग्रीकल्चरिस्ट (agriculturist) कहते हैं तो मैं यह कहूँगा कि यह डेफिनेशन ठीक नहीं। आप चाहते हैं कि ऐसा तबका रहे जिस पर हम शासन करें और वे भी एग्रीकल्चरिस्ट कहलावें। क्या इस कारण से यह डेफिनिशन रखी गई है? जब हम सेक्शन ४५ पढ़ते हैं जो टिनेन्ट से सम्बन्ध रखता है तो उसमें सारी बातें आ जाती हैं। इस प्रकार कोई कहीं नौकरी करे, अच्छी तनख्वाह कमावे और बैठा रहे और खेती टिनेन्ट से कराता रहे यह वही झगड़ा है, जो पहले था। जागीरदार जमीन की आमद लेते थे। उनको ठेकेदार कहें या न मालूम किस-किस नाम से कहा करते थे, क्या आज उसी पुरानी प्रथा को एग्रीकल्चरिस्ट की परिभाषा में जोड़ रहे हैं? इसलिए इस तरीके से इसको नहीं देख कर मैंने जो सुझाव रखा है इसकी परिभाषा रखी है उसको रखा जावे। वह यह है :—

"'Agriculturist' shall mean a person or body of persons corporate or incorporate who by himself, themselves or itself respectively earns his, their or its livelihood by agriculture wholly or principally or as subsidiary to their occupation other than agriculture or by cattle breeding."

जब हम इस दृष्टिकोण को लेते हैं तो हमारे जमीन का आगे का क्या नकशा होना चाहिये सहकारी समितियों के रूप में या और किसी रूप में, उसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। इसमें यह रखा है कि :—

"A person or body of persons corporate or incorporate"...इससे उसका रूप तो आ जाता है क्योंकि corporate can be sued or can sue in his own way.

तो प्रश्न पैदा हो सकता है। इसलिए यह मान लिया जावे कि "'agriculturist' shall mean a person.." This shall include a body of persons. That may be taken to be the interpretation.

तो to make it move clear would not be harmful.

[श्री किशनलाल शाह]

और इसके बाद में :—

"As subsidiary to their occupation other than agriculture" को जोड़ने की आवश्यकता हुई ? 'एग्रीकल्चर' (agriculture) की डेफिनिशन साफ करनी पड़ेगी। एक व्यक्ति साल में दो महीने तक काम करता है और बाकी नौकरी करता है। इसलिए एग्रीकल्चर पर ज्यादा समय खर्च करे उसको ही क्यों 'एग्रीकल्चरिस्ट' कहना चाहिये ? जहाँ पर एक फसल होती है वहाँ पर चार महीने ही काम होता है और बाकी आठ महीने तक कोई काम नहीं होता। But he depends on agriculture यह कहा जावे wholly or principally, then he would be affected.

जितना वह कमाता है उसमें भी उसको नुकसान रहता है तो that becomes a matter of enquiry. तो डबल क्रोप एरिया (double crop area) में काश्त करने वाले हैं वे ८ महीने काम करते हैं और ४ महीने बैठे रहते हैं। एक फसल वाले ३ या ४ महीने काम करते हैं और ८ महीने दूसरा काम करते हैं। लेकिन फिर भी वे गांव में 'एग्रीकल्चरिस्ट' हैं और इस बात को Planning Commission ने स्वीकार किया है कि गाँवों का मुख्य आधार कृषि है। गाँव को कृषि का प्रतिरूप मानना चाहिए और यही मान कर चलना चाहिए। इस संबन्ध में मौजूदा डेफिनिशन हल्की उतरती है और कुछ ऐसी रह जाती है कि जो समर्थ हैं, राजाओं के बाद में जागीरदार, और उनके बाद स्टेट होल्डर ने कब्जा किया। बाद में जो सबसे नीचे लोग रह जाते हैं उनको मजबूर किया और किया जाता है और वे इससे इफेक्टेड होते हैं। एग्रीकल्चरिस्ट का इस एक्ट में ज्यादा कोई reference नहीं सिवाय एक Civil procedure Code section 60 के मातहत उसको property assessable agriculturist की तारीफ में आता है या नहीं।

अगर हमने एग्रीकल्चरिस्ट की यह डेफिनेशन दे दी तो इस पर भी असर पड़ेगा। डेफिनिशन को वाइड करने में कोई नुकसान नहीं होगा जब तक उनको कोई फायदा नहीं दिया जाता। इस एक्ट के एक्जीक्युशन में और जिस स्टेज पर यह एक्ट रखा जाता है उसे किसी तबके को नुकसान न हो तो मैं यह निवेदन करूंगा कि जो मूल परिभाषा है उस पर विचार किया जावे और मैंने जो एमेंडमेंट पेश किया है उस पर भी विचार किया जावे और उसके बाद In-charge of the Bill, the Hon'ble Revenue Minister अपना भाषण देंगे तो फिर मैं अपने विचार व्यक्त करूंगा।

श्री श्रीदास गोयल—माननीय चेयरमेन, ये टिनेन्ट......

श्री हरिकृष्ण व्यास—On a point of order, will all the amendments be moved first ?

श्री सभापति—पहले एमेंडमेंट वाले बोलेंगे और उसके बाद दूसरे बोल सकेंगे। श्री त्रिवेणीश्याम शर्मा।

(अनुपस्थित)

[श्री सभापति]

श्री वेदपाल त्यागी।

श्री वेदपाल त्यागी—Mr. Chairman, Sir, I beg to move the following amendment to sub-clause [4] of clause 4 of this Bill :—

"Delete from lines 1 and 2 the words" or by servants or tenants."

मिस्टर चेयरमेन, जिस वक्त कि सदन में इस बिल के सिद्धान्तों पर आम बहस हो रही थी उस वक्त मैंने अपने विचार इस सम्बन्ध में प्रकट किये थे। मैं विस्तार से उस वक्त नहीं कह सकता था और न मैं कहना भी चाहता था क्योंकि मैं अपना अमेन्डमेंट मूव कर चुका था और मैं जानता था कि जब अमेन्डमेंट्स लिए जावेंगे तो उस समय मैं अपने विचार विस्तार पूर्वक सदन के समक्ष रखूंगा। मुझे आशा है कि सदन में इधर और उधर से विचार सुनकर हमारे माननीय मन्त्री महोदय 'एग्रीकल्चरिस्ट' की भाषा में कुछ परिवर्तन करने के लिए शायद सहमत होंगे।

इस बात को मैं मानता हूं कि जहाँ तक इस बिल का ताल्लुक है 'एग्रीकल्चर' को परिभाषा के अतिरिक्त कोई खास महत्त्व या हक नहीं दिया गया है। लेकिन यह परिभाषा यह बतलाती है कि हम किस प्रकार की समाज-व्यवस्था की रचना करने जा रहे हैं? यद्यपि हक दिया हो या नहीं किन्तु जब हम बुनियादी चीज की परिभाषा करने जा रहे हैं कि हमारे प्रान्त में एग्रीकल्चरिस्ट कौन कहलायेगा तो उसका असर दूसरी चीजों पर पड़े बिना नहीं रह सकता। यह बुनियादी चीज है कि हम किस प्रकार का पेशा करने वाले को 'एग्रीकल्चरिस्ट' की परिभाषा में शुमार करना चाहते हैं?

मैं यह कहूँगा कि आज के जमाने में जब कि यह लहर चल रही है कि जमीन का मालिक वही होना चाहिए जो जमीन पर खुद (स्वयं) काश्त करता है, जो जमीन को स्वयम् जोतता है, अपने को किसान कहला कर खेती करके जो कुछ हासिल करे, वही एग्रीकल्चरिस्ट होना चाहिए, वही जमीन का मालिक माना जाना चाहिए। जहाँ इस प्रकार की लहर चल रही हो, जहाँ भू-दान का आन्दोलन चल रहा हो कि जिनके पास जमीन नहीं है उनके द्वारा उनके श्रम को एक्स्प्लोइट नहीं होने दिया जायगा, जिनके पास पैसा है और साधन है और जो पैसे और साधन के आधार पर मिहनत करवाते हैं और खुद दूसरे के साधनों और श्रम को भोगते हैं उनको एक्स्प्लोइट नहीं करने दिया जायगा। जहाँ इस प्रकार का आन्दोलन चले और दूसरे देशों में भी जमीन के ऊपर रिफोर्म्स हो रहे हैं, वहाँ हमारे यहाँ यह कानून बनाया जा रहा है और 'एग्रीकल्चरिस्ट' की परिभाषा में उनको शुमार किया जा रहा है जो पैसे के बल पर या दूसरे-दूसरे साधनों के बल पर, जिनके पास जमीन नहीं है, जिसके पास खाने कमाने का जरिया नहीं है उनसे श्रम कराया जाय और फायदा वे उठावें जिनके पास पैसा है और दूसरे साधन हैं।

कुछ लोगों को दिक्कतें पेश आवगी उनको रहने से, किन्तु उनको रियायतें दे सकते हैं। हमने कई इन्टरमिडियरीज़ को खत्म किया है, जमीदारी को खत्म करने के लिए जैसा कि आश्वासन

[श्री वेदपाल त्यागी]

दिया गया है कि अगले सेशन में बिल आने वाला है। तो हम इन्टरमिडियेरीज़ को खत्म कर रहे हैं। हो सकता है कि उनके सामने कठिनाइयाँ आवें अगर परिभाषा बदल लें तो। किन्तु यह नहीं हो सकता है कि उनका सामना करने के लिए समाज-निर्माण न करें ? इसके न होने से हमारी समाज-व्यवस्था पर खराब असर पड़ता है।

तो मैं निवेदन करूंगा माननीय चेयरमेन, कि इसमें जो एग्रीकल्चरिस्ट की परिभाषा की गई है उसमें बताया गया है कि "'Agriculturist' shall mean a person who by himself or servants or tenants earns his livelihood wholly or principally by agriculture or by cattle breeding."

यानि जो व्यक्ति स्वयं मेहनत करके या नौकरों द्वारा मेहनत करवा कर जो काश्तकार या व्यक्ति रोजी कमाते हैं वे ही 'एग्रीकल्चरिस्ट्स' कहलावेंगे। मैं जानता हूँ और कोटा के लिए कह सकता हूँ कि वहाँ पर बहुत से ऐसे सेठ साहूकार हैं जिनके पास हजारों बीघा जमीन है और जिनकी आमदनी का केवल मात्र एक यही जरिया है और जो दूसरा धन्धा नहीं करते हैं, वह जमीन का हाली रख कर काश्त करवाते है या दूसरे लोगों को जो काश्त करते हैं हटा कर काश्त करवाते हैं और बड़ी-बड़ी इनकम [income] इसके जरिये से पैदा करते हैं और मैं यह भी कह सकता हूँ कि मुनाफे पर रख लेते हैं तो क्या उनको एग्रीकल्चरिस्ट मान लिया जाय ? किन्तु जो वाकई काश्त करते हैं और जिनके पास जमीन नहीं है और जिनको दूसरे कानूनों में एग्रीकल्चरिस्ट माना गया है, क्या उनको एग्रीकल्चरिस्ट नहीं माना जा सकता ? तो ऐसी सूरत में मैं निवेदन करूंगा कि इस बदलते हुए युग में, इस बदलते हुए जमाने में, इस बदलती हुई दुनियाँ में, जमीन पर उसी का हक होना चाहिये जो कि जमीन खुद काश्त करता है और एग्रीकल्चरिस्ट की परिभाषा भी ऐसी ही होनी चाहिए। किन्तु ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जो दिल्ली में बैठा चार मिल चला रहा है और इधर से लाखों रुपयों की आमद भी जमीन से करता रहे। यह जमाने की मांग है और उसके अनुसार हमको चलना चाहिये, इस विधान सभा को भी चलना चाहिये।

(विपक्ष की ओर से 'हियर-हियर' की आवाज)

जो सुझाव मैंने रखा है उसके लिए मैं माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे इस पर गौर करके उसको स्वीकार करें और अगर वे इस सुझाव को स्वीकार करने में कठिनाई महसूस करें या उनको कोई दिक्कत हो तो सदन को चाहिये कि इसको स्वीकार करके 'एग्रीकल्चरिस्ट' की परिभाषा में तब्दीली करे।

श्री सभापति—एक अमेन्डमेंट इस क्लॉज़ पर श्री भैरूंसिंहजी का है, वे यहाँ मौजूद नहीं है। अब जो कोई बोलना चाहें बोलें।

श्री बृजसुन्दर शर्मा--मेरा भी तो है।

श्री सभापति—सब क्लॉज ४ में आपके बहुत से अमेन्डमेंट हैं, वे सब एक साथ ले लेंगे।

श्री बृजसुन्दर शर्मा--वह फोर्मल है। माननीय चेयरमेन, जो फोर्मल तरमीम है वह इस तरह पर है कि जहाँ एग्रीकल्चरिस्ट बड़े 'ए' से शुरू होता है वह वहाँ छोटे 'ए' से होना चाहिये। यह बहुत फोर्मल है। सेमीकोलन के बाद शुरू होता है तो 'ए' बड़े से न होकर 'ए' छोटे से शुरू होना चाहिये।

अब हमारे माननीय मित्र श्री वेदपालजी त्यागी ने जो तरमीम रखी है, मैं समझता हूँ कि वह बहुत ही समयानुकूल है और उसके बगैर हम इसको अधूरा ही रख छोड़ेंगे। यह जो कहा गया

(विपक्ष की ओर से 'हियर-हियर')

है, वास्तव में जमीन उसकी होनी चाहिये जो उसको जोतता है, उसकी शोषण की प्रवृत्ति को बन्द करना चाहिए। हम इस डेफिनेशन के जरिये तो 'एग्रीकल्चरिस्ट' को फायदा मिलने के बजाय फायदा उन दूसरे लोगों को देना चाहते हैं जो वास्तव में अपने हाथों से खेती नहीं करते, अपने हाथों से जमीन को नहीं जोतते और दूसरों को जमीन जोतने के लिए नौकर रख कर शोषण करते हैं और खेती का काम करवाते हैं। हो सकता है कि किसी के पास सौ बीघा जमीन हो, वह अकेला तो उसको नहीं जोत सकता, किन्तु उसके लिए उसको नौकर रखना पड़ेगा। लेकिन इस डेफिनेशन के जरिये वह स्वयम् खेती न करके नौकरों से खेती करवाये तो उसको वह फायदा नहीं मिलना चाहिये जो कि एक एग्रीकल्चरिस्ट को वाकई मिलना चाहिये या मिल सकता है। वह फायदा तो उनको ही मिलना चाहिये जो कि अपने बाहुबल से खेती करते हैं और अपनी महनत के अलावा नौकर रख सकते हैं या खेती के लिए आने वाले लोगों की जरूरीयात को पूरा कर सकते हैं।

दूसरी जो तरमीम हमारे माननीय किशनलालजी शाह ने रखी है, जो तरमीम उन्होंने लिखित में पेश की है और जो भाषण उन्होंने उसके सम्बन्ध में दिया वह उस तरमीम के विपरीत पड़ता है, ऐसी मेरी मान्यता है। उनकी तरमीम के जरिये यह फायदा एग्रीकल्चरिस्ट को नहीं कार्पोरेटेड बोडी को मिलना चाहिये। यदि सौ मेम्बर किसी कार्पोरेटेड बोडी में हुए तो उसमें छोटे से छोटे एग्रीकल्चरिस्ट भी शामिल हो जावेंगे। कार्पोरेटेड बोडीज़ होती है तो क्या उनमें सारे के सारे खेती करने वाले ही थोड़े होते हैं? यदि जिनका जरिया एक मात्र खेती है, सब के सब मिलकर यदि खेती करते हैं तो वे सब डेफिनेशन में आजावेंगे। लेकिन मान लीजिये कि खेती खुद करते नहीं हैं और अगर कोर्पोरेटेड बोडी बना लेते हैं और दूसरों के जरिये खेती करवाते हैं तो इसकी मन्शा यह नहीं है कि कोर्पोरेटेड बोडी के जो मेम्बर्स हों वे इसका फायदा उठा सकें।

इसके अलावा जो एक बात और उन्होंने रखी है वह यह कि जब हम एक तरफ तो यह लिखते हैं 'They earn their livelihood by agriculture wholly or principally". And the

[श्री बृजसुन्दर शर्मा]

Hon'ble Member says. "as subsidiary to their occupation other than agriculture" So 'Subsidiary to their occupation.' है सो वह बिलकुल इसके विपरीत पड़ती है और इस सेन्स के खिलाफ है। यह जैसा कि उन्होंने कहा है हम फायदा देना चाहते हैं वास्तव में उनको कि जिनकी की आमदनी का जरिया खेती है। यह जो तरमीम उन्होंने रखी हैं वह हो जानी चाहिए। यही मेरा निवेदन है।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—Mr Chairman, Sir, इस सब क्लॉज़ के मुतल्लिक जितने भी अमेन्डमेंट्स आये हैं उन सब का विरोध करता हूँ। मेरे खयाल में मौजूदा जो डेफिनिशन है वह दुरुस्त है। इसका कारण मैं यह समझता हूँ कि इसके मायने यह न समझे जाँय जो गरीब आदमी है और जिनके पास जमीन नहीं है उनको जमीन जोतने से महरूम किया जा रहा है। यह सिद्धान्त मान लिया गया है कि जमीन उसी की होनी चाहिए जो जमीन जोतता है। इसके अलावा अगर हमारे देश को, इस विधान को मानते हुए समृद्धशाली बनाना है और Grow more food compaign का फायदा उठाना है तो हमें जो मौजूदा स्वरूप है वही रखना चाहिए। हर आदमी अपनी शक्ति के मुवाफिक अपने कुटुम्ब का पालन कर सके और शहर में जो रहने वाले हैं और आसपास के पड़ोसी देश, जहाँ अन्न की कमी है उनको भी अन्न दे सकें। जब तक हम दूसरे देशों को, ज्यादा अनाज पैदा कर, नहीं भेजेंगे तब तक हमारे देश की माली हालत है इसमें कभी सुधार नहीं हो सकता। हम अपने संकुचित विचारों के साथ देश का हित नहीं कर सकेंगे।

अमेरिका, चीन व रशिया में जहाँ बहुत एडवान्स किस्म की खेती की जाती है, वहाँ पर भी बड़े बड़े फार्म होते हैं। वे अपने यहाँ की आवश्यकता-पूर्ति के लिए ही खेती नहीं करते, बल्कि आसपास के देशों को भी अन्न भेजते हैं। शहर में जहाँ खेती करने वाले नहीं हैं उनके लिए भी काफी तादाद में अन्न और कपास भेजते हैं। इसलिये अगर हम सेन्टिमेन्टल बेसिस और व्यावहारिक रूप से देखेंगे तो बेशक जो गरीब आदमी हैं और जो टिलर ऑफ दी सोइल [Tiller of the soil] हैं, जमीन पर उसी का अधिकार रहना चाहिये जो अपने शक्ति के मुवाफिक खेती कर सके और इसके साथ-साथ अगर हम बड़े-बड़े फार्म्स को जहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में कपास या अन्न उगाया जाता है सहूलियत नहीं देते हैं तो पड़ोसी देश जहाँ धान और कपास की कमी है उनको भेजने के कर्त्तव्य से परे हटते हैं। यह हमारा कर्तव्य बन जाता है कि हम अपने पड़ोसी देश जहाँ धान और कपास की कमी हो मदद करें और अपने देश की माली हालत को सुधारें। इसलिये मैं सदन से निवेदन करूंगा यह जो संकुचित विचार है उसको छोड़ा जाय और यह समझा जाय कि देश में बड़े बड़े फार्म के बिना देश में ज्यादा धान कोलोनाइजेशन के क्या मायने होंगे, फ्रेग्मेन्टेशन के क्या मायने होंगे; इससे देश को काफी नुकसान पहुँचेगा। इसलिये आपको सेन्टीमेन्टल विचारों को छोड़कर पक्के व्यावहारिक विचार रखकर गरीब आदमी और छोटे काश्तकारों के लिये जमीन देना जहाँ आवश्यक हो जाता है उसके साथ-साथ ट्रेक्टर और मेकेनिकल कलटीवेशन को प्रोत्साहन देना बहुत जरूरी है। यह देश के हित की बात है और देश के लिये लाभदायक है और जो तरमीमें पेश की गई हैं

Page No.69

[कुँ० श्री जसवन्त सिंह]

वे प्रेक्टिकल नहीं हैं, इसलिये मेरा निवेदन है कि जो मौजूदा परिभाषा है वही मेरे ख़याल से ठीक रहेगी।

श्री भीमसिंह—माननीय चेयरमेन महोदय, मैं नावां और छबड़ा से आये हुए सदस्यों ने जो अमेन्डमेंट्स रखे हैं, उनका विरोध करता हूँ। इसके साथ-साथ यह निवेदन करूंगा कि माननीय सदस्यों को जिन्होंने संशोधन प्रस्तुत किये हैं कि उन दोनों को इसका प्रेक्टिकल तजुर्बा नहीं है। इन संशोधनों से काश्तकारों को अड़चनें आयेंगी, उनके सामने रुकावटें आयेंगी। इस डेफिनेशन में जो सर्वेन्ट्स (servants) शब्द है उसको डिलीट करने का जो रखा है उसमें बहुत अड़चनें आने वाली हैं। उसमें क्या होगा कि जिन इलाकों में, जिन गाँवों में बरसात हो जाती है वहां खेती का काम शुरू हो जाता है और जिनमें नहीं होती वहां के काश्तकार ठाले बैठे रहते हैं वे अपने हल किराये उन गांवों को ले जाते हैं, अड़ौसी-पड़ौसी गांवों में जहां पर कि बरसात हो चुकी होती है उसका उनको किराया मिल जाता है। जिस काश्तकार के पास एक ही हल है और एक ही जोड़ी है बैलों की और वह ५० बीघा जमीन जो उसके पास है उसको जोतता है, बाजरे की खेती बोने के लिये, क्योंकि बाजरे की बोनी तीन चार दिन ही अच्छी मानी जाती है। ऐसे समय वे गांव वाले काश्तकार जिनके यहां बरसात नहीं हुई है अपने हलों और बैलों से उस खेत को जोत सकते हैं और उस किसान को बाजरे की खेती के लिये जमीन ठीक करने में मदद दे सकते हैं। इस तरह से उनसे हल किराये पर लेकर तीन चार दिन में बीज डाल देते हैं। अगर हम सर्वेन्टस (servants) शब्द को हटा देंगे तो वे काश्तकार हल किराये पर नहीं ला सकते। तो उससे यह होगा कि वह किसान १५-२० बीघा से ज्यादा काश्त नहीं कर सकेगा। इसका नतीजा यह होगा कि आम तौर पर जहां पर रेगिस्तान है वहां १०-१२ बीघा के सिवाय जमीन काश्त नहीं कर सकेंगे। दूसरा उन लोगों का बड़ा नुकसान होगा जो बरसात के बिना दूसरों का मुंह ताकते हैं और दूसरे गांव में जाकर अपने हल किराये पर देकर अपनी आजीविका चलाते हैं।

शहर में रहने वाले हैं जिनको काश्तकारों का अन्दाज नहीं, उन्होंने इस प्रकार के संशोधन रखे हैं। टिनेन्ट्स के बारे में अगर कहा जाय तो मुझे कोई आपत्ति नहीं।

नावां से जो मेरे मित्र आये हैं और जो छबड़ा से आए हैं उन्होंने जो पोइन्ट रखा; एक तरफ तो उन्होंने यह कहा था wholly or principally जो प्रोफेशन खेती से कमाते हैं और उसके साथ-साथ यह भी लगा दिया Subsidiary to their occupation other than agriculture इसमें जो सब्सीडियरी (subsidiary) शब्द रखा है उसका बहुत बड़ा स्कोप है। इसका मतलब यह हुआ कि जो महानुभाव शहर में या डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर में वकालात करते हैं वे भी जमीन का शोक फरमा सकते हैं। जो वकालात का पेशा करते-करते कभी-कभी मन में आया तो खेती के लिये भी कार्य करने लग जायं और वकालात के पेशे के साथ-साथ जमीन को पंचायती में भी पहुँच जायं, दूसरा कोई एम. एल. साहब हैं जो अपने नाम से थोड़ी बहुत जमीन लेकर के खेती कर सकते हैं। इस तरह से दोनों जो संशोधन रखे हैं वे काश्तकारों के धन्धे से परिचित नहीं हैं, ये अड़चने

Page No.70

[श्री भीमसिंह]

डालना चाहते हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि "Subsidiary to their occupation other than agriculture" इन संशोधनों को कतई माननीय मन्त्री महोदय मन्जूर नहीं करें।

श्री श्यामलाल गोयल—माननीय चेयरमेन महोदय, इस क्लॉज में तीन संशोधन आये हैं। एक संशोधन श्री चान्दमलजी मेहता का है जिसमें टिनेन्ट शब्द को हटाने का प्रस्ताव है, दूसरा संशोधन है जिसमें हायर्ड लेबर [hired labour] और टिनेन्ट [tenant] दोनों के हटाने का सुझाव है और तीसरा संशोधन श्री किशनलाल जी शाह का है।

जो संशोधन श्री चाँदमल मेहता ने प्रस्तुत किया है उसका मैं समर्थन करता हूँ। कारण यह है कि जो 'एग्रीकलचरिस्ट' की परिभाषा दी गई है, एग्रीकलचरिस्ट वह तबका है जिसको हर कानून में संरक्षण प्राप्त है। आप सिविल प्रोसीजर कोड की सेक्शन ६० में लीजिए, उसमें एग्रीकल्चरिस्ट की प्रोपर्टी का अटेचमेंट है। यदि किसी को एक्जीक्यूशन ऑफ डिक्री में गिरफ्तार किया जा सकता है, सिविल डिक्री के लिये उसको कस्टडी में लिया जा सकता है, पर किसी काश्तकार को नहीं; इसी प्रकार एग्रीकलचरिस्ट इन्डेब्टेडनेस [inbedtedness] का कानून है जो कानून हो सकता है। हमारे यहां भी है। सिविल प्रोसीजर कोड में एग्रीकलचरिस्ट के लिये कुछ खास संरक्षण हैं, इसलिये हर शख्स यह कोशिश करता है कि वह एग्रीकलचरिस्ट की तारीफ में आजाय।

श्री हरिकृष्ण व्यास—On a point of order, Sir, there is not a single Hon'ble Member on the Treasury Benches.

श्री सभापति—Right.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया —(सदन में प्रवेश करके मैं) सुन रहा हूँ।

श्री श्यामलाल गोयल (अपना भाषण जारी रखते हुए)—माननीय चेयरमेन महोदय, यह जरूरी है कि जो एग्रीकलचरिस्ट की परिभाषा बने वह बिलकुल साफ हो, क्योंकि ऐसे तत्वों को इस परिभाषा में आने से रोक दें जो हर असल एग्रीकलचरिस्ट नहीं। अतः यह बहुत जरूरी है।

अगर टिनेन्ट्स को इसकी परिभाषा में रखते हैं तो इसमें सब टीनेन्ट भी शामिल कर दिया गया है और सब टिनेन्ट को अगर इसमें शामिल करते हैं तो इसका मतलब है कि जितने भी लेण्ड होल्डर्स वगैरह, जितने भी प्रकार के लोग हैं वे तमाम एग्रीकल्चरिस्ट की तारीफ में आ जावेंगे हालाँकि वे अपने हाथ से हल नहीं चलाते। वे खेत जोतने को देंगे दूसरों को, और काश्त करने के लिए देंगे दूसरों को और दूसरे जो उस जमीन पर सही माने में महनत करेंगे उनसे वे रुपया पावेंगे, या रेन्ट लेंगे और इस तरह से इससे वे फायदा उठावेंगे। वह उनके लिए एक तरह का आमदनी का जरिया, रुपये का इन्ट्रेस्ट हो सकता है उनका, पर वे स्वयं इससे एग्रीकलचरिस्ट नहीं हो सकते। इसलिए टिनेन्ट शब्द को हटा दिया जावे।

रहा हायर्ड लेबर [hired labour] का प्रश्न। इसके लिए जो शब्द मेरे माननीय साथी

[श्री श्यामलाल गोयल]

श्री भीमसिंहजी ने कहे वे दुरस्त हैं। खेत का ओपरेशन बीज डाल देने मात्र से खतम नहीं हो जाता है। उसमें निन्दाई है, गुड़ाई है, पानी देना है, खाद देना है, बहुत से ओपरेशन्स होते हैं। इन कामों में करने के लिए अगर एक एग्रीकलचरिस्ट है, पर उसके घर में और कोई नहीं है, मेम्बर्स ऑफ फेमिली [members of family] उसके नहीं हैं तो अगर वह मुलाजिम किसी को रखता है या इसके लिए हायर्ड लेबर [hired labour] लाता है और उससे खेती के दूसरे ओपरेशन कराने में मदद लेता है और ऐसा अकसर होता है तो इससे वह एग्रीकलचरिस्ट होने से महरूम हो जावेगा। यह तो कोई सही चीज नहीं है। ऐसे तो काश्तकार बहुत ही कम होते हैं जो शुरू से आखिर तक जितने भी खेती के आपरेशन्स होते हैं उन्हें अपने आप कर लें। उनको किसी न किसी समय हायर्ड लेबर [bired labour] की जरूरत होती ही है। तो हायर्ड लेबर [hired labour] को अगर इसमें से हटादिया जाता है तो एग्रीकल्चरिस्ट की डेफिनिशन में कुछ ही आदमी आवेंगे जिनके घर में काफी मेम्बर्स होंगे और ऐसे काफी मेम्बर्स वाले घर बहुत ज्यादा नहीं हो सकते। इसलिये स्वाभाविक रूप से बहुत थोड़े ही लोग इसकी डेफिनिशन में आवेंगे। अगर इस डेफिनिशन को इतना संकुचित कर दिया तो दर असल जिनका जरिया, कमाई ही एकमात्र खेती है, उनको भी सिर्फ इस वजह से कि समय-समय पर हायर्ड लेबर (hired labour) की जरूरत पड़ती ही है, अगर उनकी वह हायर्डलेबर की सहूलियत बिलकुल ही हटा दी जावेगी तो इसका अन्जाम जो होने वाला है वह बुरा होगा। इसलिए शब्द हायर्ड लेबर (hired labour) जो है इसमें से नहीं हटाया जाना चाहिये। वह बदस्तूर इसमें रहना चाहिये।

तीसरा जो अमेन्डमेन्ट इस डेफिनिशन में शामिल करने के लिये पेश किया है मैं समझता हूँ कि वह तो इस डेफिनिशन को बहुत ज्यादा एक्सटेन्सिव (extensive) बना देता है। एग्रीकल्चरिस्ट वह शब्द है जिसका माने होता है कि जो एग्रीकल्चर करता है और जो एग्रीकल्चर और जिसका जरिया मात्र खेती है। अब अगर गैरकाश्तकार पर्सन (व्यक्ति) को भी एग्रीकल्चरिस्ट की डेफिनिशन में मान लिया जावे तो ऐसी डेफिनिशन कभी नहीं हो सकती। हां, अगर कुछ ऐसे लोग हैं या कुछ खेतीहर किसान खेती करते हैं और कोऑपरेटिव बेसिस पर करते हैं, वे कितने भी खेतीहर हों, कितनी भी जमीन हो, वे सेपेरेटली एग्रीकल्चरिस्ट माने जा सकते हैं। पर वे इसके लिए एक कोऑपरेटिव सोसायटी बना लें और इस तरमीम की यह मंशा है कि कोऑपरेटिव सोसायटी को खेतीहर फार्मिंग माना जावे तो ये खेतीहर नहीं हो सकते और इसकी डेफिनिशन को एक्सटेन्सिव बनाना चाहें तो ऐसा नहीं होना चाहिये।

सबसीडियरी (subseidiary) एग्रीकल्चर करने वाले को भी एग्रीकल्चर के पेश में लिया जाता है तो इसको नहीं किया जाना चाहिये। इससे बहुत से ऐसे तत्त्व भी इस एग्रीकल्चरिस्ट की डेफिनिशन में आ जावेंगे कि जिनको हमें नहीं लाना चाहिये। तो इन शब्दों के साथ में श्री चांदमल मेहता का समर्थन करते हुए दूसरों के संशोधन का विरोध करता हूँ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय चेयरमेन, कोटा से आये हुए मेरे माननीय मित्र ने जो संशोधन रक्खा है, मैं उसका समर्थन करना चाहता हूँ और इसके बहुत मौजू कारण हैं।

श्री सभापति—कोटा से आये हुए से आपका मतलब ? वे कोटा से तो नहीं आये। आपका मतलब श्री वेदपाल त्यागी से है।

श्री हरिकृष्ण व्यास (अपना भाषण जारी रखते हुए)—कहीं से भी आये हों मेरा मतलब श्री वेदपालजी से है।

श्री सभापति—वे छावड़ा से आये हैं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—(अपना भाषण जारी रखते हुए) जी, वे छावड़ा से आये हैं।

श्री वेदपालजी ने जो परिभाषा एग्रीकल्चर शब्द की है उस परिभाषा में तो कोई बच ही नहीं सकता। और जैसा उन्होंने कहा कि भारी से भारी किस्म का लेंण्ड होल्डर, लेण्ड लॉर्ड जो है वह भी नहीं बच सकता। वह भी इन्क्लूड गिना जावेगा।

वह आदमी जो सारी जमीन टिनेन्ट के जरिये काश्त करवा रहा है और खुद दिल्ली में बैठा है उसका एक आदमी आकर साल में एक या दो बार रेन्ट रिकवर वसूल करके ले जाता है, वह भी एग्रीकल्चरिस्ट की परिभाषा में आवेगा और कभी कभी जो सहूलियतें एग्रीकल्चरिस्ट को दी जावेंगी किसी कानून अथवा सरकार के नोटिफिकेशन के जरिये, उनका भी वह उपभोग करेगा। यह प्रश्न इस दृष्टि से हम न देखें कि खेती के सिलसिले में कोई बाधा इससे पैदा होने वाली है।

कोई खुद भी फसल पैदा करने में हिस्सा लेता है और मौके बेमौके आवश्यकता हो तो पार्टटाइम सर्वेन्ट रख ले। पर जो खुद हिस्सा रखने वाला है उनको कोई कठिनाई इससे नहीं है किन्तु उसको होगी जिसका एग्रीकल्चर से, खेती की दर असल पैदावार से या प्रोडक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है। उसको जरूर कठिनाई आवेगी और मेरा ख्याल है कि सारा एक्ट जो है इस बात में ऊपर चलता है कि खेती में उपार्जन करने में कुछ न कुछ योग दिये बिना एग्रीकल्चरिस्ट की परिभाषा में उसका आना उसूलन गलत चीज़ हो जावेगी। इसलिये उन्होंने जो सुझाव रक्खा है कि टिनेन्टस और 'सर्वेन्टस' ये शब्द हटा दिये जावें।

कुछ ऐसी भी कठिनाइयां पेश की गई हैं कि अगर ये शब्द हटा दिये गये और मान लो कि कोई आदमी है जो कि कुछ समय के लिये बाहर चला गया है तो किसी ओपरेशन में भाग न ले सका तो ऐसी हालत में वह एग्रीकल्चरिस्ट नहीं गिना जा सकेगा तो यह जो कठिनाई की बात कही गई है, मैं समझता हूँ कि उस बात को अच्छी तरह से न समझ में आने की वजह से यह कठिनाई हुई है।

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

किन्तु किसी स्टेज में कोई रहे न रहे यह प्रश्न नहीं है। हायर्ड लेबर को एमप्लोय करे या न करे यह भी प्रश्न नहीं है।

प्रश्न यह है माननीय चेयरमेन, कि खेती के काम में जो एक एग्रीकल्चरिस्ट नाम की चीज है: जो प्रोडक्शन प्रोसेस है उस प्रोसेस में बड़ी एसेन्शल लेबर है उसमें कोई व्यक्ति अपनी लेबर कान्ट्री-ब्यूट नहीं करता है तो फिर काश्तकार कहलाने का हक नहीं होना चाहिए और मेरा खयाल है कि इस परिभाषा में अगर संशोधन न करेंगे तो फिर बड़े बड़े भूमियों के मालिक बने हुए जो लोग हैं, जो बड़े बड़े लेण्ड लार्ड्स हैं; यहाँ तक कि राजस्थान में बिरलाजी ने भी बहुत सी जमीन दबाकर रख रखी है, यह परिभाषा जब मन्जूर हो जावेगी तो इसके बाद काश्तकार भले ही जमीन पर काश्त करते रहें परन्तु वे दूर बैठे बड़े बड़े लेण्ड लार्ड्स और बिरला तक भी काश्तकार की परिभाषा में आ जावेंगे और इस तरह राजस्थान के इस टिनेन्सी बिल का दुनिया के सब टिनेन्सी बिलों में नाम हो जावेगा जो कि यह साबित करेगा कि राजस्थान के अन्दर काश्तकारों में गिनती श्री बिरलाजी की भी है। इसे पास करके एक ऐसी एब्सर्ड (absurd) चीज हम पैदा करेंगे जो हमारे उपहास की वस्तु बन जावेगी। अगर इसकी परिभाषा को नहीं बदलेंगे तो यह चीज होती है।

दूसरी ओर हमने 'जागीरदारी रिजम्प्शन एक्ट' तो पास कर दिया है पर खुदकाश्त की जमीन के बारे में इस 'जागीरी रिजम्प्शन एक्ट' में भी और इस 'टिनेन्सी एक्ट' में भी, इन दोनों एक्टों में, यह साफ कर दिया गया है कि इस जमीन को बुनियादी तोर पर उपयोग करना है-ता, काश्त के लिए, उपयोग करना है, तो काश्त के लिए किराये पर देकर टिनेन्सी के जरिये इस्तेमाल करने की कोई गुंजाइश किसी भी एक्ट के जरिये से रखने की हमारी इच्छा नहीं है। तो उनके लिए भी कोई कठिनाई नहीं होगी बशर्ते कि वह काश्त के किसी भी प्रोसेस में भाग ले लें। इस तरह अगर प्रोडक्शन के किसी प्रोसेस में वे भाग ले लेते हैं तो वे भी 'एग्रीकल्चरिस्ट' की परिभाषा में आ सकते हैं। पर इसके अलावा किसी भी सूरत में नहीं। तो इन दोनों हालतों में चाहे टिनेन्ट के सिलसिले में या सर्वेन्ट के सिलसिले में उन्हें अपनी बोनाफाइडी साबित करने के लिए प्रोडक्शन के प्रोसेस में भाग लेना लाजिमी होना चाहिये।

एक माननीय सदस्य—ऐसी स्थिति में मेरे विरोधी दल के माननीय नेता को असेम्बली से स्तीफा देना पड़ेगा।

श्री हरिकृष्ण व्यास—(अपना भाषण जारी रखते हुए) उन्हीं को नहीं बहुतों को देना पड़ेगा। पर्सनली मैं नहीं कह रहा हूँ। पर आप बेफिक्र रहिये आपोजिशन तो लीडरलेस (leaderless) नहीं होगा।

मैं अर्ज कर रहा था कि कोई कठिनाई नहीं आवेगी इन्हें भी। राजस्थान की असेम्बली का तो यह रिकार्ड है कि वह तो पाँच-पांच दिन में दस दस दिन में प्रइल्ले के साथ बड़े से बड़ा बिल पास करती रही है। केवल इस मौके पर ही देर हुई है। नहीं तो इन सबको बहुत जल्दी जल्दी यहां से

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

छुट्टी मिल जाया करेगी और वे प्रोडक्शन प्रोसेस में हिस्सा ले सकेंगे। एक एग्रीकल्चर के प्रोसेस में भले ही भाग न ले सकें पर बाद में एग्रीकल्चर प्रोसेस में तुरन्त भाग ले सकेंगे। बुवाई में नहीं तो कटाई में तो अवश्य ले सकेंगे। तो यह फेसीलिटी तो राजस्थान की सरकार भी दे सकती है और अगर बुआई में नहीं ले सके तो कम से कम कटाई में मौका मिल जायगा यह कानून में दर्ज है। इस वजह से मेरे खयाल से यह दशा देने की गुंजाइश पैदा नहीं होगी। यह बात अलबत्ता जरूरी है कि दूसरे कामों में सारा ध्यान रखने के बाद खेती से कोई सम्बन्ध न होते हुए भी महज इस वजह से कि मालिकाना हक था जमीन के ऊपर है इस वजह से अगर उसमें काश्तकारों में नाम दर्ज करवाने की प्रवृत्ति है तो वह प्रवृति कामयाब नहीं होगी। इस सम्बन्ध में यह सिद्धान्त स्वीकार किया जाना चाहिए। अगर कानून स्वीकार नहीं करेंगे तो इसका मतलब यह होगा कि राजस्थान में ऐसा टिनेन्सी बिल पास किया गया। मुझे ऐसा आभास भी हो रहा है कि वह स्वीकार हो जायगा।

श्री चन्दनमल वैद—यह वहम है।

श्री हरिदत्त—माननीय चेयरमेन, त्यागीजी ने जो एमेन्डमेन्ट दिया है उसका किसी अंश में समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। यह अवश्य है कि काश्तकार वही होना चाहिये जो कि खुद काश्त करे। यदि उनको ऐसा मौका दे दिया जाता है तो सर्वेन्टस के जरिये काश्त करता रहे, टिनेन्टस के जरिये काश्त कराता रहे, तो डेफिनेशन आफ एग्रीकल्चरिस्ट (defination of agriculturist) में वह नहीं रहता है जो कि चाहा जा रहा है। उसकी अवश्य पूर्ति होनी चाहिये। यह भी जरूरी है कि यदि उनको सर्वेन्टस और टिनेन्टस से फायदा उठाने दिया जाय तो एक ऐसा समय आ सकता है कि जब वह अपनी काश्तकारी से बिल्कुल दूर हो जाँय। इसलिए उन शब्दों के लिए मैं यह सुझाव के रूप में प्रस्ताव कर रहा हूँ—

"'Agriculturist' shall mean a person who earns his livelihood by agriculture wholly or principally by himself or partially by servants or tenants."

इन शब्दों में पार्शियली (partially) लब्ज लगा देने से वह असर हो जायगा कि कुछ न कुछ काश्तकारी में भाग लेना होगा।

महज इसमें मुझे यह अर्ज करना है कि केटल ब्रीडिंग के ऊपर जितने भी एमेंडमेंटस आये हैं उस पर कोई रोशनी नहीं डाली गई है। मेरे विचार में टिनेन्टसी एक्ट के परपजेज़ (purposes) के लिहाज से केटल ब्रीडिंग को इसमें लेना निरर्थक है। उसका कोई अर्थ नहीं है—The Tenancy Act does not cover the case of the person who devotes his time for cattle breeding.

इसलिए केटल ब्रीडिंग में जनरल एग्रीकल्चर की डेफिनिशन में लिया जाता है, लेकिन टिनेन्सी एक्ट में केटल ब्रीडिंग को लेना इरेलेवेन्ट (irrelevant) और रिडडेन्ट (redendant) है and it should be deleted. This is my suggestion and I put up this before the House to decide.

[श्री हरिदत्त]

कानून का मतलब लगा लेने का मुद्दा यह है कि जो त्यागीजी ने संशोधन रखा है उसका समर्थन करता हूँ। कहना यह है कि आज कल हर आदमी दूसरों को काश्तकार बनाने के लिए तैयार हो रहा है किन्तु वे खुद काश्तकार बनने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। ज्यादातर मेरे मित्र यहाँ बैठने वालों ने यह धन्धा शुरू कर दिया है। तो काश्तकार बनते नहीं है दूसरों को काश्त कराते हैं। इसलिए यह धारा रखी गई है। जब तक यह धारा नहीं हटेगी तब तक खेती करने वाला काश्तकार नहीं माना जायगा। यह धारा हटनी चाहिये और त्यागीजी का संशोधन मन्जूर होना चाहिए।

श्री रूपनारायण शास्त्री—माननीय चेयरमेन, त्यागीजी ने यह कहा कि कृषि का कार्य जो सर्वेन्ट द्वारा कराता है, तो यह कृषक नहीं समझा जायगा तो कोई भी कार्य बिना सर्वेन्ट के नहीं हो सकता है तो फिर कृषि के कार्य में नौकर की जरूरत नहीं हो लेकिन नौकरों के द्वारा कार्य कराया गया वह कृषि नहीं समझें, यह संभव नहीं है। नौकरों के द्वारा 'कृषि' करायेंगे तो वह काश्तकार नहीं समझा जायगा तो एक काश्तकार है उसे कटाई के वक्त नौकरों की जरूरत पड़ती है, नौकरों से फसल कटा लें, आप यह कहे कि खेती जो की है वह नौकरों द्वारा की गई है इसलिये वह काश्तकार नहीं समझा जायगा, खाद डालने के वक्त लोकल मजदूरों से कार्य करायेगा; तो चूंकि वह कार्य नौकरों से कराया गया था इसलिए वह खेती करने वाला काश्तकार नहीं माना जायगा, तो यह ठीक नहीं है। चाहे कोई काम हो। हर काम में अधिकार है कि जैसे कि मिल का मालिक मजदूरों से काम कराता है तो भी वह मालिक हो सकता है तो एक शख्स कुछ मजदूरों से काम लेकर कृषक नहीं रहे यह कब संभव है? इसका अर्थ यह हो जायगा कि कोई भी आदमी अपने काम को खुद करे वरना दूसरों से काम नहीं ले सकता है और जो लोगों से काम कराता है तो यह जो क्लॉज़ है, 'नौकरों द्वारा खेती करवाता है तो कृषक नहीं समझा जायगा," मैं इसका विरोध करता हूँ।

मैं यह कहता हूँ कि चाहे नौकरों द्वारा कार्य कराया जाय या आप करें यानी खुद का भाग लेना तो जरूरी है क्योंकि यदि वह स्वयम् काम न करेगा तो वह नौकरों से काम कैसे ले सकेगा? स्वयम् काश्तकार बनना चाहता हैं तो स्वयम् को दिलचस्पी लेनी पड़ेगी और नौकरों से काम लेना पड़ेगा। इसलिए इसमें यह क्लॉज नहीं होना चाहिये।

खास तौर से कृषि तभी हो सकती है जब कि सब का पालन करता है। सब का पालन तभी हो सकता है जब कि जो किसान है वह किसान हल चलाता है तो एक जगह वर्षा नहीं हुई और दूसरी जगह वर्षा हुई और वह एक हल के ५) रु० या १०) रु० लेले तो वह क्या मजदूर हो जायगा? यह नहीं कर सकते हैं। इस तरह कृषक है वह खेती करता है और चार मजदूर आते हैं बोने के लिए, हल चलाने के लिए, या काटने के समय में, तो इसका अर्थ यह नहीं कि वह काश्तकार नहीं रहा। इस तरह से मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसा संशोधन नहीं रखा जाय। कृषक वही हो सकता है जिसकी कृषि में दिलचस्पी हो और कृषि-कृषक नौकरों के द्वारा कराये तो उसे कृषक माना जाय।

Page No.76

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—सभापतिजी, मैं समझता हूँ कि यह धारा जिसके बारे में यहाँ बहस उठाई गई है इस बहस का जवाब देने के सम्बन्ध में आगे 'परसनल कल्टीवेशन' (Personal cultivation) की डेफिनिशन और आती है 'लेन्ड कल्टीवेटेड परसनली' (Land cultivated personlaly) उसके साथ-साथ ही उसकी बहस का उत्तर देना उपयुक्त समझूंगा। इस बहस के बाद में इस धारा के आगे चलना ज्यादा ठीक है।

श्री हरिकृष्ण व्यास— क्या कहा, कुछ बात समझ में नहीं आई।

श्री सभापति—'परसनल कल्टीवेशन' (Personal cultivation) की जब क्लॉज़ ली जायगी उसके साथ ही मिनिस्टर साहब इसका भी जवाब देना मुनासिब समझते हैं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—सलाह मशविरा करना चाहते हैं, साफ-साफ क्यों नहीं कहते हैं।

श्री सभापति—सब कुछ हो जायगा। अब एमेन्डमेंट सब क्लॉज़ (६) के ऊपर है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—नहीं साहब, पाँच में है।

श्री सभापति—श्री बृजसुन्दर शर्मा, सब क्लॉज़ (५) में आपका एमेन्डमेंट है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—I have added a word 'other' in this sub-clause : एसिस्टेण्ट कलेक्टर की डेफिनिशन यह हो जायगी।

"Assistant Collector" shall mean an Assistant Collector appointed under the Rajasthan Territorial Division Ordinance, 1949, or under any other law for the time being in force."

इसको अगर इसके बाद इस तरह से रखते हैं :—

"or under any law for the time being in force."

तो फिर 'राजस्थान टेरिटोरियल डिवीजन लॉ' की जरूरत क्या है ? पहले जो 'राजस्थान टेरिटोरियल डिवीजन १६४६' का है वह तो है। इसके अलावा दूसरे लॉज़ हैं उनके अन्दर कोई एपोइन्टेन्ड (appointed) है तो "any other law" वहाँ पर उसमें लाने की जरूरत हो जाती है। इसलिए 'अदर' (other) शब्द एड किया जाय।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—यह मुझे मन्जूर है।

श्री सभापति—श्री ब्रजसुन्दर शर्मा का अमेंडमेंट क्लाज़ ४ की सब क्लॉज़ (५) में है उसको मिनिस्टर महोदय मन्जूर करते हैं क्या सदन की राय है कि इस एमेंडमेंट को accept (स्वीकार) कर लिया जाय ?

(स्वीकृत)

सब क्लॉज़ (५) as amended is accepted.

(विराम)

सब क्लॉज़ (६)

श्री श्यामलाल गोयल—माननीय चेयरमेन महोदय, बिस्वेदारी की डेफिनिशन में कोई मेटिरियल अमेंडमेंट नहीं है। इसमें लेंगवेज (भाषा) की गलती है। 'शैल' (Shall) शब्द का अमेंडमेंट है। क्लाज़ इस तरह है : "Biswedar" shall mean a person recorded as such in the record-of-rights and include a person on whom a village or part of a village is settled by the State Government or a Jagirdar on the Biswedari System.

मैंने इसमें अमेन्डमेंट इस तरह से किया है: "Biswedar" shall mean a person recorded as such in the record-of-rights and shall include a person on whom a village or part of a village is settled by the State Government or a Jagirdar on the Biswedari system."

इस 'शैल' (shall) शब्द की बहुत जरूरत है, इसलिये जरूर होना चाहिये। यह ग्रामेटिकल मिस्टेक (व्याकरण की अशुद्धि) है। सब क्लाज़ (११) की डेफिनेशन में ऐसे ही मोके पर 'शैल' शब्द आया है "Estate" shall mean jagir land or interest in Jagir land held by a Jagirdar and shall include land or interest in land held by a Biswedar Istamrardar or Zamindar." तो यह सिर्फ इसमें लेंगवेज (भाषा) की गलती है इसमें 'शैल' शब्द रख गया है उसको और बढ़ा दिया जाय।

श्री सभापति—दूसरा अमेंडमेंट इस सब क्लाज़ में श्री एच.के. व्यास का है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय चेयरमेन, मेरा अमेन्डमेंट ऐसा है कि यहाँ इस बिल के लिए सब क्लाज़ की बिस्वेदार की परिभाषा में यह बताया गया है कि—"Biswedar" shall mean a person recorded as such in the record-of-rights and shall include वगैरह-वगैरह। तो This is no definition.

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

इस सम्बन्ध में मैंने यह अमेंडमेंट पेश किया है कि जो ओरिजिनल सब क्लाज़ है उसके स्थान पर इस प्रकार रखा जावे :—

"(6)" Biswedar" Shall mean such person on whom a village or part of a village is or has been settled by the State Government and shall include a Jagirdar on the Biswedari system " बिस्वेदारी की परिभाषा में ऐसा कहा गया है कि जो रेकर्ड आफ राइट्स (record of rights) में बिस्वेदार की परिभाषा दर्ज है वही 'बिस्वेदार' होगा। यह परिभाषा क्या हुई ? यह तो आप एलान करदें या कुछ कह दें यह परिभाषा नहीं हुई ? डेफिनेशन या परिभाषा उसे कहते हैं जिसे तोल कर यह तय किया जा सके कि अमुक आदमी को 'बिस्वेदार' के रूप में दर्ज किया जाना चाहिये, रेकर्ड आफ राइट्स (record-of-rights) में नहीं ? इसके विपरीत गाड़ी के आगे घोड़ा रखने के बजाय आप घोड़े के आगे गाड़ी रखते हैं। परिभाषा के अनुसार रेकर्ड आँफ राइट्स में एन्ट्री (entry) करें उसके बजाय रेकर्ड-ऑफ-राइट्स की एन्ट्री से परिभाषा बनती है यह गलत है। जो हकीकत है उसको परिभाषा बना दें और इस तरह से अमेंड कर दें :— "Biswedar" shall mean such person on whom a village or part of a village is or has been settled by the State Government add shall include a Jagirdar on the Biswedari system," इसमें रेकर्ड आफ राइट्स का जो पोर्शन (portion) है उसको डिलीट (delete) कर दिया जाय। बिस्वेदार वह आदमी है जिस पर विलेज सेटल कर दिया गया है। वह लगान देता है और उसको रेन्ट मिलता है। ऐसी डेफिनेशन होनी चाहिये। जो परिभाषा बिल में दी गई है वह साफ नहीं है। इसलिये मेरा जो यह संशोधन है वह मानने काबिल है। फिर माननीय मंत्रीजी की इच्छा पर निर्भर है।

श्री सभापति क्लाज़ ४ सब क्लाज (६) में एक अमेंडमेंट भैरूँसिंहजी का है और दूसरा श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता का है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मेरा अमेन्डमेंट इस प्रकार है : In the first line between the words "as such" and "in" insert the words "or as an owner." मौजूदा डेफिनेशन है उसके मुताबिक : " 'Biswedar' shall mean a person recorded as such in the record of rights." रेकर्ड ऑफ राइट्स में 'राइट' को डिफाइन किया गया है, जो ओनर (मालिक) है उसको बिस्वेदार माना है। इसलिये रेकर्ड आफ राइट्स में उसको बिस्वेदार नहीं माना जायगा जिसकी केपेसिटी उसके मुताबिक नहीं होगी। इसलिये मैंने यह रखा है कि: "Biswedar" shall mean a person recorded as such or as an owner in the record of rights."

बहुत सी जगह ऐसा हो सकता है कि रेकर्ड ऑफ राइट्स में कोई ऐसा खाना नहीं है जिसमें बिस्वेदार दर्ज हो सके। हमारे यहाँ कोई ऐसा खाना नहीं है जिसमें बिस्वेदार का खाना दिया गया है। ओनर के लिए किया गया है जो जमीन का मालिक है, लेकिन रेकर्ड ऑफ राइट्स में कुछ नहीं

[श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता]

है इसलिये मैंने यह अमेन्डमेन्ट रखा:—"Biswedar" shall mean a person recorded as such as an owner in the record of rights." इसके मुताबिक अमेन्डमेन्ट मंजूर होने के बाद जितने ओनर हैं जिनके नाम दर्ज हैं, वे बिस्वेदार में दर्ज हो जायेंगे। दरअसल में बिस्वेदार हैं भी वे ही। बिस्वेदार की डेफिनेशन को साफ करने के लिये मैंने यह अमेन्डमेंट प्रस्तुत किया है। आशा करता हूँ माननीय मन्त्रीजी इसे स्वीकार कर लेंगे।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—इस सम्बन्ध में जो अमेन्डमेन्ट्स मूव किये गये हैं उनमें से अलवर के माननीय मित्र ने जो अमेन्डमेन्ट मूव किया है यदि उसे स्वीकार नहीं किया जाय तो कॉम्प्लीकेशन(Complication)हो सकता है क्यों कि ओनर को स्वीकार करना वहाँ के लिये आवश्यक है, इसलिये मैं उनके अमेन्डमेन्ट को स्वीकार करता हूँ और दूसरे माननीय मित्रों के जो अमेन्डमेन्ट्स हैं उनको मैं अस्वीकार करता हूँ।

श्री श्यामलाल गोयल—मेरा जो 'शेल' (Shall)को इन्क्ल्यूड करने का अमेन्डमेन्ट है उसे स्वीकार कर लिया जाय तो अच्छा होगा।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—'शेल' को इन्क्ल्यूड करने में मुझे कोई ऐतराज नहीं है।

श्री सभापति—क्योंकि समय हो चुका है इसलिये इस क्लॉज के ऊपर वोट्स अभी लेने में विलम्ब होगा।

श्री हरिकृष्ण व्यास—'शेल' को इन्क्ल्यूड करने के लिए आप क्या कहते हैं?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—'शेल' को इन्क्ल्यूड (include)करने की बात कही है; इसे इन्क्ल्यूड कर लिया जाय, इसमें मुझे कोई एतराज नहीं है।

श्री सभापति—क्योंकि समय हो चुका है और इस क्लॉज पर वोटिंग भी लेने की आवश्यकता है, तो आप किस-किस के संशोधन को स्वीकार करते हैं?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—श्री बद्रीप्रसादजी और श्री श्यामलालजी के संशोधन मैं स्वीकार करता हूँ।

श्री सभापति—श्री श्यामलाल जी का क्लॉज ४ के सब क्लॉज (६) पर संशोधन है। इसे मन्त्री महोदय, इन्चार्ज आफ दी बिल, स्वीकार करते हैं। क्या हाउस की अनुमति है कि इसे स्वीकार कर लिया जाय?

(स्वीकृत)

[श्री सभापति]

यह अमेन्डमेन्ट एक्सेप्ट किया गया ।

(विराम)

दूसरा अमेन्डमेन्ट इसी क्लॉज के सब क्लॉज (६) पर श्री हरिकृष्ण व्यास का है। क्या इसे स्वीकार किया जावे ?

(अस्वीकृत)

अमेन्डमेन्ट ड्रॉप हो गया।

(विराम)

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता का इसी क्लॉज के सब क्लॉज (६) पर जो संशोधन है क्या उसे स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

यह अमेन्डमेन्ट स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज ४ के सब क्लॉज (६) को एज़ एमेन्डेड (as amended) स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

क्लॉज ४ का सब क्लॉज (६) एज़ एमेन्डेड विधेयक में जोड़ा गया।

(विराम)

सदन को एक एनाउन्समेन्ट (announcement) करना चाहता हूँ कि आप सब जब यहाँ से जायं तो नोटिस ओफिस से लिस्ट ऑफ बिज़नेस और क्वेश्चन्स जो दिनांक ६ को आने वाले हैं, वे अपने साथ लेकर जायं।

कुछ मेम्बर लोग छुट्टी पर जाना चाहते हैं क्योंकि काम करते-करते बहुत समय हो गया है और जाने की लोग-बागों को फिक्र है, होली के चाहते हैं, होम सिक (home sick) हो गये हैं,

Page No.81

[श्री सभापति]

और डिप्टी स्पीकर साहब से इस बारे में परामर्श किया जा रहा है कि सेशन कब बुलाया जावेः ६ को या ११ को।

(श्री लालसिंह शक्तावत, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मन्त्री)—मेरे खयाल से ११ को मीट करना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष—दिनांक ११ को शाम को ४ बजे मीट होंगे।

(सदन की बैठक, १२ बज कर १८ मिनट पर मध्यान्ह में दिनांक ११–८–५४ के सायंकाल ४ बजे तक के लिए स्थगित हुई)

विधान सभा भवन,
जयपुर,
दिनांक—६ अगस्त, १९५४

मनसाराम पुरोहित
सचिव,
राजस्थान विधान सभा।

Page No.82

परिशिष्ट १

(वे तारांकित प्रश्नोत्तर जो कि सम्बन्धित प्रश्नकर्त्ताओं की अनुपस्थिति में सदन की मेज पर रखे गये तथा जिनके प्रकाशित करने की सम्बन्धित मन्त्री महोदय की अनुमति है)

प्रश्न

1308 (297/C. M.) Shri H. K. Vyas, M. L. A., (*Divi. No. 160*) : Will the Minister for General Administration be pleased to answer :—

(a) Is it a fact that the employees of Civil Supplies Department have represented to the Government in connection with gross nepotism displayed by some officers in the question of fixation ?

(b) Is the Government thinking of setting up some enquiry into this charge ?

उत्तर

(a) No signed representation has been received from employees of Civil Supplies Department.

(b) No.